खण्ड-366, अंक-6
गुरूवार, 09 चैत्र, शक संवत् 1906
(29 मार्च, 1984 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

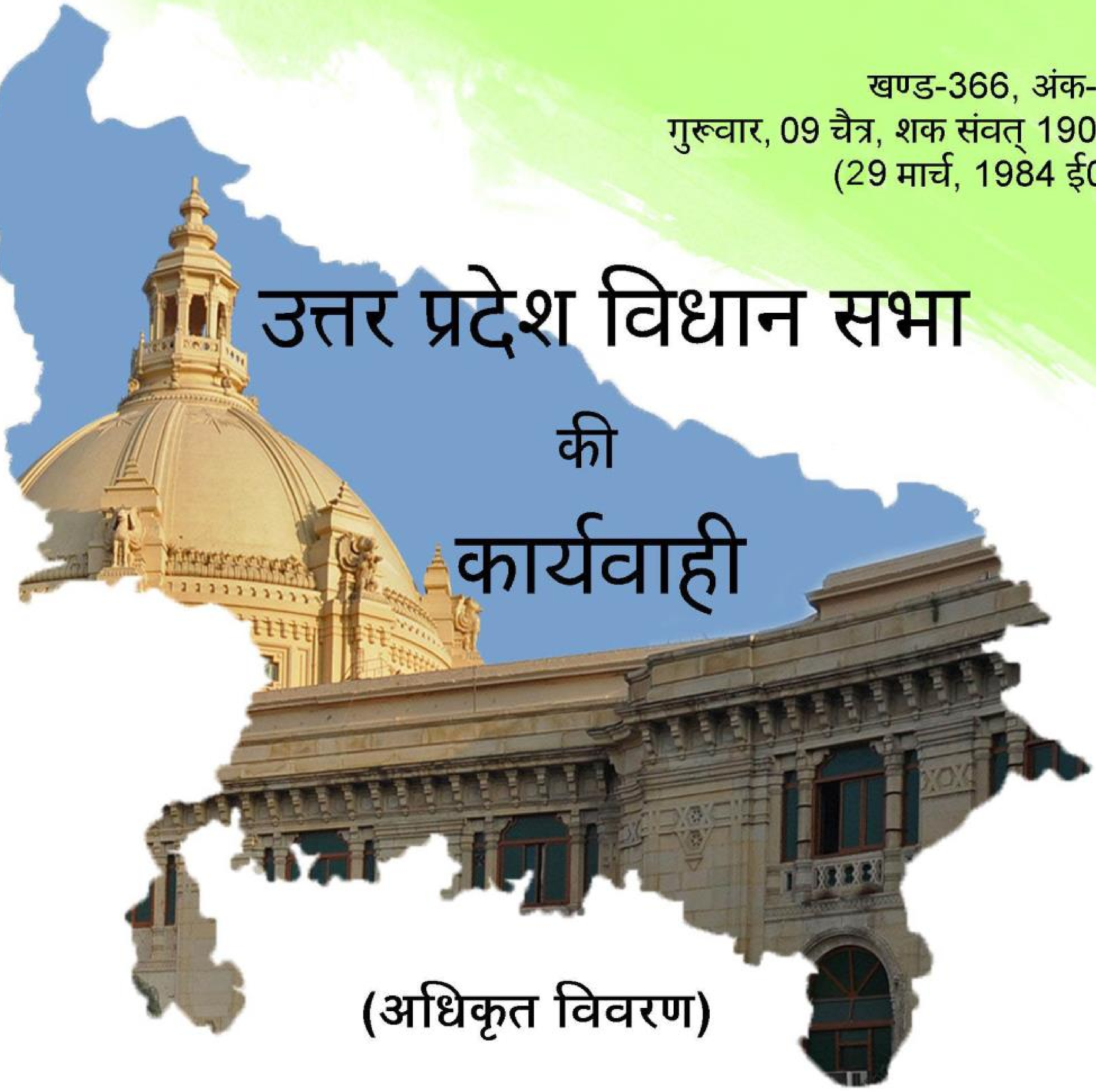

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 366 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1–5
प्रश्नोत्तर	6–36
इस्माइलगंज (लखनऊ) स्थित तालाब से कई एकड़ भूमि के जलमग्न होने से फसलों को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	36
चीनी मिल पिपराइच (गोरखपुर) के गन्दे पानी से निकटवर्ती फसलों की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	36–37
खलीलाबाद (बस्ती) में हुई ओलावृष्टि से फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	37
रिक्शा चालक, कयूम तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के आन्दोलनकारियों को नजीबाबाद पुलिस द्वारा पीटे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	37
जिला परिषद् जालौन के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कर्मचारियों को वर्षों से वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	37–38
नगलागाढ़ा (आगरा) में हरिजनों को दिये गये भूमि के पट्टों पर कब्जा न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	38
जनपद फैजाबाद के तहसील कर्मचारियों एवं दलालों की साजिश से हो रहे फर्जी बैनामों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	38
पर्वतीय क्षेत्रों में पालीटेक्निक तथा आई0टी0आई0 में अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	38–39
जिलों में प्रदर्शनियों एवं मेलों के आयोजनों से स्कूल परीक्षाओं के शान्तिपूर्ण ढंग से न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	39–40
हमीरपुर के सर्वोदय विकास आश्रम द्वारा संचालित निराश्रित महिला तथा बाल सदन में गबन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	40–41
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	41–49
प्रदेश की वर्तमान बड़ी इकाई को बाँटकर चार छोटी प्रशासकीय इकाइयों में बाँटे जाने के सम्बन्ध में दिए गये संकल्प पर आपत्ति ..	49
प्रदेश की वर्तमान बड़ी इकाई को बाँटकर चार छोटी प्रशासकीय इकाइयों में बाँटे जाने के सम्बन्ध में संकल्प (जारी)	49–72
नत्थियाँ	73

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार दिनांक 29 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 396

अकबर अहमद, श्री	नैनीताल
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री	गोंडा
अजहर इमाम, श्री	मिर्जापुर
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ
अनवार खां, श्री	अलीगढ़
अनवार मुहम्मद खां, श्री	फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री	आजमगढ़
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह)	फतेहपुर
अमर सिंह, श्री	सहारनपुर
अमीरुद्दीन, श्री	बिजनौर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री	बरेली
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री	इलाहाबाद
आजाद कुमार कर्दम, श्री	आगरा
इन्द्रजीत सिंह, श्री	फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू)	बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी श्री	गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहाँपुर
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा
ऊदल, श्री	वाराणसी
ए0सी0 ग्राइस, श्री	नाम निर्देशित आँग्ल भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री	आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री	मथुरा
कन्हैया लाल महेन्दू, श्री	लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती	कानपुर
कमला देवी, श्रीमती	हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री	बरेली
कल्लू राम रत्नाकर, श्री	मिर्जापुर
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर
काशीनाथ मिश्र, श्री	बलिया
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती	गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री	चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)	हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
कृष्णदत्त (उर्फ बलराज)	फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह, श्री	बदायूं
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर	आगरा
केदार सिंह, श्री	आजमगढ़
केदार नाथ, सिंह	गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
केशोराम श्री	बदायूं
कैलाश चन्द्र यादव, श्री (एडवोकेट)	एटा
कैलाश टण्डन, श्री	वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
खरपत, श्री	वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री	मुरादाबाद
खुर्शेद अहमद, श्री	बहराइच
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री	टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री	आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री	अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री	बाराबंकी

गया सिंह, श्री	उन्नाव
गुलाम नबी, श्री	आगरा
गैंदा देवी, श्रीमती	बस्ती
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
गोपी नाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री	इटावा
गोवर्धन तिवारी, श्री	अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री	बलिया
चन्दन सिंह, श्री	मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0	बाँदा
चन्द्र बली ब्रह्मचारी, श्री	आजमगढ़
चन्द्र भान सिंह, श्री	बाँदा
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
चन्दर सिंह, श्री	मेरठ
चारु चन्द्र ओझा, श्री	पिथौरागढ़
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
छत्तर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री	खीरी
छेदी लाल, श्री	गोंडा
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री	फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहाँपुर
जगदीश सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
जटा शंकर सिंह, श्री	बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री	खीरी
जयदीप सिंह बरार, श्री	बरेली
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री	अल्मोड़ा
जावेद अली, श्री	मथुरा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
जितेन्द्र शाह, श्री	जालौन
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री	फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री	मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री	सुल्तानपुर
झग्गड़ सिंह, श्री	मेरठ
तपेश्वर, श्री	आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री	खीरी
तेजबहादुर सिंह, श्री	जौनपुर
थम्मन सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
दयाल कृष्ण, श्री	मथुरा
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर
दलसिंगार, श्री	आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री	मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
दीनानाथ, श्री	बस्ती
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री	गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री	आजमगढ़
दुर्गाप्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री	आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री	कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री	देहरादून
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
धरमपाल, श्री	बहराइच
धर्मपाल सिंह, डाक्टर	अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री	मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री	मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री	बुलन्दशहर
ध्रुव प्रसाद राय, श्री	देवरिया
नकली सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नन्द राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नाजिर अली, श्री	शाहजहाँपुर
नियाज हसन खां, श्री	प्रतापगढ़
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)	बलिया
निर्मल खत्री, श्री	फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री	एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी	इलाहाबाद
पंचानन राय, श्री	आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री	गोरखपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री	बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री	सीतापुर
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी
पुरुषोत्तम, श्री	मिर्जापुर
पुष्पा चौहान, श्रीमती	अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री	हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री	बाराबंकी

प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रियदर्शी जेतली, श्री	फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती	बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	लखनऊ
फखरे आलम, श्री	बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री	गोरखपुर
बंशीधर, श्री	रामपुर
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बदन सिंह, श्री	आगरा
बनवारी राम, श्री	वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री	बलिया
बलबीर सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बलबीर सिंह, श्री	रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री	पीलीभीत
बाबू लाल, श्री	गोंडा
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री	अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री	नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बुद्धपाल सिंह "खुर्जेवाला", श्री	बुलन्दशहर
बृजकिशोर मिश्र, डाक्टर	देवरिया
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री	इलाहाबाद
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री	कानपुर
भागीरथ, श्री	झांसी
भानु प्रताप सिंह, श्री	बरेली
भास्कर पाण्डेय, श्री	देवरिया
भीखा लाल, श्री	उन्नाव
भीम सिंह सीना, श्री	मेरठ
भूधर नारायण मिश्रा, श्री	कानपुर
भूप सिंह केन, श्री	गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री	बलिया
मंगलदेव, श्री	गोंडा
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री	मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ, श्री	बस्ती
मंसरुर जाफरी, श्री उर्फ शबरोज	गोंडा
महाबीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री	आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती	इटावा
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा	आगरा
महेश उपाध्याय, श्री	आगरा
महेश चन्द्र, श्री	मेरठ
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री	वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मान पाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
मान बहादुर, श्री	गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री	बदायूं
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री	मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री	गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहन लाल, श्री	हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री	देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद अमीन, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद उमर, डाक्टर	गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री	बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी	रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी,	वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
यमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री	वाराणसी
रईसउद्दीन वारसी, श्री	मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोंडा
रघुबीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रतीराम, श्री	बिजनौर
रमाकान्त मिश्रा, श्री	इलाहाबाद
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
रवीन्द्र, श्री	आजमगढ़
राज किशोर राव, श्री	बहराइच
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
राजपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राजमंगल पाँडेय, श्री	देवरिया

राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री	झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
राधे श्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0	जौनपुर
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री	मुरादाबाद
राम गोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी
रामजीराम, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नारायण सिंह, श्री एडवोकेट	गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री	कानपुर
रामपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	जालौन
राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम यश सिंह, श्री	सहारनपुर
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह, श्री	सुल्तानपुर
रामसिंह रावल, श्री	एटा
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
रामस्वरुप निम, श्री	सहारनपुर
रामस्वरुप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बाँदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
रूप राम, श्री	शाहजहाँपुर
रूल्हा सिंह, श्री	सहारनपुर
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणिजी)	इलाहाबाद
लटूरी सिंह, श्री	एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकपति, श्री	मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री	आगरा
विद्या सागर नौटियाल, श्री	टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कुमार तिवारी श्री	फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
विशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, श्री	गाजियाबाद
वृद्धि नारायण सिंह, श्री	वाराणसी
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री	मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री	बाँदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बाँदा
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री	नैनीताल
शिव बालक, श्री	रायबरेली
शिव मंगल सिंह, श्री	मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री	अलीगढ़

शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी गढ़वाल
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिवबाबू, श्री	गोरखपुर
शेर बहादुर, श्री	फैजाबाद
शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम नरायन तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री	बिजनौर
श्रीकृष्ण गोयल, श्री	बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री	उन्नाव
संतीश अजमानी, श्री	खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहाँपुर
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री	नैनीताल
सन्त बख्श रावत, श्री	लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती	बदायूं
सरजू प्रसाद सरोज, श्री	प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
साहब सिंह, श्री	गाजीपुर
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री	शाहजहाँपुर
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुखबीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
सुजान सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
सुमन लता, श्रीमती	कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री उर्फ मुन्नी	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री	जालौन
सुल्तान सिंह, श्री	मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
सूरजभान पंडित श्री	अलीगढ़
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री	मेरठ
सोमाँश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
स्वामी नेमपाल, श्री	बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा
हर गोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर
हरदेव, श्री	बलिया
हरनारायन सिंह, श्री	रायबरेली
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बाँदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
हरि प्रसाद कुरील, श्री	उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
हरि सिंह, श्री	बुलन्दशहर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
हरी शंकर, श्री	हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हेमचन्द्र निमेष, श्री	मेरठ

नोट—नगर विकास एवं आवास राज्य मन्त्री श्री अरुण कुमार सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 29 मार्च, 1984

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

फल और सब्जी की कीमतों में वृद्धि

**1—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत कुछ महीनों से फल तथा सब्जियों की कीमतों में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है ? यदि हाँ, तो क्यों तथा शासन इस वृद्धि को रोकने के लिए कौन-कौन से कारगर कदम उठा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि राज्य मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)—

जी नहीं।

श्री सरदार सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, जो आजकल बाजार में सब्जी के भाव चल रहे हैं, उनके बारे में क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले महीने की अपेक्षा दाम बढ़े हैं ?

श्रीमती बेनी बाई—

मान्यवर, दाम बढ़े नहीं हैं। कम हुए हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि बाजार में सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इसकी जानकारी किन उपायों से उन्होंने की ?

श्रीमती बेनी बाई—

मान्यवर, मेरे पास दिसम्बर, 1983 के आँकड़े हैं। उसमें मुख्य सब्जियाँ चार हैं—आलू, मटर, गोभी और टमाटर। दिसम्बर 1983 में आलू का दाम 175 से 90 हुआ, टमाटर का दाम 570 रुपये से 130 रुपये हुआ, हरी मटर का 580 से 270 हुआ और फूल गोभी का भाव 80 रुपये से 120 रुपये हुआ है। मान्यवर, जो चार मुख्य मंडियाँ हैं—लखनऊ, कानपुर, आगरा और वाराणसी—इनकी यह स्थिति है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा कि भाव बढ़े नहीं हैं, घटे हैं। इसका पता इनको कैसे चलेगा, क्योंकि ये तो खरीदने जाती नहीं होंगी ? यह देखते हुये कि तरकारी की उपज शहरों के चारों तरफ के इलाकों में होती है और जो मंडियाँ माननीय मंत्री जी ने बतायीं, इन चारों में जो डेवलपमेन्ट अथारिटी काम कर रही हैं, और इनका जो एरिया है, वह अधिकतर वही एरिया है जहाँ सब्जी उगाई जाती हैं। क्या इसकी वजह से सब्जियों की पैदावार में दिन ब दिन कमी आ रही है ? इस चीज को ध्यान में रखते हुये माननीय मंत्री जी कोई ऐसा तरीका अपनायेंगी जिससे सब्जियों की पैदावार में कमी न आये ?

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

श्रीमन्, जहाँ तक सब्जियों की पैदावार में कमी आने का ताल्लुक है, पैदावार में कमी डेवलपमेन्ट अथारिटी के कारण नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक कृषकों के हितों का संबंध है, उसमें सरकार सदैव सक्रिय रहती है, सजग रहती है और जैसी आवश्यकता रहती है, उसके मुताबिक कदम उठाते हैं।

श्री अजीत सिंह सेठी—

मान्यवर, मेरा कहना था कि जो काश्तकार सब्जी पैदा करते हैं, वे आढ़तियों को अपनी सब्जी सस्ती बेचते हैं। आढ़ती उसको खरीदता है फिर फुटकर बेचने वालों को महंगा देता है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या मंत्री जी ऐसा इन्तजाम करेंगे कि सब्जियों को बोने वाला जो है जो आढ़तिये से लोन लेता है और उनके हाथ ही बेचता है तो उसके लिए कोआपरेटिव के जरिये से सुविधा देंगे कि जिससे किसान को फायदा हो सके ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, मैं सरदार जी को बधाई देना चाहता हूं उन्होंने सरकार के पक्ष की ताईद की है कि सब्जियों के दाम कम हो रहे हैं, हैं, लिहाजा माननीय सदस्यों को यह यकीन हो जाना चाहिये कि दाम बढ़े नहीं हैं, घटे हैं।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

माननीया मंत्री जी के उत्तर के संबंध में। उन्होंने बताया कि चार प्रकार की सब्जियाँ

प्रमुख रूप से हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक उपयोग होने वाली सब्जियाँ कटहल, और बैंगन हैं, तो इनको प्राथमिकता में क्यों नहीं रखा गया है ?

श्रीमती बेनी बाई—

मान्यवर 4 की जगह हमने 6 कर दिया है।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विपणन की उचित व्यवस्था न होने की वजह से काश्तकारों की सब्जियों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है और बिचौलिये उसका लाभ कमाते हैं, उपभोक्ता भी नुकसान में रहता है। अतः कम मूल्य मिलने की वजह से काश्तकारों को सब्जियाँ उगाने में उत्साह नहीं रहता है, तो क्या एसी विपणन की व्यवस्था करेंगे, ताकि काश्तकारों को अधिक से अधिक दाम सब्जियों के मिल जाय ?

श्री यशपाल सिंह—

यदि प्रश्नकर्त्ता से इस बात की इजाजत दिलवा दें तो यकीनन ऐसी व्यवस्था की जायेगी। वैसे सरकार की व्यवस्था रही है कि सब्जियों की व्यवस्था ठीक रहे और काश्तकारों को अच्छा पैसा मिले।

श्रीमती महारानी दोहरे—

माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो सोया, मेथी और पालक आदि की सब्जियाँ हैं, उनको जो कृषक मजदूर हैं, बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं और उनको जड़ से नहीं उखाड़ते हैं, लेकिन शहरों में उसे मय जड़ के उखाड़कर ले आते है जिससे दुबारा उससे सब्जी नहीं मिल पाती है, तो क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो सब्जी मंडियों में आती हैं जैसे पालक, मेंथी, सोया, वह सही तरीके से आये और बाजार में ठीक से बेची जा सके जिससे वह सस्ती भी मिलेगी ?

श्रीमती बेनी बाई—

मान्यवर, शाक सब्जियों में पालक, मेथी भी आ जाती है और बाजार में अच्छी बिकती है। मैं जानती हूं कि वह ज्यादा पैदा होती है। शुरू में थोड़े दाम ज्यादा होते हैं। बीच में दाम कम हो जाते हैं और जब खतम होने को आती है तो भाव बढ़ जाते हैं।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन, यह देखते हुए कि सब्जियों की कीमत बढ़ने के दो कारण हैं, एक तो यह कि मंडी स्थल शहर से दो तीन मील दूर बने हैं, वहाँ से सब्जी लाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च ज्यादा आता है, जैसे हमारे मुरादाबाद में है। दूसरा, शहरों के आस पास डेवलपमेंट अथरिटीज ने कब्जा करना शुरू कर रखा है जिससे जो बागवान सब्जी उगाते थे, उनकी जमीन उसमें चली जा रही हैं। उनके द्वारा एक्वायर करने के कारण सब्जियां कम होती हैं, यह भी उनके सामने एक समस्या है जससे सब्जियाँ कम हो रही हैं, तो क्या इन दोनों चीजों पर विचार कर सब्जियों की कमी न हो इस पर कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि न तो सब्जियों का उत्पादन गिरता जा रहा है और न ही उनकी कीमतों में कुछ बढ़ोत्तरी हो रही है। यह समस्या जो माननीय सदस्य ने सामने रखी है कि डेवलपमेंट अथारिटी के जो कार्य हैं, वह शहर के चारों तरफ फैल रहे हैं और उससे उन कृषकों को जो खासतौर से सब्जी उगाते हैं, उनकी जमीन एक्वायर की जा रही है, इस संबंध में मैं नगर विकास मंत्री को अवश्य लिख दूंगा।

श्री नन्द किशोर सिंह—

किसानों की उत्पादित वस्तुओं के दाम गिर रहे हैं और कारखानों से उत्पादित वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसी व्यवस्था आप करेंगे कि सब्जियों के भाव रुके रहें और कम न हों ?

श्रीमती बेनी बाई—

आप पहले यह निश्चित कर लें कि भाव घटाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

मान्यवर, दालों के भाव इतने बढ़े हैं कि सामान्य व्यक्ति जो उन पर निर्भर करता है, उसकी रुझान सब्जियों पर बढ़ी है, और सरकारी जितने फार्म हैं, उनमें ज्यादातर सब्जी नहीं पैदा की जाती हैं, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कृषि के जितने सरकारी फार्म हैं, वहाँ गल्ला का उत्पादन बन्द करके सब्जियों का क्या उत्पादन करायेंगे ?

श्री यशपाल सिंह—

जी नहीं।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, मन्त्री जी ने बताया कि सब्जियों के दाम कम हुए हैं और साथ ही सब्जियों की सूची सदन में रखी। मैं यह जानना चाहता हूं कि सब्जियों के साथ उनकी सूची में फल कौन-कौन हैं, और फलों में कहाँ-कहाँ कमी आई है ?

श्री अध्यक्ष—

फल तो सब्जी का हिस्सा नहीं होता है।

श्रीमती बेनी बाई—

मान्यवर, सन्तरा, अमरूद, बेर आदि हैं।

अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी एक-एक किलो सब्जी और फल इनके घरों में पहुंचा दें।

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, यदि आप इजाजत दें तो मैं माननीय सदस्यों को जिनको महंगाई की शिकायत है, मेरे यहाँ एक सब्जी पातगोभी है [× × ×] मैं उनको एक-एक किलो भेज सकता हूं।

इसके साथ ही मान्यवर, मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि सम्मानित सदस्य किचेन गार्डेन की जरा आदत डालें तो यह शिकायत नहीं रहेगी।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(क) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में मलेरिया का प्रकोप एवं रोक थाम के लिए निर्धारित कार्यक्रम

*1—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि वर्ष 1983 में लगभग सारे प्रदेश की अधिकांश जनता मलेरिया ज्वर से पीड़ित रही, जिसके कारण प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था एवं प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ? क्या वर्ष 1984 में मलेरिया के प्रकोप, जो साधारणतया ग्रीष्म ऋतु के साथ प्रारम्भ होता है, को कम करने के लिए तुरन्त मलेरिया के कैरियर व्यक्तियों का पता लगाकर तथा इनका उपचार करने की कोई रूपरेखा स्वास्थ्य विभाग ने बनाई है ? यदि हाँ, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री हरि सिंह)—

विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 1983 में मलेरिया का प्रकोप प्रदेश के मुख्यतः पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक रहा। मलेरिया की रोकथाम के लिए इस वर्ष के कार्यक्रम की रूप रेखा निम्नवत् है —

(1) प्रदेश के अधिक प्रभावित क्षेत्रों में कीटनाशक औषधियों का एक विशेष छिड़काव चक्र 20-2-84 से किया जा रहा है जो 30-3-84 तक पूरा कर लिया जायगा। इस विशेष छिड़काव चक्र से इन क्षेत्रों में मलेरिया के प्रकोप को रोकने की पूरी आशा है।

(2) प्रदेश के समस्त जनपदों को मलेरिया निरोधक औषधियाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दी गयी हैं।

(3) सर्वेक्षण कार्यक्रम को चुस्त बनाने हेतु तथा मलेरिया घनात्मक रोगियों को यथाशीघ्र आमूल उपचार देने के आदेश भी दे दिए गये हैं।

(4) स्वैच्छिक संस्थाओं तथा सामुदायिक कार्यकर्ताओं को मलेरिया कार्यक्रम में पूर्ण रूप से सम्मिलित करने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है।

श्री जयदीप सिंह बरार—

श्रीमन्, मैं मन्त्री जी का ध्यान मूल प्रश्न की ओर ले जाने चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि 1983 में लगभग सारे प्रदेश की अधिकांश जनता मलेरिया ज्वर से पीड़ित रही, जिसके कारण प्रदेश की अर्थ व्यवस्था एवं प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मन्त्री जी ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे मैं समझता हूं कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। तो अब मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जो मलेरिया का इतना प्रकोप रहा है कि प्रत्येक गाँव में लोग मलेरिया से पीड़ित रहे, तो क्या उन्होंने कोई जाँच कराई हैं, जैसा उन्होंने पश्चिमी

नोट—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।]

क्षेत्र का उल्लेख किया है कि बरेली, रामपुर और मुरादाबाद में कितने प्रतिशत लोग मलेरिया से पीड़ित थे ?

श्री हरि सिंह—

मेरे पास जिलेवार कलेक्टिव संख्या मौजूद है, लेकिन इस तरह का ब्योरा मेरे पास नहीं है। इसके लिए मुझे सूचना चाहिए।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मैंने जो आँकड़े माँगे, उसको वह नहीं दे सकते हैं, लेकिन वह अपने उत्तर का पहला भाग देखें–प्रदेश के अधिक प्रभावित क्षेत्रों में कीटनाशक औषधियों का विशेष छिड़काव चक्र 20–2–84 से किया जा रहा है, जो 30–3–84 तक पूरा हो जायेगा, तो मैं इस पर अपनी जानकारी देते हुए यह बताना चाहता हूं कि कहीं भी हमारे क्षेत्र में, जिले में, नगरों के अलावा, ग्रामीण क्षेत्र में दवाओं का ऐसा स्प्रे नहीं हुआ है, इसको सही मानकर क्या मन्त्री जी यह सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे कि जो स्प्रे यह करा रहे हैं, उसकी पूर्व सूचना हमें पहले मिल सके, ताकि हम लोग भी देख सकें कि स्प्रे होता है या नहीं ?

श्री हरि सिंह–

जैसा कि मैंने मूल उत्तर में कहा है यह बाकायदा गाँवों में छिड़काव किया जाता है। जब वह छिड़कने जाते हैं तो गाँव प्रधानों से लिखवा कर लाते हैं कि इस इस गाँव में छिड़काव किया गया। मलेरिया रोकने के लिए जो वह जानकारी रखने की बात कहते हैं, तो यह हमारे विभाग का प्रोसेस है, यह लगातार चलता रहता है, अलग से सूचित करने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता हूं।

श्री राजकुमार राय—

मन्त्री जी ने पश्चिमी क्षेत्र में प्रकोप की बात कही, लेकिन पूर्वी जिलों के बारे में नहीं रखा है, तो क्या उनके पास पूर्वी जिलों के भी आँकड़े हैं कि वहाँ कितने लोगों को उन्होंने देखा है और उसमें से कितने लोगों की है ?

श्री हरि सिंह—

मैंने यही कहा है कि हमारे पास इस वक्त क्लेक्टिव सूचना है, लेकिन किस-किस जिले में कितना-कितना है, उसकी तफसील-वार जानकारी मेरे पास नहीं है। कहेंगे तो भिजवा दूंगा।

श्री राजकुमार राय—

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से और आपका संरक्षण चाहते हुए यह जानना चाहता हूं कि मन्त्री जी के उत्तर का आधार क्या है कि पश्चिमी जिले में ज्यादा लोग पीड़ित पाए गये, और पूर्व में नहीं पाये गये ? जबकि पूर्व में भी ज्यादा लोग मलेरिया से पीड़ित रहे हैं और किसी गाँव में ठीक से छिड़काव नहीं हो रहा है, हम स्वयं पीड़ित हैं. . . .

(व्यवधान)

कहीं भी स्प्रे नहीं हो रहा है तो मैं निवेदन करूंगा कि वह उसका आधार बता दें ? कैसे कह दिया कि पूर्व में मलेरिया ज्वर का प्रकोप कम है।

श्री हरि सिंह—

इसका हमारा आधार है, जहाँ से इसकी सूचना मिलती है, हमारे आदमी गाँव में जाकर खून इकट्ठा करते हैं और उसका स्लाइड्स बनाकर उसकी जाँच करते हैं और फिर उसके आधार पर कहा जाता है। जहाँ तक पूर्वी जिले का सम्बन्ध है, वहाँ मलेरिया के साथ-साथ फाइलेरिया आदि जो उसकी दूसरी किस्में भी हैं, वह भी होती हैं।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न को मैं प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सुपुर्द कर रहा हूं ताकि जाँच ठीक से हो जाए और माननीय सदस्य सन्तुष्ट हो सकें।

फर्रुखाबाद जिला सहकारी बैंक लि० में गबन

*2—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद की सहकारी बैंक लि0 शाखा नवाबगंज में तीन लाख रुपए के गबन का मामला वर्ष 1983 में

प्रकाश में आया था ? यदि हाँ, तो इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री बच्चा पाठक)—

फर्रुखाबाद जिला सहकारी बैंक लि0 की शाखा नवाबगंज में वर्ष 1983 में रुपया 3,06,125.30 के गबन का मामला प्रकाश में आया था। उक्त प्रकरण से सम्बन्धित कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी गयी है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, जिला सहकारी बैंक, फतेहगढ़ जो गबन के मामले की जननी है, वहाँ पर जो दोषी अधिकारी हैं, क्या उनको ट्रांसफर करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या माननीय सहकारिता मन्त्री जी, जिला सहकारी बैंक फर्रुखाबाद में जो इस गबन के मामले के सूत्रधार हैं, उनको भी वहाँ से ट्रांसफर करेंगे तथा इनका आडिट करायेंगे ?

श्री बच्चा पाठक—

अगर वहाँ ऐसे कर्मचारी होंगे, तो उसकी भी जाँच करवा लेंगे।

श्री मित्रसेन—

इस गबन के मामले में भ्रष्टाचार में कौन-कौन लोग दोषी पाए गये तथा उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक—

इसमें शाखा प्रबन्धक, खजाँची और प्रबन्धक को निलम्बित किया गया और एफ0 आई0आर0 भी दर्ज कराई गयी है।

श्री राजकुमार राय—

गिरफ्तार कितने लोग किए गये ?

श्री बच्चा पाठक—

इसकी सूचना नहीं है।

जौनपुर जिले की साधन सहकारी समितियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का कथित वितरण

*3—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री को ज्ञात है कि माह नवम्बर, दिसम्बर, 1983 एवं जनवरी, 84 में जनपद जौनपुर की अधिकांश साधन सहकारिता समितियों ने आवश्यक वस्तुओं का वितरण नहीं किया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री प्रभूनारायण सिंह—

मान्यवर, मेरा प्रश्न पहले अल्पसूचित के रूप में स्वीकार हुआ था, फिर प्रायरिटी पर रखा गया, यह समझ में नहीं आता कि इसमें कौन सी ऐसी सूचना है जिसमें इतना विलम्ब लग रहा है ? यह कब तक अब मंगा लेंगे ? और कौन-कौन सी सूचना उनके पास अब तक आ गयी है तथा कौन सी आनी शेष है ?

श्री बच्चा पाठक—

जल्द से जल्द सूचना मंगा ली जायगी।

[बृहस्पतिवार दिनांक 29 मार्च, 1984 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जिला पूर्ति अधिकारियों के नए वेतनमान सम्बन्धी शासनादेश

1—श्री मोहन सिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पूर्ति अधिकारियों के समस्त पदों को 850—1720 का नए वेतनमान से सम्बन्धित शासनादेश अभी तक निर्गत नहीं किया गया ? क्या यह सही है कि द्वितीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर शासकीय संकल्प के उप प्रस्तर 121 के अनुसार संकल्प के संलग्नक—1 के स्तम्भ-5 तथा उप प्रस्तर (1) के अधीन रहते हुए वेतन आयोग द्वारा संस्तुत नए वेतनमान दिए जाने का निर्णय लिया गया था तो शासनादेश निर्गत न करने का क्या कारण है ?

खाद्य एवं रसद राज्य मन्त्री (श्री जैराज गौतम)—

वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर शासकीय संकल्प दिनाँक 29—9—81 के उप प्रस्तर—19 में जिला स्तर के अधिकारियों हेतु लिए गये निर्णय के आधार पर जिला पूर्ति अधिकारियों के नए वेतनमान विषयक शासनादेश दिनाँक 30—8—83 को जारी कर दिया गया है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, वेतनमान के सम्बन्ध में उनका प्रतिवेदन क्या था और आपने जो राजाज्ञा प्रसारित की है, उसमें क्या वेतनमान निर्धारित किया है ?

खाद्य मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मान्यवर, जो द्वितीय वेतन आयोग ने राज्य सरकार को सुझाव दिया था, उसमें था कि समस्त जिला पूर्ति अधिकारियों का वेतनमान 850–1720 होगा। उसके बाद द्वितीय वेतन आयोग ने उस पर यह भी रोक दिया कि जो अधिकारी 3 श्रेणी के होंगे, उनके बारे में कुछ कन्ट्रडिक्शन कर दिया। शासन के संकल्प के पैरा 19 में आपने पढ़ा होगा, उसमें स्पष्ट था कि 450–950 के वेतन क्रम के जिला स्तर के अधिकारियों को 770–1600 का वेतनक्रम दिया जाय। इस वजह से 450–950 के वेतन क्रम के अधिकारियों को 850–1720 का वेतनक्रम नहीं दिया जा सका है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर,वेतन आयोग की संस्तुति लागू होने से पूर्व सभी जिला स्तर, पी0सी0 एस0 रैंक के अधिकारी जो थे, उनका वेतन मान एक तरह का था। उसके बाद उसमें विसंगतियाँ पैदा हुयीं और उसके सम्बन्ध में जो जिला पूर्ति अधिकारी लोग थे, उनके संगठन ने एक प्रतिवेदन शासन को दिया कि जो विसंगतियाँ पैदा हो गयी हैं, उनका मार्जन किया जाय। मन्त्री जी ने आज से कुछ दिन पूर्व राजाज्ञा प्रसारित कर दी, तो मैं जानना चाहूंगा कि जो आपने राजाज्ञा प्रसारित की है, वह उनकी माँगों के अनुरुप है या जो विसंगति है जिसकी पूर्ति के लिए उन्होंने आवेदन दिया था, इसी को आपने दोहरा दिया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

उनकी माँगों के अनुसार नहीं थी।

(लाबी में शोर होने पर)

एक सदस्य—

मान्यवर, शोर हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, देखिए उधर शोर क्यों हो रहा है।

गढ़वाल जिले की जल संस्थान के जल-कर की दर

*2—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि प्रदेश भर में गढ़वाल जल संस्थान द्वारा अपने उपभोक्ताओं से सब से अधिक दर से जल कर वसूला जाता है जिसको कम करने के लिए उपभोक्ता निरन्तर शासन से माँग करते आ रहे हैं ? यदि हाँ, तो शासन ने उक्त माँग के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

नगर विकास राज्य मन्त्री (श्री अरुण कुमार सिंह)—

यह सही नहीं है कि प्रदेश भर में गढ़वाल जल संस्थान द्वारा सबसे अधिक दर से जल कर लिया जाता है। उक्त कर क्योंकि नियमानुसार आरोपित किया गया है। अतः उसे कम करने से सम्बन्धित माँग स्वीकृत करना सम्भव नहीं पाया गया।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

प्रदेश भर में जल कर की जो दरें हैं क्या वे समान हैं, यदि कहीं-कहीं भिन्न हैं, तो कहाँ-कहाँ और उसके क्या कारण हैं ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, लखनऊ, वाराणसी और इलाहाबाद को छोड़कर और जगह प्रायः समान हैं।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, यह देखते हुए कि पहाड़ों का पानी मैदानों में आता है। पानी को साफ करने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है और पानी के जो स्रोत हैं उस पर सरकार ने कब्जा कर लिया है। इन स्रोतों का पानी हम स्वयं नहीं ले जा सकते, इसकी कानूनी बन्दिश है। इसको देखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि पहाड़ों के अन्दर जो पानी पिलाया जा रहा है, उसकी दर आधी कर दी जाय ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं कि पानी भी आपकी देन है और सरकार भी आपकी देन है। पानी और सरकार में आप फर्क क्यों महसूस कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इनकी देन कहाँ से हो गयी, यह तो भगवान की देन है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

सरकार में पानी कहाँ रह गया है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, दरों में कोई बड़ा अन्तर नहीं है। मान्यवर, जल संस्थान की वित्तीय स्थिति दयनीय है। 2 करोड़ रुपया जल संस्थान पर बाकी है। ऐसी स्थिति में यह सम्भव नहीं है कि जलकर को कम किया जा सके।

*3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

(दिनाँक 8–9–83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 23 द्वारा उत्तरित)

लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल के गन्दे पानी की निकासी हेतु नाले की सफाई

*4—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या नगर विकास मन्त्री बतायेंगे कि उन्हें दिनाँक 22–7–83 को प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित एक शिकायती-पत्र नगरमहापालिका की लापरवाही के कारण लखनऊ स्थित बलरामपुर चिकित्सालय के गन्दे, पानी की निकासी की समस्या से सम्बन्धित प्राप्त हुआ था ? यदि हाँ, तो शिकायते क्या हैं और उसके निराकरण हेतु शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हाँ।

पत्र में लखनऊ में स्थित बलरामपुर अस्पताल के नव-निर्मित प्राइवेट वार्ड के सामने अस्पताल की उत्तरी सीमा पर बहने वाले नाले की सफाई न किए जाने की शिकायत की गयी थी और उसकी अविलम्ब सफाई कराने हेतु कहा गया था। शिकायत पर तत्परता से कार्यवाही करके नाले की सफाई करा दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो सफाई के आदेश दिए गये हैं, ये कब दिए गये और क्या आदेश देने के बाद इस बात की छानबीन भी की गयी कि वास्तव में मौके पर सफाई करा दी गयी ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, यह शिकायती-पत्र जो है 12–8–83 को प्राप्त हुआ था, उसके बाद तत्काल ही कार्यवाही करने के लिये आदेश दे दिये गये और दिनाँक 23–8–83 तक नाले की सफाई पूरी कर दी गयी। माननीय सदस्य ने जो दूसरी चीज के बारे में जानकारी चाही है, उसके बारे में बलरामपुर अस्पताल के जो एडीशनल सुपरिंटेंडेंट थे, उनको मौके पर दिखा भी दिया गया और जाँच करा दी गयी।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, दुर्भाग्यवश मुझे भी 19 जनवरी से 6 फरवरी तक बलरामपुर हास्पिटल में रहने का मौका मिला था, तो मैंने देखा था कि सफाई कहीं भी नहीं हुई थी। क्या माननीय मन्त्री जी बीमारों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, यदि सफाई नहीं हुई, है, तो उसको तत्काल कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, नाले तो ऐसे गन्दे हो ही जाया करते हैं, तो वह तो दैनिक प्रशासन की बात है, वह तो करवा ही दिया जायगा।

नेशनल कालेज आफ नैचुरोपैथी एण्ड रिसर्च, लखनऊ को मान्यता दिए जाने की मांग

*5—श्री रियासत हुसैन—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशक उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा दि0 7–3–80 को प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता के सम्बन्ध में शासनादेश जारी किया गया था ? क्या यह सही है कि नेशनल कालेज आफ नेचुरोपैथी ऐंड रिसर्च, लखनऊ को अब तक मान्यता नहीं दी गयी ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री हरि सिंह—

जी नहीं।

जी हाँ।

शासन ने केवल प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को ही मान्यता दी है, किसी संस्था विशेष को नहीं ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जब उस नेचुरोपैथी सिस्टम को मान्यता दे दी है, तो उस आधार पर जो इंस्टीट्यूशन्स इलाज करते हैं और कामयाब ढंग से करते हैं, तो उनको भी रिकग्नाईज करने पर कुछ ग्रान्ट देने पर विचार करेंगे ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, अभी ऐसी कोई सरकार की योजना नहीं है ।

प्रदेश के मण्डल स्तर पर मेडिकल कालेज की स्थापना की मांग

*6—श्री मित्रसेन

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के मण्डल स्तर पर मेडिकल कालेज खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो फैजाबाद मण्डल जो पूर्वांचल में सबसे पिछड़ा मण्डल माना जाता है, में विगत वर्षों से बराबर मेडिकल कालेज खोले जाने की जनता की माँग के बावजूद अभी तक इस दिशा में कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है शासन द्वारा इस प्रस्ताव पर कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायगी ?

श्री हरि सिंह—

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैंने सरकार से एक नीतिगत प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार मण्डल स्तर पर मेडिकल कालेज खोलने के लिए तैयार है या विचार कर रही है ? क्योंकि फैजाबाद मण्डल पूर्वांचल में सबसे पिछड़ा हुआ है और उसमें कहीं पर भी मेडिकल कालेज नहीं है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि सिद्धान्ततः मेडिकल कालेज खोलने के लिए आधार क्या है, मानक क्या हैं ? प्रदेश में किन-किन मण्डलों में मेडिकल कालेज हैं और किन-किन मंडलों में नहीं है ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, मेडिकल कालेज खोलने का आधार तो यह है कि उसके लिए उपयुक्त जगह, स्थान और फाइनेंस मिलने का सवाल है। इस समय हमारे उत्तर प्रदेश के पास ऐसे साधन नहीं हैं जिसके आधार पर नये मेडिकल कालेजेज खोले जा सकें।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, दूसरे प्रश्न का मेरा उत्तर नहीं आया कि प्रदेश में किन-किन मंडलों में मेडिकल कालेजेज हैं और किन-किन मंडलों में नहीं हैं। मान्यवर, मन्त्री जी ने अपने उत्तर में जो मेडिकल कालेजेज खोलने के लिए जगह की बात कही कि जगह नहीं है, अगर फैजाबाद में मेडिकल कालेज खोलने के लिए जगह दे दी जाय तो वहाँ पर माननीय मन्त्री जी मेडिकल कालेज खोलने पर विचार करेंगे ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, हमारे जो मेडिकल कालेजेज हैं वे गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, झांसी मेरठ वगैरह में, इस तरह से हमारे 7 मेडिकल कालेजेज हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मेडिकल कालेजेज खोलने के क्या मानक हैं और उन मानक के तहत कितने जिले आते हैं और उनमें कब तक मेडिकल कालेज खोलने का विचार है ?

श्री अध्यक्ष—

मानक के बारे में बता चुके हैं, आप बैठिए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, मानक के बारे में नहीं बताया है।

श्री अध्यक्ष—

आपने सुना नहीं, आप बैठिए।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, स्पष्ट उत्तर नहीं आया। मैंने पूछा था कितने मण्डल प्रदेश में हैं किन-किन मण्डलों में मेडिकल कालेज हैं और किन-किन में नहीं हैं? मेडिकल कालेज खोलने के

जो आधार हैं, अग[illegible] उसको पूरा करता है, तो क्या म[illegible] मेडिकल कालेज खोलने पर विचार [illegible] ?

श्री हरि सिंह—

मण्डल के आधार पर मेडिकल कालेज खोलने की योजना नहीं है, जितने मेडिकल कालेज हैं, उनका नाम और स्थान बता दिया।

श्री मित्रसेन—

मेडिकल कालेज खोलने के जो आधार हैं यदि फैजाबाद मण्डल उसको पूरा करता है तो क्या मन्त्री जी वहाँ मेडिकल कालेज खोलने पर विचार करेंगे ?

श्री हरि सिंह—

इसको देखना पड़ेगा कि धन की उपलब्धता क्या है, संसाधन क्या है ? अभी मैं नहीं कह सकता हूं कि विचार किया जायेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

श्री माननीय मन्त्री जी ने तमाम मेडिकल कालेजों का नाम बताया और उसमें गोरखपुर का नाम लिया। नए मेडिकल कालेज खोलने के लिए वित्तीय व्यवस्था मन्त्री जी के पास नहीं है। तो जो मेडिकल कालेजेज खुले हुए हैं, उनमें जो जरूरी आपरेटस हैं, उनकी व्यवस्था करेंगे ? क्योंकि मेरी निश्चित जानकारी है कि गोरखपुर मेडिकल कालेज में यह कोई भी सामान उपलब्ध नहीं है। क्या मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जो मेडिकल कालेज खुले हैं उनमें जो जरूरी सामान मरीजों और डाक्टरों के लिए आवश्यक है उसको मुहइया करायेंगे?

श्री हरि सिंह—

मेडिकल कालेजों में सारी सामग्री करीब-करीब है। जिस जगह उपलब्ध नहीं, कहीं कोई विशेष कमी है, मुझे लिखकर दे दें। मैं देख लूंगा।

श्री मित्रसेन—

मैं यह जानना चाहता हूं कि सिद्धान्ततः मण्डल स्तर पर इंजीनियरिंग कालेज और मेडिकल कालेज खोलना सरकार ने स्वीकार किया था। इस पर फैजाबाद मण्डल मेडिकल कालेज खोलने के लिए वहाँ की जनता, जन-प्रतिनिधि और समाजसेवी संस्थाओं न प्रतिवेदन दिया। शासन ने आश्वासन दिया था कि फैजाबाद में सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोण्डा, बहराइच, प्रतापगढ़ जैसे पिछड़े जिले हैं, वहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेज दिया जायगा। सुल्तानपुर में खोल दिया गया। फैजाबाद में विचार था। आज मन्त्री जी इंकार कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार को और मन्त्री जी को कितने प्रतिवेदन मिले हैं ?

श्री हरि सिंह—

मैंने निवेदन किया कि अभी नये मेडिकल कालेज स्थापति करने की योजना सरकार की नहीं है।

गंगा नदी के प्रदूषण को दूर करने की मांग

*7—श्री रेवती रमण सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नदियों के प्रदूषण और खासतौर से गंगा नदी में प्रदूषण को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं ? यदि हाँ, तो क्या और कब तक इन पर क्रियान्वयन हो सकेगा ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

शासन द्वारा प्रदेश में गंगा तथा अन्य प्रमुख नदियों के जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु विभिन्न स्थानीय निकायों एवं उद्योगों से प्रदूषण नियन्त्रण योजनाएं तैयार करा कर लागू किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रदूषण नियन्त्रण योजनाओं में भारी व्यय निहित है। अतः आगामी दस वर्षों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसका कार्यान्वयन धन की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

श्री रेवती रमण सिंह—

मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है, यह स्पष्ट नहीं है। किन नदियों में प्रदूषण है, उन प्रदूषण को दूर करने के लिए जो योजना बनी है, कब तक क्रियान्वित होगी, कब से शुरु होगी और कितना धन 84–85 के लिए आवंटित किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

मार्शल लाबी के इस गेट में यदि कुन्डा हो, तो ताला डलवा दें, उधर से माननीय सदस्य आया करें।

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, मुख्यतः प्रदूषण गंगा और जमुना नदियों में है। अन्य छोटी नदियों में कोई खास नहीं है, जमुना से बड़े नगर प्रभावित होते हैं।

यहाँ पर मान्यवर, जो दूसरा सवाल किया है, मुख्य रूप से नदियों के लिए, उसके लिए धन नहीं है, इसमें धन की कमी है। मान्यवर, मैंने पहले भी निवेदन किया था लेकिन इस वित्तीय वर्ष 1983–84 में प्रदूषण में दो मुख्य बातें हैं, एक तो गन्दे नाले हैं, दूसरा उद्योग। उद्योगों के आधार पर जो कल कारखाने लगे हैं, और गन्दे नालों को निकाल कर जाते हैं यह प्रदूषण का कारण है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, उद्योग बोर्ड द्वारा यह किया जा रहा है कि इसे जल्दी लगाया जाय।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, प्रदूषण नदियों की गम्भीर समस्या बन गयी है और केन्द्रीय योजना आयोग बोर्ड ने जो रिपोर्ट दी, उसमें उसने कहा है कि नदियों का जल इतना प्रदूषित हो गया है कि पीने के काबिल नहीं रह गया है। इन्होंने कहा कि 1983–84 में कुछ उद्योगों को इन्होंने ले लिया हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 1983–84 में हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी इन चारों जिले का प्रदूषण रोकने के लिए निश्चित कदम उठायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, इन्होंने चार जिलों का जिक्र किया लेकिन एक जिला छोड़ गये, इन्होंने कानपुर के बारे में नहीं कहा।

श्री रेवती रमण सिंह—

कहा है, मान्यवर।

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया कि कानपुर के लिए जब इलाहाबाद से वह आगे चलती है तो कानपुर से प्रदूषण ज्यादा होता है। मान्यवर, इसके लिए एक अलग से व्यवस्था की गयी है।

जाजमऊ टेनरीज हैं, उन पर दबाव डाला गया है बोर्ड की तरफ से कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट लगा लें। जैसा कहा गया है कि धन का अभाव है। इसमें और व्यय की बात है। बहुत बड़ी धनराशि इसमें व्यय होगी यह निश्चित है, आज इन नदियों का जल बहुत बड़े पैमाने पर प्रदूषित गया है, उसको निस्तारित करना आवश्यक है। इसमें शासन जो कदम उठा रहा है, उसमें कुछ अवरोध हैं। मान्यवर, जब उन पर काफी दवाब डाला जाता है, कार्यवाही की जाती है, कानूनी व्यवस्था उपलब्ध है, वह स्टे आर्डर ले लेते हैं तो मान्यवर, जो सीवेज ऐक्ट है यह भारत सरकार का है, उत्तर प्रदेश शासन इस पर सीधे अतिक्रमण नहीं कर सकता है इसलिए मान्यवर, भारत सरकार को सुझाव दिया है इस पर मजबूत कदम उठाने के लिए, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो सुझाव दिए गये हैं, उन पर विचार हो रहा है।

श्री अशोक कुमार बाजपेयी—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि सीवेज ऐक्ट कन्ट्रोल के अन्तर्गत व्यवस्था है, एक फुल टाइम चेयरमैन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए फुल-टाइम चेयरमैन की व्यवस्था नहीं की है, क्या इसमें कोई व्यवस्था फुल-टाइम चेयरमैन के लिए है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

अभी तक तो व्यवस्था नहीं है लेकिन उसकी उपयोगिता को देखकर व्यवस्था कर दी जायगी।

श्री अशोक कुमार बाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो स्टेचुअरी रिक्वायरमेंट है कि एक फुल टाइम चेयरमैन होना चाहिये और जिसके न होने के कारण कई ऐसे मुकदमें है, जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा स्टे दिया हुआ है, तो क्या माननीय मंत्री जी फुल टाइम चेयरमैन नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया कि इस विषय में तमाम वाद न्यायालय में चल रहे हैं। माननीय सदस्य, स्पेसिफिक केस के बारे में बताएं तो जानकारी करा दी जायगी।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जबाव देखें कि दस साल के लिये योजना बना ली गयी है। मैंने वर्ष 1984–85 के लिये पूछा कि कितना धन आवंटित किया गया है, इस योजना के लिये, उसका स्पष्ट जबाव नहीं आया। पिछले चार सालों से यह सरकार बारबार कहती आ रही है कि प्रदूषण पर रोक लगाने की आवश्यकता है, लेकिन चार साल व्यतीत हो गये और पाँचवाँ लग गया है, लेकिन इस साल भी स्पष्ट नहीं बता रहे हैं कि 1984–85 में इसमें कितना धन लगायेंगे। गंगा के किनारे जो चार प्रमुख नगर हैं, उनमें विशेष रूप से इलाहाबाद में प्रदूषण का एक प्रमुख कारण यह भी है कि कि वहाँ शव जलाए और प्रवाहित किये जाते हैं। इसके लिये पहले एक योजना थी कि वहाँ एक विद्युत शव-दाह गृह बनाया जायगा। क्या उस योजना का क्रियान्वयन किया गया, यदि हाँ, तो कब किया गया ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, जैसा कि सम्मानित सदस्य ने बताया यह भी एक कारण है, क्योंकि हिन्दू संस्कृति के आधार पर शव दा ह गंगा के तट पर हुआ करता है और राख गंगा में प्रवाहित की जाती है। इसके बारे में मान्यवर आवश्यक है, उसके लिये प्रक्रिया अपनायी जायगी। दूसरे जहाँ तक धन की व्यवस्था की जो बात है, उसके लिये ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था की जायगी।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो अभी उत्तर में बताया, उसमें गंगा और यमुना नदियों के बारे में बताया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी, जिसमें प्रदूषण अधिकाधिक होता है, और जो प्रदेश की राजधानी के बीचों बीच में बहती है, उसके प्रदूषण को रोकने के बारे में माननीय मंत्री जी कोई कदम उठायेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, जरूर उठायेंगे।

फर्रुखाबाद जिला सहकारी बैंक लि० में गबन

8—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिला सहकारी बैंक लि0 की वर्ष 81–82 व 82–83 के आडिट में आडिट विभाग द्वारा 4,00,000 (चार लाख) का गबन पकड़ा गया है। यदि हाँ, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक—

फर्रुखाबाद जिला सहकारी बैंक लि0 की 81–82 के आडिट रिपोर्ट में प्रश्नगत गबन का कोई उल्लेख नहीं है। वर्ष 82–83 का आडिट सम्पन्न हो चुका है। उसकी अन्तरिम आडिट रिपोर्ट में बैंक की नबावगंज शाखा में रु0 3,06,125.30 के गबन का उल्लेख है।

मामले से संबंधित तीन कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया है तथा उनके विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है।

*9—श्री बदन सिंह—

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।)

नर्सिंग महाविद्यालय, कानपुर में प्रशिक्षित परिचारिकाओं की नियुक्ति

*10—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो परिचारिकायें सरकारी खर्च पर नर्सिंग महाविद्यालय कानपुर से 2 साल का बी0 एस0 सी0 कोर्स करके आई हैं उनको नर्सिंग स्कूलों में पोस्ट करने का विचार करेंगे ?

श्री हरि सिंह—

प्रदेश के नर्सिंग स्कूलों में ट्यूटर एवं पी0 एच0 एन0 ट्यूटर के पद स्वीकृत हैं जिन पर क्रमशः "स्थायी सिस्टर एवं वार्ड मास्टर" तथा "सिस्टर" में से तैनाती की जाती है। उक्त पदों पर नियुक्ति संबंधित सेवा नियमावलियों के प्राविधान के अनुसार की जाती है।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो कहा, उसके सिलसिले में जानना चाहता हूं कि जो प्रोमोशन करके ट्यूटर बना दी जाती हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट होती है। स्टाफ नर्सेस को भेजकर दो वर्षों की ट्रैनिंग करायी जाती है। इन पर ट्रैनिंग में सरकारी धन लगता है, तो ट्रैनिंग के बाद इनका उपयोग क्या होता है? जो काम पहले उनसे लिया जाता है। वही काम बाद में भी लिया जाता है। तो ट्रैनिंग के बाद इनका अच्छा उपयोग करने के लिये सरकार ने क्या कोई विचार किया है? मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि, जिनको आप ट्रैनिंग कराते हैं, उनका कोटा निर्धारित करके प्रोमोशन में उनको भी रखकर एडजेस्ट करने की कृपा करेंगे।

श्री हरि सिंह—

मान्यवर' जहाँ तक कोटे का प्रश्न है, नियमों में कहीं पर भी इसका प्राविधान नहीं है। ये सभी स्थान प्रमोशन के जरिये भरे जाते हैं। आपने जो ट्रैनिंग वाली बात कहीं, यह ट्रैनिंग सर्विस ट्रैनिंग होती है ताकि उनकी इफीसियन्सी में वृद्धि हो।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ट्यूटर बी0 एस-सी0 का कोर्स करना चाहते हैं, तो क्या उन सभी को बी0 एस0 सी0 का कोर्स करने की अनुमति शासन अपने खर्चे पर देगी?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री एस०के० मुट्टू कोल डिपो, नवलकिशोर रोड लखनऊ का नजूल भूमि का किराया

*11—श्री श्याम लाल वाजपेयी—

क्या नगर विकास मन्त्री को ज्ञात है कि श्री एस0 के0 मुट्टू, कोल डिपो, नवलकिशोर रोड, लखनऊ का नजूल भूमि का किराया निश्चित करने का मामला 1984 से शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो अब तक किराया निश्चित न करने के क्या कारण थे?

श्री अरुण कुमार सिंह—

श्री एस0 के0 मुट्टू का कब्जा उक्त भूमि पर अनधिकृत माना गया व वर्ष 1981 में यह निर्णय लिया गया कि यदि श्री मुट्टू प्रश्नगत भूमि का दण्डनीय बाजार दर से नजराना रु0 1,57,920 तथा रु0 3,948 वार्षिक किराया देने को तैयार हों तो नया पट्टा देने पर विचार किया जा सकता है।

श्री मुट्टू ने उक्त धनराशि पर पट्टा लेने की सहमति अथवा असहमति नहीं दी है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रश्न को दो अनुपूरक प्रश्नों में पूछूंगा। मैं, आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले 80 वर्षों से लखनऊ में नजूल की जमीन का कोई रेकार्ड है कि नहीं? यदि नहीं है, तो क्यों नहीं है और यदि हाँ तो वह कब से बनाया गया है? दूसरा, श्री एस0 के0 मुट्टू, 1956 से 120 रु वार्षिक के किरायेदार हैं और आज भी नजूल की भूमि में रह रहे हैं। जब आपके पास कोई रेकार्ड नहीं है, तो किस आधार पर उनको काबिज माना गया है?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, ऐसी बात नहीं है कि नजूल का कुछ भी रिकार्ड नहीं है। जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, उसी के आधार पर मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 1957 में उनको यह जमीन मिली थी और उसी आधार पर उनसे माँगा जा रहा है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह मेरी निश्चित जानकारी है और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि पिछले 80 वर्षों से नजूल की जमीन का कोई रिकार्ड लखनऊ में नहीं है। जो सूचना माननीय मंत्री जी, आपको दी गयी है, वह गलत है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि श्री एस0 के 0 मुट्टू, कोल डिपो, नवलकिशोर रोड पर रहते हैं। हसनगंज चौराहे पर श्री

श्री कृष्ण वर्मा की दुकान और मेडिकल कालेज के चौराहे पर श्री लालता प्रसाद वैश्य की पैट्रोल पम्प की दुकान और नया बी ब्लाक के सामने लीला होटल को आपने रु0 5, 2 रु0 और 3 रु0 प्रति फुट के हिसाब से जमीन दी है, जो अभी के नये काबिज हैं, जबकि श्री भुट्टू सन् 1956 से रह रहे हैं, तो किन कारणों की वजह से इनको नियमित नहीं किया गया। आपने ही सन् 1974 में इन से 23 हजार रुपये माँगे थे और अब आप उनसे एक लाख सत्तावन हजार नौ सौ बीस रुपये की माँग कर रहे हैं। उसने पैसा देने से इन्कार इसलिए कर दिया कि मेरे साथ भी वही निर्णय किया जाय जो कि उक्त लोगों के साथ किया गया है। माननीय मंत्री जी इस गरीब के साथ आप इस प्रकार का भेद भाव क्यों बरत रहे हैं, सहानुभूतिपूर्वक बताने की कृपा करेंगे?

श्री अरुण कुमार सिंह---

मान्यवर, जैसा कि सम्मानित सदस्य ने कहा, मान्यवर नजूल की जो भूमि है, उसको दो आधारों पर उसकी दर सीमा निश्चित की जाती है। एक वाणिज्यिक उपयोग के लिए और दूसरे आवासीय उपयोग के लिए। तो मान्यवर, यह जो जमीन है, व्यवसायिक उपयोग में आती है। जैसा कि माननीय सदस्य ने 5 सितारा होटल का जिक्र किया, दूसरे जो पम्प लगे हुये हैं, उनका जिक्र किया और दूसरे जो व्यापार है, उनका जिक्र किया, सब उस आधार पर है। इनसे ज्यादा लेने का यह नियम है कि वैसे तो नजूल की लैण्ड एक निश्चित आधार पर की जाती है या प्रीमियम के आधार पर, प्रीमियम पर बाजार भाव होता है, उसका 2/3 होता है और बाजार भाव का किराया 1/60 के आधार पर तय किया जाता है। इनसे ज्यादा लेने की बात इस लिए आयी कि यह जो कहा कि उसमें अनधिकृत कब्जा था और जो अनधिकृत कब्जों से हैं, तो साधारण सामान्य दर निश्चित की जाती है, उसका चारगुना तो मान्यवर व्यवसायिक होने के नाते हो जाता है, दण्डनीय है। तो मान्यवर यह जो अनधिकृत रूप से कब्जे में थे, इसलिये उनको इनका दाम ज्यादा देना पड़ रहा है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि अनधिकृत रूप से कब्जा किया था। दूसरे कहा कि व्यवसायिक और आवासीय दोनों चीजें देखी जाती हैं। मान्यवर, मैंने जो यहाँ नाम सुनाये कि होटल अवध क्लार्क, मेडिकल कालेज के पास लालता प्रसाद वैश्य का पेट्रोल पम्प, हुसेनगंज के चौराहे पर श्री कृष्ण चन्द्र वर्मा की दुकान और नये बी0 ब्लाक दारुलशफा के सामने लीला होटल—यह चार व्यवसायिक उपयोग के लिये दी गयीं और यह सब 1964-65 के हैं और 2 रु0, 3 रु0, 5 रु0 वर्ग फीट के हिसाब से इनको दी गयी है, तो यह जो गरीब है जिसका गली में एक कुलिया है, कोल डिपो चलाता है, चूंकि यह आपके नजूल अधिकारियों को मनचाही घूस न दे सका, इसलिये इसको परेशान किया जा रहा है। यदि हाँ, तो क्या इनके पिछले प्रमाणों को देखते हुए इस व्यक्ति का, उन्हीं आधारों पर जो, 1974-75 में 23 हजार रु0 था, जो दूसरों के लिये आधार अपनाया गया है, उसी आधार पर पैसा लेकर इसको नियमित करने की माननीय मंत्री जी सहानुभूतिपूर्वक कृपा करेंगे? आप दोहरा मापदण्ड क्यों अपना रहे हैं, बड़ों को तो आप मुफ्त की तरह दे रहे हैं और गरीब के लिये रेट हैं?

श्री अरुण कुमार सिंह---

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि दोहरा मानक नहीं है। मानक दोनों ही में व्यवसायिक और आवासीय, तो उसी आधार पर यह निश्चित किया गया और जो साधारणतया नियम है नजूल लैण्ड के, उसी आधार पर लिया जा रहा है। ऐसा कोई अलग मानक नहीं है, और जो आपने इसके बारे में, मान्यवर अवध क्लार्क के बारे में कहा था, तो यह कहूंगा कि अवध क्लार्क से एक लाख रुपए ज्यादा भी लिया गया, सम्मानित सदस्य को शायद इसकी विधिवत जानकारी न हो। जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा दी गयी दर के अनुसार 4,55,000 नजराना एवं रु0 11,300 वार्षिक किराया आँका गया था। किन्तु मंत्रिपरिषद् के अनुसार उस धनराशि 4,00,000 को नजराने के रूप में तथा वार्षिक

किराये की धनराशि 26,000 प्रतिवर्ष के आधार पर निश्चित की थी। इससे एक लाख रुपए की उपलब्धि की है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसी सरकार के भू0 पू0 मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने घोषणा की थी कि सन् 1956 से कबाल टाउन्स में जिन लोगों का नजूल भूमि पर कब्जा है, उनकी वह जमीन 3 रु0 प्रति फीट के हिसाब से नियमित की जायगी। यह बात उन्होंने इलाहाबाद के संदर्भ कही थी। क्योंकि इलाहाबाद में तमाम न्यायाधीशों और वकीलों, की भूमि का मामला था। तो एक जगह जो यह नियम लागू किया, तो लखनऊ के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या उसी घोषणा के तहत लखनऊ में भी नियमित की कार्यवाही माननीय मंत्री जी कराने की कृपा करेंगे?

श्री अरुण कुमार सिंह--

मान्यवर, सम्मानित सदस्य लखनऊ और इलाहाबाद की बीच में की दूरी को तय नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने जो बताया, माननीय भू0 पू0 मुख्य मंत्री ने जो कहा था, वह इलाहाबाद के लिये कहा था और इलाहाबाद में 90 वर्ष पूरे कर लिये गये हैं। नजूल लैण्ड की 90 वर्ष लीज पूरी हो जायगी, तो नियमित पट्टेदारी करने के लिये कहा गया था उसमें अतिक्रमण पट्टेदारी का जिक्र नहीं किया गया है।

जब कि यह अतिक्रमण पट्टेदार माने जाते हैं। दूसरे, वहाँ की उस दर को देखते हुए आपने जो 3 रु0 प्रति वर्ग फुट के लिये कहा, वह तो वहाँ के लिये है।

आगरा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहपुर सीकरी के ग्राम दाऊदपुर में व्यक्तियों की मृत्यु

*12--श्री बदन सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहपुर सीकरी (आगरा) के अन्तर्गत स्थित दाऊदपुर गाँव में 83 (तिरासी) आदमियों की मौत माह सितम्बर-अक्तूबर, 83 में हो गयी है? यदि हाँ, तो इन मौतों का कारण क्या है? क्या यह भी सच है कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, फतेहपुर सीकरी, आगरा, ग्राम दाऊदपुर ने जन-स्वास्थ्य रक्षकों को ग्राम दाऊदपुर में व्याप्त रोग निवारणार्थ गत तीन माह से औषधियों को उपलब्ध नहीं कराया है? यदि हाँ, तो प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, फतेहपुर सीकरी, आगरा के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

श्री हरि सिंह--

मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा की सूचना के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा के ग्राम दाऊदपुर में माह अगस्त से अक्तूबर, 1983 के बीच लगभग 40 व्यक्तियों की मृत्यु हुई बतायी गयी हैं। 6 महिलाओं की मृत्यु प्रसव के दौरान जिला अस्पताल भरतपुर (राजस्थान) में हुई थी। जहाँ यह मरीज भरती थीं। 7 वृद्ध पुरुष तथा 23 बच्चों की मृत्यु विभिन्न रोगों से हुई थी। ग्राम दाऊदपुर के जन स्वास्थ्य रक्षकों को दवाओं का वितरण दिनाँक 6-6-1983, 6-8-83, 10-10-83 तथा 6-1-84 को किया गया था और वहाँ निरन्तर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं अतः प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहपुर सीकरी के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी।

श्री बदन सिंह--

मन्त्री जी के उत्तर में अन्त में यह दिया हुआ है कि वहाँ पर निरन्तर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। उत्तर के मध्य में कहा है कि 6 महिलाओं की मृत्यु प्रसव के दौरान जिला अस्पताल भरतपुर (राजस्थान) में हुई थी। यह पूछना चाह रहा हूं कि जब सभी सुविधायें फतेहपुर सीकरी में उपलब्ध हैं, तो यह 6 महिलायें राजस्थान में क्यों भर्ती हुईं?

श्री हरि सिंह--

जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे, वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेन्टर है, वहाँ पर जच्चा-बच्चा सेन्टर में डाक्टर भी हैं और दूसरे कर्मचारी भी रहते हैं, लेकिन यह जो

मृत्यु हुई है, यह हो सकता है कि उन्होंने अपनी अपनी चौकसी के लिये, अच्छा इलाज कराने के लिये वहाँ चले गये हों। अगर कोई शिकायत होती तो आगरा में पहुंचते। अपन तरफ से उनके संज्ञान में आया होगा कि भरतपुर चले जायं। कोई इलाज की समस्या वहाँ पर पैदा नहीं हुई। वैसे भी भरतपुर, दाऊदपुर से नजदीक है।

श्री बदन सिंह—

माननीय मन्त्री जी ने यह गलत बताया कि दाऊदपुर से भरतपुर नजदीक है। यह 42 कि0 मी0 दूर है जबकि फतेहपुर 10–12 कि0 मी0 दूर है। आपका अस्पताल जो केवल 10–12 कि0 मी0 दूर है, वहाँ पर ये क्यों नहीं गये ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो मरीज जानें कि क्यों नहीं गया और उसको कहाँ से फायदा होगा। आप प्रश्न करें।

श्री बदन सिंह—

दूसरा सवाल यह पूछना चाहता हूं कि मन्त्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा की सूचनानुसार ग्राम दाऊदपुर में 40 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 6 महिलाओं की मृत्यु प्रसव में बतायी। मैं जानना चाहता हूं कि इन 6 महिलाओं की प्रसव मृत्यु के अतिरिक्त क्या गर्भपात से भी महिलाओं की मृत्यु हुई है ?

श्री हरि सिंह—

जैसा मैंने कहा कि उनकी मृत्यु भरतपुर के किसी अस्पताल में हुई है। यह आँकड़े तो उनके पास होंगे, हमारे पास नहीं है।

श्री बदन सिंह—

यह मन्त्री जी को गलत उत्तर लिखकर भेज दिया गया है। मैं यह सूचना दे रहा हूं। कि केवल 6 महिलाओं की मृत्यु वहाँ पर नहीं हुई, बल्कि 18 महिलाओं की मृत्यु गर्भपात और प्रसव के कारण हुई। दाउदपुर गाँव की आबादी 1400 है, वहां पर 83 व्यक्ति मरे हैं, बैरावत में 20 व्यक्ति मरे हैं, देवनारी में 22 व्यक्ति मरे हैं, जोताना में 100 व्यक्ति मरे हैं, कुण्डेरा में 150 व्यक्ति मरे हैं। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके नाम 9–12–83 और 30–1–84 को कोई पत्र लिखा है, जिसमें इन मृत्युओं की जाँच विजिलेन्स से कराने के लिए लिखा गया है, तो इसकी विजिलेन्स से जाँच क्यों नहीं कराई गयी ?

श्री हरि सिंह—

माननीय सदस्य ने जिस पत्र का हवाला दिया है, वह पत्र मेरे पास नहीं है। यदि वह लिख कर दे देंगे तो हम जाँच करा लेंगे।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि उनको पत्र नहीं मिला जबकि जो पत्र उन्हें भेजा गया है उसकी प्रतिलिपि इस समय मेरे हाथ में है। यह पत्र 9–12–83 को भेजा है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि क्षेत्रीय जनता ने जो डाक्टर के विरुद्ध शिकायतें की हैं, उसकी सुनवाई मुख्य चिकित्साधिकारी ने नहीं की। तो मंत्री जी क्या आप दूसरे सूत्र से अब फिर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि उस पत्र को आप उनके पास भेजें, उसके बाद वे जाँच करायेंगे।

सहकारी क्रय-विक्रय समिति औरैया, इटावा द्वारा शीतगृह के निर्माण पर व्यय की धनराशि

*13—श्री धनी राम वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि क्रय-विक्रय समिति औरैया जनपद इटावा ने कस्बे के निकट एक कोल्ड-स्टोरेज बनाये जाने का कार्य प्रारम्भ किया है ? यदि हाँ, तो कब से और उस पर कितना धन व्यय किया जा चुका है ? क्या यह सही है कि उस पर लगभग 10 लाख रुपया व्यय किया जाना दिखाया गया है और केवल डेढ़ व दो लाख रुपया ही व्यय किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार अविलम्ब जाँच करवा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हाँ।

सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि0, औरैया, जनपद इटावा का शीतगृह का निर्माण कार्य अक्तूबर 1979 से प्रारम्भ हुआ। निर्माण

*14—श्री सत्यपाल सिंह—

[दिनाँक 23-2-84 को तारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा उत्तरित।]

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भवनों का निर्माण एवं उनके मूल्य के निर्धारण का आधार

*15—श्री अकबाल हुसैन—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण जो मकान बनाता है उनके मूल्य निर्धारण का आधार क्या है ? उसकी लागत प्रति स्क्वायर फीट कितनी है और वह कितने मूल्य पर दिया जाता है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जो भवन बनाये जाते है उनके मूल्य निर्धारण में निम्न-लिखित तत्व सम्मिलित किये जाते हैं—

(1) भवन निर्माण की लागत,

(2) अधिष्ठान व्यय (10 प्रतिशत की दर से),

(3) अनुरक्षण व्यय (2 प्रतिशत की दर से),

(4) ब्याज [निर्माण प्रारम्भ होने की तिथि से निर्माण समाप्त होने की तिथि के आधे समय का तथा निर्माण समाप्त होने की अगली तिथि से आवंटन तक (पूर्ण अवधि का) उस ब्याज दर से, जिस पर ऋण लिया गया है]

(5) लाभांश,

(6) भूमि का मूल्य,

(7) पट्टे के किराये की वसूली हेतु प्रबन्ध व्यय—2 प्रतिशत की दर से (भूमि के मूल्य पर)।

भवन की लागत प्रति वर्ग फुट निर्मित होने वाले भवन की गुणाविशिष्टियों पर निर्भर करती है। जिन विभिन्न प्रकार के भवनों का मूल्य निर्धारण किया जा चुका है या वर्तमान में किया जा रहा है, उनकी लागत सामान्यतया लगभग 100 रु0 प्रति वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र के आ रही है। प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में जो भवन आवंटित किये गये हैं उनका मूल्य भवनों की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग है।

श्री अकबाल हुसैन—

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो लागत आपने बतायी है कि प्रति वर्ग फिट 100 रुपया, और दूसरा मैंने सवाल यह किया था कि जो लागत आती है उसके अनुसार आवंटन किया गया है या नहीं, आवंटन किस दर पर कर रहे हैं और वह कितने मूल्य पर दिया जाता है। लागत तो बता दिया, लेकिन आवंटन किस दर पर किया है ? मान्यवर, लागत के आधार पर जो औसत आता है, उस के आधार पर आवंटन किया जाना चाहिए।

मान्यवर, मैं स्पष्ट रुप से जानना चाहता हूं कि आपने 100 रुपये प्रति स्क्वायर फिट लागत बता दी लेकिन जो आप आवंटित किये है वह प्रति स्क्वायर फिट किस दर पर किये हैं ? वह 100 रुपये है, 120 रुपये हैं अथवा 150 रुपये प्रति स्क्वायर फिट पर किये हैं ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, प्रश्न स्पष्ट कर दें।

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आपने यह बताया कि लागत मूल्य प्रति स्क्वायर फिट 100 रुपया है लेकिन जिस दर पर आपने लोगों को इसे आवंटित किया है, वह दर क्या है—100 रुपया है, 150 रुपया है या क्या है ? मेरा सवाल यह है कि किस दिर पर आपने आवंटित किया है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, जो लागत है उसी के आधार पर हमने किया है। यह सामान्यत: 100 रुपये प्रति वर्ग फिट है और इसी के आधार पर किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

यह पूछ रहे हैं कि इसकी जो लागत 100 रुपये प्रति वर्ग फिट के हिसाब से आती है और जो आप एलाटमेंट करते है तो उसके बाद कितना किराया आप लेते हैं ? यह प्रश्न वे पूछ रहे हैं। इसकी सूचना आपके पास हो तो बता दें नहीं तो मना करें।

श्री अरुण कुमार सिंह—

श्रीमन, मैंने निवेदन किया कि यह योजना

नो प्रोफिट नो लौस पर है। सामान्यतः इस श्रेणी में 10 प्रतिशत उनसे लेते हैं और यही आधार है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह संस्था कोई व्यापारिक संस्था नहीं है, इसलिये नो प्रोफिट नो लोस पर देना चाहिए। प्रश्नकर्त्ता की मूल भावना यह है कि इसकी जो कास्ट आयी, उसके मुकाबले में कुछ ज्यादा में आप आवंटित करते हैं। इसमें काफी भष्टाचार है और कास्ट की जो एकाउन्टिंग होती है वह आपके यहाँ गलत ढंग से की जाती है। मान्यवर, मैं आपका इसमें संरक्षण चाहूंगा कि इस प्रश्न को आप स्थगित कर दें। जब तक लागत न आ जाय और आवंटित करने की दर की सूचना न जाय तब तक इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। यह व्यापारिक संस्थान से भी ज्यादा मुनाफा इसमें कमा रहे हैं और इसी के कारण इसमें गड़बड़ियाँ हैं। जनता के हित के बजाय उनका शोषण इससे हो रहा है इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसको आप स्थगित कर दें। जब पूरी सूचना आ जाय तब हम सवाल करेंगे।

श्री अरुण कुमार सिंह—

जैसा कि सम्मानित सदस्य ने कहा और मैंने निवेदन किया कि यह नो प्राफिट नो लौस का विषय है। मान्यवर, जिनसे 10 प्रतिशत चार्ज किया जाता है और जो आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं और कुछ ऐसे हैं जिनसे कुछ नहीं लिया जाता है। इस तरह से जो समीकरण आता है, उनको भी एक साथ जोड़ दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 100 रुपये वर्ग फिट के हिसाब से आपको कास्ट आती है और आप कहते हैं कि नो प्राफिट नो लोस पर आप इसे चलाते हैं तो क्या 100 रुपया वर्ग फीट के हिसाब से ही आप लेंगे जो उसकी लागत है ?

(मंत्री जी द्वारा कोई उत्तर न दिये जाने पर)

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

बांदा जिले के नगर कर्वी निवासी श्री मुन्ना द्वारा की गयी आत्महत्या तथा दुकान का आवंटन

*16—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या जनपद बाँदा के नगर कर्वी के निवासी श्री मुन्ना खां पुत्र श्री कल्लू ने दिनाँक 17-12-82 को प्रभारी अधिकारी, नगर-पालिका, चित्रकूट धाम, कर्वी को सूचित किया था कि यदि उनकी दुकान को घतुरहा चौराहा स्टेशन रोड से हटा कर दूसरे व्यक्तियों को एलाट किया जायेगा तो वे आत्म हत्या कर लेंगे ? क्या यह सत्य है कि अधिशासी अधिकारी द्वारा उक्त दूकान को दूसरे के एलाट किये जाने पर श्री मुन्ना ने 8-4-83 को आत्महत्या कर ली ? यदि हाँ, तो उक्त प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

पंचायती राज एवं ग्राम्य तथा नगर विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

जी नहीं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार यह सही नहीं है कि श्री मुन्ना ने आत्महत्या की। श्री मुन्ना की मृत्यु के पश्चात, जो आग लग जाने से हुई थी, उनकी विधवा पत्नी के प्रार्थनापत्र पर सम्बन्धित भूमि (पटरी) उन्हें पालिका द्वारा आवंटित कर दी गयी है।

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों के चिकित्साधिकारी एवं कम्पाउन्डरों का सेलेक्शन ग्रेड एवं समयबद्ध वेतन-मान

*17—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के चिकित्सा अधिकारियों कम्पाउन्डरों को विभाग द्वारा सेलेक्शन ग्रेड/समय बद्ध वेतन मान एवं आवास भत्ता की सुविधा प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)—

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों के चिकित्साधिकारियों को सेलेक्शन

नोट—ताराँकित प्रश्न संख्या 15 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

ग्रेड की सुविधा उपलब्ध है। इनको समयबद्ध वेतनमान एवं आवास भत्ता देने का मामला शासन के विचाराधीन है।

कम्पाउन्डरों को अभी यह सुविधायें नहीं मिल रही हैं। शासन द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है।

गोरखपुर के महाराजगंज के हाट निरीक्षक के विरुद्ध शिकायती-पत्र एवं स्थानान्तरण

*18—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के स्थान महाराजगंज के हाट निरीक्षक के विरुद्ध जाँच करने जब आर0 एम0 ओ0 दिनाँक 28—4—83 को महाराजगंज गये थे उस अवसर पर प्रश्नकर्त्ता ने कोई पत्र जाँच अधिकारी को दिया था ? क्या शासन को हाट निरीक्षक के साथ साथ आर0 एम0 ओ0 के विरुद्ध दिनाँक 4—5—83 को कोई पत्र प्रश्नकर्त्ता ने दिया है ? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी तथा हाट निरीक्षक को अब तक क्यों नहीं हटाया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हाँ। प्रश्न में कथित माननीय सदस्य का आपत्ति-पत्र दिनाँक 23—4—83 क्षे0 हा0 अधिकारी, गोरखपुर को तथा शिकायती पत्र दिनाँक 4—5—83 शासन को प्राप्त हुआ था।

उनमें लिखित आरोपों की जाँच करायी गयी। संबंधित हाट निरीक्षक का स्थानान्तरण महाराजगंज केन्द्र से मई, 1983 में हो चुका है।

*19—श्री बिहारी लाल—

[दिनाँक 10—2—83 को तारांकित प्रश्न संख्या 18 द्वारा उत्तरित।]

ीमती मासूमन निवासिनी महानगर, लखनऊ का भवन गिराए जाने सम्बन्धी कथित आदेश

*20—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री केदार नाथ सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मासूमन पत्नी स्व0 सुबराती निवासी महानगर, लखनऊ को भवन गिराने का आदेश लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 6—9—1982 में दिया है। ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि उक्त भवनों के संबंध में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के लखनऊ बेंच द्वारा रिट पिटीशन संख्या 129 वर्ष 1958 के सम्बन्ध में लखनऊ बेंच द्वारा दिनाँक 18 जनवरी, 1960 को दिये गये निर्णय का कार्यान्वियन विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी निर्णय की प्रति सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त रिट पिटीशन में वादीगण कौन कौन थे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

अतारांकित प्रश्न

लखनऊ जिले की स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं के अवशेष वेतन का भुगतान

1—श्री पूरन चन्द्र—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में लखनऊ जनपद के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियुक्त स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं में से अधिकांश को उनके नवीन वेतन निर्धारण सम्बन्धी एरियर का भुगतान अभी (जनवरी, 1984) तक नहीं किया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ? उपरोक्त एरियर का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा स्थित मैग्नीसाइट फैक्ट्री से उत्पन्न जल प्रदूषण

2—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्यावरण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में मैग्नीसाइट फैक्ट्रियों से होने वाले वायु, ध्वनि व जल प्रदूषण को रोकने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाये हैं ? क्या सरकार संबंधित जनपदों में भविष्य में लगने वाले उद्योगों को उपरोक्त प्रदूषण से पूर्णतया स्वच्छ रखने की गारन्टी देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

अल्मोड़ा स्थित मैग्नीसाइट फैक्ट्री, लि0 द्वारा कुछ वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। पिथौरागढ़ स्थित प्लान्ट्स से प्रदूषण के सम्बन्ध में नमूने प्राप्त किये जा रहे हैं, जिसके परीक्षण के उपरान्त संबंधित उद्योग को इसके नियंत्रण हेतु आवश्यक निर्देश दिये जायेंगे।

जाँच से ज्ञात हुआ कि प्रसंगाधीन फैक्टरियों से जल प्रदूषण नहीं होता है।

जहाँ तक ध्वनि प्रदूषण का सम्बन्ध है, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी कोई कानून अभी प्रदेश में लागू नहीं है। अतः इस संबंध में अभी कोई कार्यवाही संभव नहीं है।

नये उद्योगों की स्थापना के पूर्व, उन्हें प्रदूषण की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल उन उद्योगों को दिया जाता है, जिनके द्वारा बोर्ड की संतुष्टि के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों का प्राविधान किया गया है।

हरदोई जिले की नगरपालिका साण्डी की नजूल भूमि के पट्टे के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

3—श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि साँडी नगरपालिका जनपद हरदोई के सदर बाजार नजूल प्लाट 1289/1290 के पुनः पट्टे न करने के सम्बन्ध में श्री अवधेश कुमार गुप्त, एडवोकेट का प्रार्थना-पत्र (शपथ-पत्र के साथ) श्री राम आसरे वर्मा के पत्र के साथ दिनाँक 19-1-84 तथा सचिव नगर विकास को 20-1-84 को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हाँ।

मामले में आयुक्त लखनऊ मण्डल से आख्या माँगी गयी है।

स्वास्थ्य विभाग के चेचक उन्मूलन विभाग के पैरा-मेडिकल असिस्टेंट एवं चेचक सुपरवाइजर का वेतनमान

4—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन योजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय पैरा मेडिकल असिस्टेंटों को उनके अधीनस्थ चेचक सुपरवाइजर से कम वेतनमान दिये जाने का क्या औचित्य है ? क्या इस प्रशासनिक भूल का सुधार किया जा रहा है ?

श्री लोकपति—

वेतन आयोग द्वारा पैरा मेडिकल असिस्टेंट को रु0 430-685 का वेतनमान स्वीकृत किया गया है। अतएव किसी प्रशासनिक भूल का प्रश्न नहीं उठता। बहुधंधी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के रूप में समायोजित चेचक सुपरवाइजर अब पैरा मेडिकल असिस्टेंट के अधीन नहीं हैं।

5—श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि समयबद्ध वेतनमान अथवा सेलेक्शन ग्रेड के अवसर मेडिकल असिस्टेंट के पद को 21 वर्ष के सेवा के उपरान्त भी न देने का क्या औचित्य है ?

श्री लोकपति—

इस मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

वाराणसी शहर के पक्के महाल में पेयजल की आपूर्ति

6—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 28-6-83 से 7-7-83 तक वाराणसी शहर के पक्के महाल तथा पूरे शहर में पेयजल की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाई है ? यदि हाँ, तो क्या खराबी थी उसको ठीक न करने का कारण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

वाराणसी जिले के सारनाथ, पाण्डेयपुर, शिवपुर में पानी, सीवर, नाली आदि की प्रदान की गयी सुविधा

7—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका क्षेत्र, वाराणसी के देहाती इलाकों में रोशनी, सड़क, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार सारनाथ, पाण्डेयपुर, बसही, वरना, शिवपुर, भिखारीपुर आदि क्षेत्र के सभी गाँव की जाँच करायेगी और सभी नागरिकों को सुविधाएं देने पर विचार करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

शिवपुर, पाण्डेयपुर, सारनाथ क्षेत्रों के गाँवों में मलिन बस्ती सुधार योजनान्तर्गत महापालिका द्वारा पानी, सीवर, खड़ंजा, नाली तथा बिजली आदि के कार्य कराये गये हैं। शेष गाँवों में जाँच करा कर कार्य कराने की योजना बनायी जा रही है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हसायन, अलीगढ़ के डा० गजेन्द्र सिंह का कार्य काल

8—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 गजेन्द्र सिंह, प्रा0 हे0 सेंटर हसायन, जिला अलीगढ़ में कितने वर्षों से कार्यरत हैं और जिला अलीगढ़ में कहाँ कहाँ कितने दिनों तक कार्य किये हैं ? क्या यह सही है कि डा0 गजेन्द्र सिंह गाँव भूरा की गढ़, तहसील सिकन्दरा राऊ, जिला अलीगढ़ के रहने वाले हैं और अपना पता जिला एटा का दे रखे हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच करायेगी ?

श्री लोकपति—

डा0 गजेन्द्र सिंह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हसायन, अलीगढ़ में विगत 4 वर्ष 10 माह से कार्यरत हैं।

पूर्व में यह जनपद अलीगढ़ में दिनाँक 24–4–72 से 31–5–76 तक एस0 ए0 डी0 विजयगढ़ तथा 1–6–76 से 4–7–78 तक हसायन में कार्यरत रहे थे।

इनके सेवा अभिलेखों में इनका गृह जनपद अलीगढ़ अंकित है। जाँच का प्रश्न नहीं उठता।

कैन्ट वाराणसी का निष्क्रिय नलकूप

9—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक हालैण्ड की सहायता से निर्मित पेयजल नलकूप कैन्ट, वाराणसी का पम्प 25 फिट नीचे बैठ गया है जिससे पेयजल की सप्लाई वरुणा नदी के दक्षिण का, अस्त-व्यस्त हो गयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर सदन को अवगत करायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं। उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार इस नलकूप से फरवरी, 1984 में बजरी व मिट्टी पानी के साथ आनी शुरू हो गयी है जिसके कारण नलकूप बन्द कर दिया गया है और उसकी जाँच की जा रही है।

पानी की आपूर्ति निकट स्थित नलकूपों एवं मेलूपुर जलकल से की जा रही है।

नगर महापालिका वाराणसी के मोहल्ला हरतीरथ तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा

10—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरतीरथ तालाब विश्वेसरगंज, नगर महापालिका, वाराणसी की जमीन के ऊपर अवैध रूप से दो मकान, एक होटल दो माह में बनाया गया है और कुछ चबूतरे तथा उसके अन्दर दुकान रामलीला के नाम पर अवैध निर्माण कराया गया है ? यदि हाँ, तो नगर महापालिका, वाराणसी द्वारा अवैध निर्माण रोकने की कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि उक्त जमीन पर बैलगाड़ी रोकने और ठहरने के लिए स्थान बनाना विचाराधीन है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

11—श्री दूधनाथ राजभर—

[दिनाँक 15–3–84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 22 द्वारा उत्तरित।]

फैजाबाद के आर्य कन्या इण्टर कालेज तथा जलकल संस्थान टांण्डा के मध्य सड़क का निर्माण एवं डाली गयी पाइप लाइन

12—श्री प्रियदर्शी जेतली, श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह तथा श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टाँडा, जिला फैजाबाद में आर्य कन्या इण्टर कालेज तथा जलकल संस्थान टाँडा के बीच नगरपालिका द्वारा पक्की सड़क बनाई गयी है? यदि हाँ, तो कब तथा उस पर नगरपालिका द्वारा कितना धन व्यय हुआ है?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हाँ।

वर्ष 1976 में उक्त सड़क निर्माण पर नगरपालिका द्वारा रु0 2099.01 व्यय हुआ था।

13—श्री प्रियदर्शी जेतली, श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह तथा श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त सार्वजनिक सड़क के नीचे से वर्ष 82–83 अथवा 83–84 में सीवर की मुख्य पाइप लाईन भी डाली गयी है? यदि हाँ, तो उक्त कार्य पर कितना खर्च आया है? क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क पर नगरपालिका द्वारा स्ट्रीट लाईट की भी व्यवस्था की गयी है? यदि हाँ, तो कब?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं।

तत्कालीन स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा वर्ष 1966 से 1970 के मध्य वहाँ सीवर लाईन डाली गयी थी, जिस पर लगभग रुपये 18,000 का खर्चा आया था।

जी हाँ, वर्ष 1982 में।

बीस-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड दुकानों एवं भवनों का आवंटन

14—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 20 सूत्रीय राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ नगर में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दुर्बल आय वर्ग की दूकानों/साइट एवं सर्विसेज के भवनों एवं भूखंडों का आवंटन 30 मार्च, 1984 तक हो जाने की आशा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

20 सूत्रीय राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 1983–84 में अब तक 4178 साइट एवं सर्विसेज के भूखंड, दुकानें तथा भवन आवंटित किये जा चुके हैं। आवंटन का क्रम 30–3–84 के बाद भी जारी रहेगा।

15—श्री दूधनाथ राजभर—

[दिनाँक 22–3–84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 22 द्वारा उत्तरित]

बरेली जिले के ग्राम ककराकलां में डिस्पेंसरी की स्थापना की मांग

16—श्री नन्दराम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम ककराकलाँ, तहसील फरीदपुर जिला बरेली में एक डिस्पेंसरी खोलने की स्वीकृति शासन द्वारा की गयी थी? यदि हाँ, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही एवं प्रगति है?

श्री लोकपति—

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

तत्कालीन सहायक अभियन्ता श्री बी०एस० उपाध्याय विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना, हरदोई की गिरफ्तारी एवं मुकदमा तथा उनके द्वारा बनाया गया जाली चेक

17—श्री भीखालाल—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन सहायक अभियन्ता श्री बी0 एस0 उपाध्याय, विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना हरदोई के विरुद्ध मु0 नं0 681/83 धारा 420/468 भा0 दं0 वि0 मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, 7, जिला हरदोई की अदालत में चल रहा है और इस मुकदमे के संबंध में श्री उपाध्याय गिरफ्तार होकर दो दिन जेल भी रह चुके हैं? यदि हाँ, तो क्या श्री उपाध्याय सहायक अभियन्ता को निलम्बित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

18—श्री भीखा लाल—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, हरदोई जिला सहकारी बैंक ने अपने पत्र सं0 174-75/डी0सी0बी0, दिनांक 23-7-83 द्वारा मुख्य परियोजना अधिकारी, विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना, लखनऊ को शिकायत की थी कि श्री बी0एस0 उपाध्याय, सहायक अभियन्ता, हरदोई ने तीन चेकें काटकर प्राप्तकर्त्ताओं के जाली हस्ताक्षर बनवाकर, खुद प्रमाणित करके रुपया निकालने के लिए भेजा, जो काउन्टर पर पकड़ ली गयी ? यदि हाँ, तो इस जाली कार्यवाही के लिए श्री उपाध्याय, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

19—श्री भीखालाल—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता तथा श्री शिवपाल सिंह, विधायक व श्री हरि प्रसाद कुरील, विधायक, उन्नाव तथा श्री चन्द्रनाथ मिश्रा, प्रशासक जिला सहकारी बैंक उन्नाव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 2-11-83 मा0 ग्राम्य विकास मन्त्री के पत्र संख्या 6205/क्षेत्र विकास दिनांक 11-11-83 के साथ उनको प्राप्त हुआ है जिसमें श्री बी0एस0 उपाध्याय, सहायक अभियन्ता विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना, उन्नाव के द्वारा की जा रही अनियमितताओं की शिकायत की गयी थी ? यदि हाँ, तो क्या सन्दर्भित मामलों की जाँच सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के स्थानान्तरण करने के उपरान्त कराई गयी ? यदि कराई गई, तो क्या परिणाम निकला ?

श्री बच्चा पाठक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अक्षेवर पाण्डेय, भू०पू० सचिव, किसान सेवा सहकारी समिति, बीजापार सिसवां बाजार, गोरखपुर के विरुद्ध थाने में अंकित गबन की रिपोर्ट

20—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री राम गोविन्द—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि श्री अक्षेवर पाण्डेय, भू0पू0 सचिव, किसान सेवा सहकारी समिति बीजापार, सिसवा बाजार (गोरखपुर) करीब दो लाख गबन के आरोप में निलम्बित है ? यदि हाँ, तो क्या गबन की प्राथमिक सूचना थाने में दर्ज कराई गई ? यदि हाँ, तो कब और किस थाने में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

श्री पाण्डेय गबन के आरोप में निलम्बित हैं। अपहरण की वास्तविक धनराशि जाँच पूरी हो जाने के बाद ज्ञात होगी। श्री पाण्डेय के विरुद्ध थाना कैन्ट, गोरखपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22-3-84 को दर्ज करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

फार्मेसिस्टों का वेतनमान फिजियोथिरेपिस्टों के बराबर किए जाने की मांग

21—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि डिप्लोमा फार्मेसिस्टों का वेतनमान फिजियोथिरेपिस्टों के बराबर करने की वार्ता उनकी अध्यक्षता में हुई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में फरवरी, 81 में फार्मेसिस्टों की हुई हड़ताल को समाप्त करने के उद्देश्य से महामन्त्री, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद्, उ0 प्र0 का पत्र दि0 3-2-81 को प्राप्त हुआ था और उन्होंने उस पत्र के बारे में कोई पत्र दिया था जिसके फलस्वरुप हड़ताल समाप्त हुई थी ? यदि हाँ, तो फार्मेसिस्टों का वेतन कब तक फिजियोथिरेपिस्टों के बराबर किया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

महामंत्री, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् उत्तर प्रदेश को सम्बोधित स्वास्थ्य मंत्री के पत्र दिनांक 3 फरवरी, 1981 में इस आशय का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था कि फार्मेसिस्टों का वेतनमान फिजियोथिरेपिस्टों के बराबर कर दिया जायेगा। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

चीफ फार्मेसिस्टों एवं फूड इंस्पेक्टरों का वेतनमान समान किए जाने की मांग

22—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चीफ फार्मेसिस्टों और चीफ फूड इंस्पेक्टरों का वेतनमान द्वितीय वेतन आयोग

की रिपोट के पहले एक ही समान 400–550 का था ? क्या यह सही है कि पुनरावलोकन समिति ने दोनों वेतनमानों में भिन्नता करके चीफ फार्मेसिस्टों को 622–940 और चीफ फूड इंसपेक्टर को 625–1240 का वेतनमान दिया ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या शासन दोनों पदों के वेतनमानों को एक करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हाँ। द्वितीय वेतन आयोग ने भी उक्त दोनों ही पदों के लिए एक ही वेतनमान 515–840 रु0 दिए जाने की संस्तुति की थी, किन्तु शासकीय संकल्प द्वारा चीफ फार्मेसिस्टों का वेतनमान बढ़ाकर 622–940 रु0 कर दिया गया। बाद में पुनरावलोकन समिति ने चीफ फूड इंस्पेक्टरों के वेतनमान को बढ़ाकर 625–1240 रु0 कर देने की संस्तुति की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। चूंकि उक्त मामले में एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जा चुका है, तथा इस सम्बन्ध में निणय लिए जा चुके हैं, अतः इस मामले में अब कोई नया प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

23—श्री राम आसरे वर्मा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

तीस शैय्याओं वाले चिकित्सालयों के लिए चीफ फार्मेसिस्ट के पद के सृजन की माँग

24—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि चिकित्सा अधीक्षक के पद 30 शैय्याओं वाले चिकित्सालयों तक में सृजित हैं ? यदि हाँ, तो क्या 30 शैय्याओं वाले चिकित्सालयों में चीफ फार्मेसिस्ट के पद सृजित करने सम्बन्धी विषय शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो कब तक सृजन के शासनादेश निर्गत कर दिए जायेंगे ?

श्री लोकपति—

जी हाँ। प्रदेश के विभिन्न राजकीय अस्पतालों में जहाँ 50 अथवा उससे अधिक अन्तरंग शैय्यायें हैं, चीफ फार्मेसिस्टों के 132 पद पहले ही से स्वीकृत हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिला स्तर के जिला चिकित्सालय तथा जिला स्तर के महिला चिकित्सालय के लिए एक-एक चीफ फार्मेसिस्ट के 112 पद और स्वीकृत करने का मामला शासन के विचाराधीन है। 30 शैय्या वाले चिकित्सालयों के लिए चीफ फार्मेसिस्ट के पद सृजित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में होम्योपैथिक उप निदेशक का रिक्त पद एवं होम्योपैथिक निदेशालय में उक्त पद का स्थानान्तरण

25—ईश्वर शरण विद्यार्थी

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में होम्यो0 उप निदेशक का पद कब सृजित किया गया और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में यह पद कब से रिक्त हैं ?

श्री लोकपति—

उप निदेशक होम्यो0 का पद सितम्बर 1971 में सृजित किया गया है और मई, 1981 से रिक्त है।

26—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि होम्योपैथिक उप निदेशक का पद होम्यो0 निदेशालय में कब स्थानान्तरित किया गया ? यदि होम्यो0 निदेशालय की स्थापना के समय इस पद को स्थानान्तरित नहीं किया तो क्यों ?

श्री लोकपति—

उप निदेशक होम्यो0 का पद होम्योपैथिक निदेशालय में जुलाई, 1983 में स्थानान्तरित किया गया है।

नगरपालिका मऊरानीपुर, झांसी की सड़कों की सफाई एव मरम्मत

27—श्री भागीरथ—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता विधायक का दि0 10–3–83 का पत्र नगरपालिका, मऊरानीपुर, जिला झांसी की गन्दी सड़कों की सफाई व मरम्मत के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ, है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हाँ। पत्र में मुख्यतः नगरपालिका मऊरानीपुर की सड़कों की सफाई की शिकायत की गयी थी जो विशेष अभियान चला कर कराई जा चुकी है।

श्री अल्ताफ हैदर लिपिक, जिला पूर्ति कार्यालय बदायूं का निलम्बन एवं बकाया वेतन

28—श्री अकबर हुसैन—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री अल्ताफ हैदर, लिपिक, जिला पूर्ति कार्यालय, जनपद बदायूं का निलम्बन आदेश दिनाँक 5-3-82 को हाई कोर्ट शासनादेश के निर्देश संख्या 2388-5/79, दिनांक 11 जुलाई, 83 के बावजूद अब तक पुनः सवेतन सेवा में न लिए जाने का क्या कारण है? उन्हें कब तक सेवा में ले लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्री अल्ताफ हैदर को जिलाधिकारी, बदायूं के आदेश दिनाँक 15-3-84 द्वारा पुनः नियुक्त कर दिया गया है। श्री हैदर के बकाया वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

स्व० डा० चक्खन लाल चतुर्वेदी, तत्कालीन उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहांपुर की ग्रेच्युटी जी०पी० एफ० की धनराशि का भुगतान

29—श्री राम सिंह रावत—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि डाक्टर चक्खन लाल चतुर्वेदी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहांपुर के पाँच वर्ष पूर्व हुए निधन के उपरान्त भी उनको पेंशन सी0डी0एस0, ग्रेच्युटी एवं अन्य अवशिष्ट भुगतान अभी तक नहीं हुए? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति—

स्वर्गीय डाक्टर चक्खन लाल चतुर्वेदी के पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका है। जी0पी0एफ0 का भी भुगतान किया जा चुका है, किन्तु जी0पी0एफ0 के कुछ कटौतियों का इन्द्राज महालेखाकार कार्यालय में न होने से उनका विवरण सम्बन्धित अधिकारियों से माँगा गया है और इस विवरण के उपलब्ध हो जाने पर देय अवशेष धनराशि का भी भुगतान करने हेतु महालेखाकार को लिखा जावेगा। सी0डी0एस0 के भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

श्री अल्ताफ हैदर भू०पू० आशुलिपिक, जिला पूर्ति कार्यालय, बदायूं का अवशेष वेतन

30—श्री हरिवंश सहाय—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री अल्ताफ हैदर भू0पू0 आशुलिपिक, जिला पूर्ति कार्यालय, बदायूं को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय दि0 5-3-82 के सन्दर्भ में तिथि 6-2-76 से सवेतन बहाल किया गया है? यदि हाँ, तो क्या उनके बकायों का भुगतान किया गया है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्री अल्ताफ हैदर को मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनाँक 5-3-82 के सन्दर्भ में जिलाधिकारी बदायूं द्वारा अपने आदेश दिनाँक 15-3-84 के अन्तर्गत पुनः नियुक्त कर दिया गया है। इनके बकाया वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों व आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

श्री राधा रमण गिरि, हेल्थ इंस्पेक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फाजिलनगर देवरिया के विरुद्ध शिकायती पत्र एवं थाने में अंकित मुकदमा

31—श्री हरिवंश सहाय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री राधा कृष्ण गिरि, हेल्थ इंस्पेक्टर मलेरिया प्रा0स्वा0 केन्द्र फाजिलनगर, जिला देवरिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दि0 14-2-84 संलग्नक सहित प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो संलग्नक पत्र में क्या शिकायतें हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति—

जी हाँ, प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के संलग्नक में श्री राधाकृष्ण गिरि, हेल्थ इंसपेक्टर पर घर के निकट निजी दुकान पर बैठकर दवाई बेचना, प्रथम पत्नी के होते

हुए भी दूसरा विवाह करना, तथा दुष्चरित्र होने आदि के आरोप लगाये गये हैं। उक्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित आरोपों की जाँच की जा रही है।

32—श्री हरिवंश सहाय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि श्री राधाकृष्ण हेल्थ इंसपेक्टर मलेरिया, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फाजिलनगर, जिला देवरिया के विरुद्ध दि0 20—10—79 को थाना तुर्क पट्टी, जिला देवरिया में धारा 354 आई0पी0सी0 के तहत कोई मुकदमा दर्ज है? यदि हाँ, तो उसके विरुद्ध अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति—

जी हाँ, दर्ज है। पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना प्राप्त की जा रही है।

बस्ती जिले के कतिपय विकास खण्डों में मिट्टी का तेल, चावल एवं चीनी का आवंटन

33—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले के वि0खं0 बढ़नी बर्डपुर तथा नौगढ़ जोगिया तथा उसका बाजार तथा टाउन एरिया बढ़नी, सोहरगढ़ और तेतरी बाजार में वर्ष 82-83 में कितना-कितना मिट्टी का तेल, चावल, चीनी किस-किस लाइसेन्स होल्डरों को फुटकर बिक्री के लिए दिया गया तथा प्रत्येक लाइसेन्स होल्डरों के पास कार्ड धारकों की संख्या क्या-क्या थी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

गोरखपुर नगर महापालिका के अन्तर्गत मलिन बस्तियों के सुधार का विचाराधीन प्रस्ताव

34—श्रीमती गौरी देवी—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर नगरमहापालिका के अन्तर्गत मलिन बस्तियों नौसड़, मिर्जापुर, महेबा, महुईसुधरपुर, सिघड़िया, महादेव और खंडी-1, गोपालपुर को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सुधार किया जायगा एवं रुस्तमपुर से महुईसुधरपुर, दाउदपुर से गोपालपुर, इंजीनियरिंग कालेज से शिवपुर मार्गों का निर्माण कराकर उस पर प्रकाश की व्यवस्था करायेंगे?

श्री बलरामसिंह यादव—

नौसड़ बस्ती का प्रस्ताव न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सुधार कार्य किए जाने हेतु शासन के विचाराधीन है। शेष बस्तियों के सुधार हेतु अभी कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मार्गों का निर्माण कराकर उस पर प्रकाश की व्यवस्था कराया जाना सम्भव होगा।

गोरखपुर नगर महापालिका के अन्तर्गत जलाए गये अलाव पर व्यय की गयी धनराशि

35—श्रीमती गौरी देवी—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष शीत लहरी में गोरखपुर नगर महापालिका के अन्तर्गत कहाँ-कहाँ अलाव जलाए गए और कितनी धनराशि उस पर खर्च की गयी? क्या यह सच है कि बिना अलाव जलाए ही भुगतान किया गया है? यदि नहीं, तो क्या इसकी जाँच होगी?

श्री बलराम सिंह यादव—

निम्नलिखित 16 स्थानों पर अलाव जलाए गये थे—

1—कचहरी चौराहा 2—घंटाघर चौराहा 3—खूनीपुर चौराहा 4—बक्शीपुर चौराहा 5—अलीनगर चौराहा 6—गोरखनाथ मन्दिर गेट 7—हुमायूंपुर चौराहा 8—विजय चौराहा 9—धर्मशाला बाजार चौराहा 10—असुरन चौराहा 11—रेलवे बस स्टेशन 12—मोहद्दीपुर चौराहा 13—कचहरी का बस स्टेशन 14—सदर अस्पताल 15—चकरा हरिजन बस्ती तथा 16—टाउन हाल।

अलाव जलाने पर महापालिका द्वारा रु0 7,800 व्यय किया गया।

जी नहीं।

जाँच कराने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

लखनऊ में न्यू ग्रैन्ड सर्कस एवं एशियन सर्कस के शो का आयोजन एवं राजस्व की कथित हानि

36—श्रीमती गौरी देवी—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगरमहापालिका के अन्तर्गत न्यू ग्रैन्ड सर्कस एवं एशियन सर्कस लगाने की अनुमति दी गई थी जिसमे अनियमितता भ्रष्टाचार, एवं सरकारी राजस्व की क्षति नगरपालिका के कर्मचारियों एवं सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा की गयी, जिसके सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता सहित दो अन्य विधायक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं श्री फखरे आलम ने प्रशासक नगर महापालिका, लखनऊ को जनवरी एवं फरवरी, 84 दो महीनों में 5 पत्र लिखे ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र में उल्लिखित क्या तथ्य हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

विधायकों के सन्दर्भित पत्र महापालिका मे प्राप्त हुए जिसमें मुख्यतः स्वास्थ्य विभाग द्वारा सफाई व्यवस्था सुनिश्चित न किए जाने और सर्कस प्रबन्धकों को अनापत्ति पत्र न जारी किए जाने की बात कही गयी थी।

इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि लखनऊ नगर में सर्कस लगाने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाती है, नगर महापालिका द्वारा नहीं। जहाँ तक सफाई व्यवस्था का सम्बन्ध है, नगर महापालिका के स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सर्कस स्थलों का निरीक्षण किया जाता रहा तथा यह सुनिश्चित किया जाता रहा कि वहाँ पर गन्दगी तथा संक्रामक रोग न फैलने पायें। दोनों सर्कस स्थलों पर सफाई व्यवस्था सन्तोषप्रद पाई जाती रही जिसके कारण कोई रोग आदि नहीं फैल सका।

सर्कस के प्रबन्धकों द्वारा महापालिका को अनुमन्य देय करों का भुगतान किया गया और महापालिका को राजस्व की हानि नहीं हुई।

उपरोक्त स्थिति में अब कोई अन्य कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

बुलन्दशहर के कस्बा दवानपुर में चिकित्सालय की स्थापना सम्बन्धी कथित पत्र

37—श्री छत्तर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र दि0 4-2-81 को कस्बा खानपुर, जनपद बुलन्दशहर में चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? चिकित्सालय अभी तक न खोलने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति—

प्रश्नकर्त्ता का दिनाँक 4–2–81 का पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता शेष का प्रश्न नहीं उठता।

38—श्री सत्यपाल सिंह—

[दिनाँक 15–3–84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 67 द्वारा उत्तरित]

जिला पूर्ति अधिकारी, बुलन्दशहर के विरुद्ध [शिकायती-पत्र]

39—श्री छत्तर सिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति सहित एक शिकायती-पत्र उनको दि0 9-8-83 को जिलापूर्ति अधिकारी, बुलन्दशहर के विरुद्ध आरोपों सहित प्राप्त हुआ, जिसकी एक प्रति 9–8–83 को ही श्री हरी सिंह, राज्य मन्त्री को प्राप्त हुई थी ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्री छत्रपाल सिंह, विधायक स्याना क्षेत्र जिला बुलन्दशहर के नाम से एक शिकायती-पत्र दिनाँक 8–8–1983 प्राप्त हुआ था जिस पर जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से जाँच कराई जा रही है। जाँच आख्या प्राप्त होना शेष है।

40—जनार्दन प्रसाद ओझा—

[8वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या–59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गाजीपुर नगर में लागू की गयी आई०डी० एस०एम०टी० योजना पर व्यय की गयी धनराशि

41—श्री राम नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर नगर आई0डी0 एवं एस0

एम0 स्कीम के अन्तर्गत ले लिया गया है? यदि हाँ, तो यह योजना इस नगर में कब लागू की गयी तथा कितना धन प्रदेशीय एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में दिया जा चुका है, उसके खर्च एवं प्रगति का क्या विवरण है तथा कभी भी क्षेत्रीय विधायक से भी कोई सुझाव, सहयोग लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हाँ।

गाजीपुर नगर में आई0डी0एस0एम0टी0 योजना दिनाँक 30-3-1981 से प्रभावी है । भारत सरकार द्वारा रु0 17.60 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा रु0 17.60 लाख कुल रुपए 35.20 लाख का ऋण नगरपालिका गाजीपुर को स्वीकृत किया गया है। 31 दिसम्बर, 1983 तक विकास/निर्माण कार्य हेतु 2.28 लाख रुपये व्यय किया जा चुका है तथा निर्माण विकास कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी, की अध्यक्षता में नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति नगरपालिका के निर्वाचित अध्यक्ष एवं दो निर्वाचित सदस्यों आदि की गठित की गयी है। उक्त समिति जिला स्तर पर प्राप्त सुझावों पर विचार करके योजना को अन्तिम रूप प्रदान करती है। जहाँ तक क्षेत्रीय विधायकों आदि के सुझावों का सम्बन्ध है, जिलाधिकारी, गाजीपुर से सूचना प्रतीक्षित है ।

शाहजहांपुर जिले में लगाए गये हैन्ड पम्प

42--श्री जगदीश सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद शाहजहाँपुर में विश्व बैंक परियोजना से ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाए जा रहे हैं ? जनपद में अब तक कितने हैण्ड पम्प लगाए हैं और उनमें से कितने कार्यरत हैं और कितने खराब पड़े हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं।

राज्य के योजनागत कार्यों के अन्तर्गत सामान्य कार्यक्रम तथा भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित ग्रामीण त्वरित जल सम्पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद शाहजहाँपुर में अब तक 475 हैण्ड पम्प लगाए गये हैं विकास विभाग की ओर से या अन्य श्रोतों से किसी के खराब होने की सूचना प्राप्त होने पर उसे यथाशीघ्र सही करा दिया जाता है। इस समय किसी हैण्ड पम्प के खराब रहने की कोई सूचना नहीं है ।

गोरखपुर जिले में लगाए गये हैण्ड पम्प

43--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 82-83 में गोरखपुर जनपद के कुल कितने गाँवों में शुद्ध जल उपलब्ध करने के लिए हैण्ड पम्पों का निर्माण कराया गया और उन पर कुल कितना धन खर्च किया गया ? कौड़ीराम खोरावार, पिपरौली सहित विकास क्षेत्र समितियों में अब तक कुल अलग-अलग कितने हैण्ड पम्प लगाए गये और 83-84 में कितने हैण्ड पम्प लगाने का लक्ष्य है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

निगम द्वारा वर्ष 1982-83 में गोरखपुर जनपद में 257 ग्रामों में हैण्डपम्प लगाए गये और उन पर कुल 46(छियालिस) लाख 36 (छत्तीस) हजार रुपए व्यय हुआ है।

दिनाँक 31-1-84 तक जल निगम द्वारा विकास खण्ड कौड़ीराम में 77 हैण्ड पम्प, खोरावार में 37 हैण्डपम्प तथा पिपरौली में 20 हैडपम्प लगाए जा चुके हैं।

वर्ष 83-84 में इस जनपद के 400 अभावग्रस्त ग्रामों में हैन्डपम्प लगाए जाने का लक्ष्य था जिसे पूरा कर लिया गया है ।

ग्राम नाजिरपुरा, सहारनपुर के लाला हिम्मत राय एवं उनकी पुत्री एवं हाजी यूनुस द्वारा सीलिंग भूमि का पट्टा

44--श्री रामस्वरूप निम--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नाजिरपुरा, सहारनपुर के लाला हिम्मत राय एवं उसकी पुत्री तथा हाजी यूनुस द्वारा सीलिंग की जमीन के सन् 80-81, 81-82, 82-83 में रजिस्ट्री करके जमीन के पट्टे बेचे गए जोकि अवैधानिक है ? क्या मन्त्री जी सम्पूर्ण मामले की जाँच कर जमीन को वापस लेकर निर्बल वर्ग के पात्र व्यक्तियों को आवंटित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव---

प्रश्नगत वर्षों में भू-धारकों द्वारा भूमि का अन्तरण किया गया है। अन्तरण की वैधानिकता की जाँच सक्षम प्राधिकारी, सहारनपुर के स्तर पर की जा रही है। जाँचोपरान्त नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में बाजरे के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य

45---श्री बदन सिंह---

क्या सरकार ने बाजरा का खरीद मूल्य 124 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है? यदि हाँ, तो प्रदेश में किसानों का बाजरा, खरीदने के लिए खरीद केन्द्र न स्थापित करने का क्या औचित्य है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

भारत सरकार ने बाजरे का समर्थन मूल्य 124 रु0 प्रति कुन्तल निर्धारित किया है जो पूरे देश के लिए है। उत्तर प्रदेश में बाजरे की खरीद के लिए भारत सरकार से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं प्राप्त हुए हैं?

श्री सुभाष चन्द्र जैन, सदस्य, संचालक मंडल, नया बाजार, लखनऊ द्वारा निकाली गयी अभ्यास पुस्तिकाएं

46---श्री प्रियदर्शी जेतली---

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सदस्य, संचालक मण्डल, नया बाजार, लखनऊ (श्री सुभाष चन्द्र जैन) ने अपने पद का दुरुपयोग करके दिनाँक 11-1-1982 को 20 हजार अभ्यास पुस्तकायें अपने हस्ताक्षर करके पान्डेयगंज श्रम संविदा सहकारी समिति लिमिटेड, लखनऊ के नाम से निकाली थीं? यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा पुलिस में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी? यदि हाँ, तो क्या मन्त्री जी उसकी प्रति सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक---

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दे दिए गये हैं। जाँच के पश्चात् ही ज्ञात हो सकेगा कि मामले में कौन दोषी है।

बशीरतगंज उपभोक्ता सहकारी समिति, लखनऊ के सचिव, श्री सुभाष चन्द्र जैन द्वारा अभ्यास पुस्तिकाओं की तस्करी एवं उनका निलम्बन

47---श्री प्रियदर्शी जेतली---

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बशीरतगंज उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, लखनऊ के सचिव (श्री सुभाष चन्द्र जैन) द्वारा दिनाँक 9-2-1982 को नियन्त्रित मूल्य की 60 हजार अभ्यास पुस्तिकाएं (कापियाँ) चोर बाजारी द्वारा तस्करी करके नैपाल भेजी जा रही थीं? उसे नाका थाना, लखनऊ द्वारा दिनाँक 9-2-1982 को श्रीराम की ट्रांसपोर्ट कम्पनी, गुरुद्वारा रोड, लखनऊ में पकड़ी गयी थीं? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बच्चा पाठक---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

48---श्री प्रियदर्शी जेतली---

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, बशीरतगंज उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, लखनऊ (श्री सुभाष चन्द्र जैन) जो निलम्बित हैं अभी भी समिति का आयातित खाद्य तेल रेपसीड आयल एवं पाम आयल अपने हस्ताक्षरों से प्राप्त करते हैं? यदि हाँ, तो मन्त्री जी इसकी जाँच जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ, लखनऊ द्वारा नया बाजार के अभिलेखों से कराकर इनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक---

जी नहीं।

जाँच सी0ओ0 (संग्रह) से कराई गयी। जाँच में श्री जैन के विरुद्ध आरोप सही नहीं पाए गये। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

49---श्री प्रियदर्शी जेतली---

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुभाष चन्द्र जैन, सचिव, बशीरतगंज उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, लखनऊ जोकि अभ्यास पुस्तिका काण्ड

में दिनाँक 20-4-1983 से सचिव के पद से निलम्बित हैं, अभी तक नया बाजार, लखनऊ के संचालक मंडल के सदस्य हैं तथा कार्यवाही में बराबर भाग लेते हैं? यदि हाँ, तो क्या मन्त्री जी उनको नया बाजार लखनऊ के संचालक मण्डल की सदस्यता से निलम्बित करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

रामपुर में वैध मेडिकल स्टोर

50--श्री मुहम्मद आजम खां--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर में कितने वैध मेडिकल स्टोर्स हैं और उनके सर्टिफिकेट किन-किन नामों से अर्थात् किन फार्मेसिस्टों के नामों से दिए गये हैं?

श्री लोकपति--

उपलब्ध अभिलेखों एवं अब तक की जाँच पड़ताल से जनपद रामपुर में 112 मेडिकल स्टोर्स के औषधि विक्रय लाइसेन्स वैध पाए गयें हैं जिनकी सूचना* परिशिष्ट में दी गयी है और अभी जाँच पड़ताल जारी है।

पर्वतीय क्षेत्रों के एम०सी०एच० सेंटरों में साज सज्जा फर्नीचर एवं दवाइयों का प्राविधान

51--श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित एम0सी0 एच0 सेंटरों में क्या-क्या साज-सज्जा सामग्री फर्नीचर, उपकरण एवं दवाइयाँ आदि देने का प्राविधान है? क्या जनपद पौड़ी गढ़वाल के सभी केन्द्रों में उक्त सुविधा उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक यह सुविधाएं उपलब्ध करा दी जायेंगी?

श्री लोकपति--

पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित एम0सी0 एच0 सेन्टरों में साज सज्जा, सामग्री, फर्नीचर, उपकरण एवं औषधियाँ संलग्न सूची के अनुसार देने का प्राविधान है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के सभी केन्द्रों पर उक्त सूची में से धन की उपलब्धता के अनुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 73 पर।)

मलेरिया विभाग में पिछड़े वर्ग के मुस्लिम मलेरिया निरीक्षकों का आरक्षण

52--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने मुस्लिम मलेरिया निरीक्षक हैं, जो पिछड़ी जाति के हैं? उनमें से कितनों की पदोन्नतियाँ उच्च पदों पर वर्ष 1978 से अब तक की जा चुकी हैं? उनकी सूची क्या है?

श्री लोकपति--

पदोन्नति के लिए पिछड़ी जाति का आरक्षण समाप्त हो गया है। अतः पिछड़ी जाति के मुस्लिम मलेरिया निरीक्षकों की सूची एकत्रित करने से कोई लाभ नहीं है।

चिकित्सा विभाग मंडलीय संयुक्त निदेशक द्वारा कर्मचारियों की की गयी नियुक्ति

53--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 82-83 में उक्त अधिकारी ने कितने नए लोगों की नियुक्तियाँ कीं? क्या यह सच है कि ये नियुक्तिाँ बिना स्थान सृजन एवं पद विज्ञापित किए ही की गयीं? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री लोकपति--

मण्डलीय संयुक्त निदेशक, गोरखपुर द्वारा वर्ष 82-83 में 35 व्यक्तियों की नई नियुक्तियाँ की गयी हैं। शेष प्रश्नों की जाँच की जा रही है।

उन्नाव जिले के कस्बा मोहान निवासी श्री जंगली द्वारा सहकारी संघ मोहान की भूमि पर अवैध मकान का निर्माण

54--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जंगली पुत्र राजबहादुर निवासी कस्बा मोहान थाना व तहसील हसनगंज जनपद उन्नाव ने माह दिसम्बर, 1982 को सहकारी संघ मोहान की जमीन पर अवैध रूप से मकान बनवा लिया था जिसके

*छापी नहीं गयी।

सम्बन्ध में दिनाँक 25-12-82 को उपरोक्त संघ के प्रभारी अधिकारी ने तहसीलदार व परगनाधिकारी हसनगंज, जनपद उन्नाव को शिकायती-पत्र भी दिया था ? क्या यह भी सही है कि परगनाधिकारी, हसनगंज ने वर्ष 1983 में उक्त मकान गिराए जाने के निदेश भी भेजे थे ? यदि हाँ, तो अब तक मकान न गिराए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बच्चा पाठक—

श्री जंगी पुत्र राज बहादुर, निवासी कस्बा मोहान, थाना व तहसील हसनगंज ने वर्ष 1982 में सहकारी संघ मोहान की भूमि जो रास्ते के लिए छोड़ी गयी थी, पर अनधिकृत रूप से भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया था ।

सहकारी संघ के प्रभारी/सचिव ने दिनाँक 25-12-82 को तहसीलदार एवं परगनाधिकारी, हसनगंज, जनपद उन्नाव को भवन निर्माण कार्य बन्द करने के लिए पत्र लिखा था । नायब तहसीलदार हसनगंज ने मौके पर जाकर जंगली पुत्र राज बहादुर को निर्देश दिया कि उक्त भूमि पर बिना परगनाधिकारी की अनुमति के कोई निर्माण न करें, उसके पश्चात् अब तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया ।

निर्मित भाग के गिराने के सम्बन्ध में तत्कालीन परगनाधिकारी ने कोई निर्देश नहीं भेजे थे अतः मकान गिराए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

इस्माइलगंज (लखनऊ) स्थित तालाब से कई एकड़ भूमि के जलमग्न होने से फसलों को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[समय 12 बज कर 20 मिनट]

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत 17 सुचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से मैंने 7 सूचनाओं को स्वीकार किया है वे इस प्रकार हैं—पहली श्री यदुनाथ सिंह तथा श्री सन्त बख्श रावत, दूसरी, श्री केदारनाथ सिंह, तीसरी श्री खैरुल बशर, चौथी श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ पाँचवी श्री शंकर सिंह, छठी श्री विजय सिंह राना तथा सातवी श्री गोपीनाथ वर्मा की सूचनाएं स्वीकार हुई हैं । बाकी सूचनाओं को मैंने अस्वीकार किया है ।

यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, राजधानी की सीमा पर बसे हुए ग्राम इस्माइलगंज पानी गाँव, कमता, विजईपुर कठौता आदि की भीषण समस्या की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

इस्माइलगंज के उत्तर में एक बड़ा तालाब स्थित है जिसमें बरसात में समीपवर्ती ग्रामों का तथा अन्य तालाबों का पानी आकर जमा होता है जिससे यह तालाब कई मील लम्बी झील का रूप ले लेता है जिसके कारण सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती है । यह पानी फरवरी तक जमा रहने के कारण फसलें (रबी तथा खरीफ) नहीं होती हैं और तालाब के समीप बसे लोगों के घर पानी में डूबते हैं और गिर जाते हैं ।

अस्तु अविलम्ब बरसात से पहले कोई ड्रेन बनवाकर इस झील के पानी के निकालने की व्यवस्था की जाय ताकि सैकड़ों एकड़ भूमि को बचाया जा सके ।

चीनी मिल पिपराइच (गोरखपुर) के गन्दे पानी से निकटवर्ती फसलों की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, चीनी निगम की चीनी मिल पिपराइच, जनपद गोरखपुर से गत कई वर्षों से प्रदूषित गंदा पानी आसपास के खेतों में बहता रहता है । जिससे ग्राम हरखापुर, के कृषकों को भारी क्षति उठानी पड़ती है पानी विषैला होने के कारण प्रतिवर्ष कृषकों की लाखों रुपए की फसलें बर्बाद हो जाती हैं गर्मियों में भी खेतों में पानी लगा रहता है ।

इस वर्ष प्रदूषित गंदा पानी का असर इतना बढ़ गया है कि हैण्डपाइप व कुएं को भी पानी में बदबू आने लगी है जिससे भयंकर रूप से महामारी फैलने की आशंका पैदा हो गयी है । ग्राम प्रधान व ग्रामवासियों ने जिला प्रशासन एवं चीनी निगम के अधिकारियों को कई पत्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लिखे परन्तु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस प्रदूषित जल से केवल ग्राम हरखापुर के ग्रामवासी ही नहीं, प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि चौराहा होने के कारण तमाम अन्य जगहों के यात्री भी प्रदूषित जल का प्रयोग कर रहे हैं।

अतः शासन से मैं माँग करता हूं कि मिल के प्रदूषित जल को पक्का नाला बनवाकर पास के जहदी नाले में गिराने की व्यवस्था करें तथा हैण्डपाइप एवं कुए के पानी का रासायनिक परीक्षण कराकर वहाँ शुद्ध जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

खलीलाबाद (बस्ती) में हुई ओला वृष्टि से फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, दिनाँक 26-3-84 को सायं काल 4 बजे के बाद बस्ती जनपद में विनाशकारी ओला वृष्टि हुई, बभनान से लेकर खलीलाबाद के आगे तक 10 कि0 मी0 की चौड़ी पट्टी में ओला वृष्टि से सब कुछ नाश हो गया। गेहूं, चना, अरहर, लाही, तीसी, आदि रबी की सारी फसलें नाश हो गयी हैं। घरों के खपरैल टूट गये, छप्पर उड़ गये हैं आम की फसल पूर्णतः नष्ट हो गयी है, जानवरों तथा आदमियों की मरने की भी सूचना प्राप्त हुई है, अगर इसकी विधिवत् जाँच कराई जाय तो मरने वालों की तादाद में वृद्धि होगी। मैं इस माननीय सदन के माध्यम से शासन से माँग करता हूं कि अविलम्ब उच्च अधिकारियों की एक जाँच कमेटी भेज कर इसकी जाँच कराई जाय तथा माननीय राजस्व मंत्री स्वयं इन क्षेत्रों का दौरा करके निरीक्षण करें और ओला पीड़ित क्षेत्र के लोगों को अविलम्ब राहत पहुंचाई जाय तथा राहत कार्य शुरु किया जाय, इनका समस्त कर्जा माफ किया जाय तथा बिना सूद के रोजी रोटी चलाने के लिए धन उपलब्ध कराया जाय।

रिक्शा चालक, कयूम तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के आन्दोलनकारियों को नजीबाबाद पुलिस द्वारा पीटे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, जनपद बिजनौर के चाँदपुर नजीबाबाद तथा समस्त बिजनौर जिले में पुलिस का अत्याचार बड़े पैमाने पर जारी है। 4 मार्च को नशे में चार पुलिस वालों ने चाँदपुर में रिक्शा चालकों को बुरी तरह मारा पीटा। 5 मार्च को विरोध में रिक्शा चालकों ने हड़ताल कर दी। सब इन्सपेक्टर के0 एन0 मिश्रा ने हड़ताली कर्मचारियों पर लाठी चार्ज किया तथा यूनियन के दो अधिकारियों सहित 5 रिक्शा चालकों को बंदी बनाया गया तथा हवालात में मारा पीटा गया। 7 मार्च को फिर आम हड़ताल हुई, 15 मार्च को रात्रि में नजीबाबाद के कोतवाली के सब इन्सपेक्टर काजला, तथा अन्य पुलिस कर्मियों ने रिक्शा चालक, कयूम को बुरी तरह मारा पीटा। 19 मार्च को जिला संघर्ष समिति की पुलिस अधीक्षक से वार्ता चल रही थी, उसी समय नजीबाबाद की पुलिस ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय पर धावा बोल दिया, तोड़फोड़ की तथा साथियों को बुरी तरह मारापीटा, कुछ असामाजिक तत्व साम्प्रदायिक मोड़ लेने की चेष्टा कर रहे हैं। संपूर्ण जिले की स्थिति विस्फोटक है। इस तरह जनता में भय तथा रोष व्याप्त है। अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या को सरकार के संज्ञान में लाकर पुलिस कर्मियों के खिलाफ न्यायिक जाँच की माँग करता हूं।

जिला परिषद्, जालौन के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कर्मचारियों को वर्षों से वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मैं अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जनपद जालौन में बहुत से आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का संचालन जिला परिषद द्वारा किया जाता है। जिला परिषद् द्वारा संचालित इन चिकित्सालयों के डाक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों को पिछले दो वर्षों से वेतन नहीं दिया गया है। जिला परिषद् प्रशासन का कथन है कि परिषद् में पैसा नहीं है, अतः वेतन नहीं दिया जा सकता। जबकि परिषद् के अन्य कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता है। जिला परिषद के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उक्त चिकित्सालयों में पिछले कई वर्षों से दवाओं की आपूर्ति भी नहीं की गयी है। परिणामस्वरूप चिकित्सालयों का काम कई वर्षों से ठप्प पड़ा हुआ है। वेतन न मिलने से डाक्टरों एवं कर्मचारियों में भारी क्षोभ व्याप्त है तथा चिकित्सालयों में दवा न होने के कारण जनता में भारी असंतोष व्याप्त है।

अतः मैं सरकार से उक्त डाक्टरों एवं कर्मचारियों को वेतन दिलाने एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में अविलम्ब दवाओं की आपूर्ति करायें जाने की माँग करता हूं।

नगला गाढ़ा (आगरा) में हरिजनों को दिए गये भूमि के पट्टों पर कब्जा न दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर ले जाना चाहता हूं। जिसके अन्तर्गत आगरा तहसील गाँव बमरौली कटारा के उप गाँव नगला गाढ़ा की आबादी की ग्राम सभा की 3 बीघा जमीन, जिस पर भू० पू० प्रधान ने गरीब हरिजनों को आवासी पट्टे किये थे, आज तक उनके भूखंडों पर कब्जा नहीं दिया गया है। शासन की घोषित नीति है कि हरिजनों को जो पट्टे दिये जायेंगे, उस पर शासन उनका कब्जा दिलाने के लिये कटिबद्ध है और बाध्य है। शासन की इस घोषित नीति के विरुद्ध नगला गाढ़ा की जमीन पर आज तक हरिजन कब्जा कर नहीं सके और उस जमीन को गाँव के कुछ ताकतवर लोगों ने शक्ति के बल पर अपनी खेतिहर जमीन में सम्मिलित कर रखा है। वह अनधिकृत रूप से उसको दबाये बैठे हैं। जिला प्रशासन भी इस संबंध में मौन है।

अतः आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करता हूं कि उक्त मामले की जाँच करायें, दोषी लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर गरीब हरिजनों को शीघ्र कब्जा दिलाने की कृपा करें।

जनपद फैजाबाद के तहसील कर्मचारियों एवं दलालों की साजिश से हो रहे फर्जी बैनामों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, जनपद फैजाबाद की टाण्डा एवं अकबरपुर तहसीलों में काफी फर्जी बैनामे हो रहे हैं। अकबरपुर तहसील की निवासिनी विधवा, मंगला देवी, ग्राम बैरमपुर बरवा की 4 बीघा भूमि दिनाँक 4 मई, 1983 को फर्जी औरत खड़ा करके बैनामा करा दिया गया है। जिसमें वहाँ के रजिस्ट्रार एवं उनके कार्यालय के कर्मचारियों का हाथ है। भूमि के भू-राजस्व में भी जालसाजी की गयी है। खाता संख्या 63 का वास्तविक भू-राजस्व 16.20 है, परन्तु बैनामा में कम दिखाया गया है। इसी प्रकार खाता सं० 197 का भू-राजस्व 42.70 है परन्तु बैना मे में कम दिखाया गया है। जो कि स्टाम्प फीस की चोरी करने के कारण फर्जी भू-राजस्व दिखाया गया है। प्रार्थिनी ने दिनांक 27-7-83 व 27-9-83 को प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी, फैजाबाद एवं जिला रजिस्ट्रार फैजाबाद को दिया परन्तु कार्यवाही नहीं हुई। इस प्रकार पूरे जनपद में फर्जी बैनामा कराने वाला गिरोह सक्रिय है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से माँग करता हूं कि मामले की किसी उच्च अधिकारी द्वारा जाँच करायी जाय तथा बैनामे को रद्द करते हुए दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही की जाये।

पर्वतीय क्षेत्रों में पालीटेक्निक तथा आई० टी०आई० में अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

मुझको 3-4 सूचनायें औचित्य के प्रश्न पर प्राप्त हुई हैं। मा० सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि औचित्य के प्रश्न की दिन प्रतिदिन बहुत सूचनायें आ रही हैं और सदन का समय इसमें बहुत लगता है, कोई भी नियमों के अनुसार नहीं आती हैं। इसलिये कल से मैं अपने कक्ष में देखकर या मा० सदस्य हमारे कक्ष में हमको सतुष्ट करें कि नियमों में आता है, यदि नहीं आता है, तो

मैं अपने यहाँ कक्ष में देखकर वहीं से अस्वीकार कर दूंगा और यहाँ लेने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिये भविष्य में इसका ध्यान रखे।

श्री मसरूर जाफरी (खड़े न होने पर) नहीं है, इसलिये अब श्री जसवन्त सिंह विष्ट।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मान्यवर, मेरा जो औचित्य का प्रश्न है वह 13-3-84 को मेरा यहाँ अतारांकित में प्रश्न संख्या 104 है, जिसमें मैने यह प्रश्न किया था कि-क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि पर्वतीय जिलों में 30 जनवरी, 1980 से 31 जनवरी, 1983 तक राजकीय पालीटेक्नकों में क्रमशः कितने अध्यापकों के स्थान कब से रिक्त पड़े है और उनको न भरे जाने का क्या कारण है ? उसकी सूचना मंत्री जी ने दी। और इसम ईमानदारी कुछ बरती गयी है। आप इसको देख लें। मैं आपके पास भेज रहा हूं, इसमें 1980 से 1983 तक 133 पद रिक्त पड़े रहे हैं और यह मेरे पास पूरी लिस्ट है अलग-अलग स्थानों की। इस संबंध में मैं पहले भी कई बार निवेदन कर चुका हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में जो प्राविधिक शिक्षा केन्द्र हैं, उनमें अध्यापकों के अनेक स्थान रिक्त हैं, जिसकी वजह से छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जिससे उनका परीक्षा में सफलता का प्रतिशत कम आया है। 4 वर्ष से 133 स्थान रिक्तहैं, वहाँ 10 पोलीटेक्निक विद्यालय है। आप देखे किस तरह से यह सरकार पर्वतीय क्षेत्र के प्राविधिक छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप वहाँ पर अध्यापकों की व्यवस्था कर दीजिये। वहाँ के योग्य लोग यहाँ मारे मारे फिर रहे हैं, फिर भी उनको यह सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को यह सरकार किस प्रकार से धोखा दे रही है।

श्री अध्यक्ष--

आप समाप्त करें।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

उसमें अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ते है गरीबों के पढ़ते हैं। इसको मैं आपके पास भेज रहा हूं। यदि किसी मंत्री और आई0 ए0 एस0 के लड़के वहाँ पढ़ते तो क्या यह सरकार वहाँ पर अध्यापकों की व्यवस्था न करती ? तो तुरन्त यह व्यवस्था करें अन्यथा धोखा देना बन्द करें और हम वह स्कूल चलाएं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, मैंने बिष्ट जी को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है और जो लिख कर दिया है, उसमें बहुत अधिक उन्होंने यहाँ अपनी बात कही है। वह न नियम 300 की परिधि में आता है और न संवैधानिक व्यवस्था म आता है और सदन के समक्ष भी किसी प्रकार नहीं हुआ है। इसलिए इसे उठाने की मैं आज्ञा नहीं देता और उसको अस्वीकार करता हुं।

जिलों में प्रदर्शनियों एवं मेलों के आयोजनों से स्कूली परीक्षाओं के शान्तिपूर्ण ढंग से न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

अध्यक्ष जी, इस सदन में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह बात बहुत साफ तरीके से घोषित की थी कि प्रदेश में जो हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाए चल रही हैं, उनकी समाप्ति के बाद प्राविधिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी और उनकी घोषणा के अनुसार जून के अन्त तक यह सारी परीक्षाएं भी समाप्त हो जाने वाली थीं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि इन परीक्षा देने वाले छात्रों के साथ किसी प्रकार का अवरोध नहीं पैदा किया जायगा और शान्तिपूर्ण वातावरण बनाए रखा जाएगा, जिससे छात्र शान्ति से और बिना किसी अवरोध के अपनी परीक्षाएं दे सके। लेकिन इस प्रदेश की सरकार आज लाखों रुपया देकर जनपदों में मेले और प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है। 20 सूत्रीय और पार्टी के प्रोग्रामों के जरिये जनपदों में जगह-जगह विभिन्न आयोजन किये जा रहे हैं, जिसमें सारे नगर में सुबह 8 बजे से रात्रि 1 बजे तक लाउड स्पीकर्स पर भयानक प्रचार होता है, शोर होता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिससे छात्रों के परीक्षा देने के लिए पढ़ाई करने में और परीक्षा देने में भारी अवरोध पैदा हो गया है। इसके कारण आज स्थान-स्थान पर आयोजकों और छात्रों के मध्य मार पीट की घटनाएं भी हुई है। मैं अपने क्षेत्र के ललितपुर का उदाहरण देना चाहता हूं जहाँ तीनों परीक्षाएं हो रही हैं, पर उनके 100 गज पर प्रदर्शनी लगने जा रही है। कई जगह प्रदेश में मैंने ऐसी स्थिति देखी है। आज प्रदेश में शान्तिपूर्वक परीक्षाएं चलाने की इस सरकार की मंशा नहीं मालूम पड़ती है।

श्रीमान् जी, लाखों रुपया देकर यह सरकार सहायता करती है, सरकारी स्टाल लगवाती है, सरकारी प्रोग्राम आयोजित किये जाते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार ने शान्तिपूर्वक परीक्षायें कराने की जो सदन में घोषणा की है, उसका वह पालन करे और इस प्रकार के आयोजनों पर रोक तब तक के लिये अवश्य लगायी जाये जब तक यह परीक्षायें चलती हैं। इससे सदन की मर्यादा भी समाप्त होती है।

*संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री अमानुल्लाह रिजवी)—

अध्यक्ष जी, माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री जी ने जो औचित्य का प्रश्न नियम 300 के अन्तर्गत उठाया है, वह किसी प्रकार से भी नहीं बनता है। घोषणा यह की गयी थी कि इम्तिहान समय में करायें जायेंगे, वे हो रहे हैं.....(व्यवधान).....अब अग्निहोत्री जी ने जो मामला उठाया है, यह प्रशासनिक मामला है और जिला स्तर का है। उनको जिलाधिकारी की नोटिस में इसे लाना चाहिये, वे इसे देखेंगे। (व्यवधान) अगर कहीं लाउडस्पीकर बज रहा है, और उससे छात्रों को परशानी है तो वह उसको रुकवा देंगे। अगर वहाँ उनको कामयाबी न मिले तो माननीय सदस्य आपके संज्ञान में ला सकते हैं। हमसे भी कह सकते हैं और उस वक्त यहाँ कोई आदेश दिये जा सकते हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा यहाँ की थी कि परीक्षाएं शान्तिमय ढंग से होंगी और इस प्रकार की प्रदर्शनियों व मेलों का जो आयोजन हो रहा है, उससे छात्रों को परेशानी हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

अगर कहीं किसी विशिष्ट स्थान पर कोई चीज है तो आप उसे बताइये, आपने तो पूरे प्रदेश की ऐसी बात कह दी है।

मैंने माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री और माननीय संसदीय कार्यमंत्री को ध्यान से सुना। श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री ने औचित्य का प्रश्न उठाते हुए यह सूचना दी है कि प्रदेश में चल रही हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट की परीक्षा तथा प्राविधिक संस्थान एवं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को शान्तिमय ढंग से कराने संबंधी माननीय शिक्षा मंत्री की सदन में की गयी घोषणा के संदर्भ में यह कहा है कि प्रदेश के कई जनपदों में प्रदर्शनी तथा मेलों का आयोजन किया जा रहा है जिससे उक्त परीक्षाएं शान्तिमय ढंग से कराने में कठिनाई उत्पन्न हो गयी है। माननीय सदस्य की बात को मैंने सुना। नियमानुसार औचित्य का प्रश्न नियम 300 के अन्तर्गत तब आता है जब वह किसी ऐसे मामले पर पर हो जिसका संबंध या तो प्रक्रिया नियमावली के नियमों या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों से हो जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है या उसका विषय सदन के संज्ञान में हो। इस प्रकार यह नियम 300 की परिधि में नहीं आता है और मैं इसे अस्वीकार करता हूं। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, फिर भी मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अगर उनके पास कोई चीज है या कोई रिकार्ड ऐसा है जिसे वे देना चाहते हैं, तो जैसा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, आप उसे उनको दे दें, वे कार्यवाही करेंगे। इसे मैं अस्वीकार करता हूं।

हमीरपुर सर्वोदय विकास आश्रम द्वारा संचालित निराश्रित महिला तथा बाल गृह में गबन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र—

मान्यवर, मैं एक औचित्य के प्रश्न के माध्यम से जनपद हमीरपुर के सर्वोदय विकास

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आश्रम द्वारा संचालित निराश्रित महिलाओं तथा बाल सदन मौदहा के संबंध में 1979-80 में जो वहाँ पर लाखों रुपयों का गबन किया गया है, उसके बारे में जानकारी प्रश्न के माध्यम से पूछी थी कि उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? 1983 के प्रथम सत्र के अतारांकित प्रश्न संख्या 197 के प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि कतिपय शिकायतों एवं गंभीर आरोपों के कारण जाँच की कार्यवाही चल रही है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मिश्र जी, आपको और सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि जिनके उत्तर के बारे में आता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है, वह चाहे तारांकित प्रश्न हों या अतारांकित प्रश्न हों, 15 दिन के अन्दर उसकी सूचना आती है । यह आपको मालूम है ।

श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र--

मान्यवर, मेरी बात सुन लें । आपका जो निर्णय होगा, वह सर आँखों पर । फिर इस सत्र के प्रथम बुधवार के लिये निश्चित अतारांकित प्रश्न संख्या 111 के उत्तर में दिया गया कि जाँच करायी गयी और आरोप सिद्ध नहीं पाये गये । इसलिये किसी अधिकारी पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता । फिर इसके बाद दूसरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि सूचना एकत्रित की जा रही है । तो मान्यवर, एक तरफ कहा गया है कि जाँच पूरी हो गयी है । मान्यवर, जाँच रिपोर्ट क्या है, जाँच किस अधिकारी ने करी है, जाँच के आदेश का दिनांक कोई होगा, तो यह बताने के लिये, यह जो उत्तर आया है कि सूचना एकत्र की जा रही है, यह माननीय सदस्यों को भ्रम में डालना है । इसलिये मेरा औचित्य का प्रश्न साबित होता है । मैंने इसकी फोटो स्टेट कापी मान्यवर, आपको दी है ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय सदस्य, श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र को सुना । माननीय सदस्य ने वर्तमान सत्र के छठवें बुधवार अर्थात् 28-3-1983 को पूछे गये अपने अतारांकित प्रश्न संख्या 53 के उत्तर के संबंध में औचित्य का प्रश्न उठाने की अनुमति माँगी है । उस प्रश्न वर्तमान सत्र के प्रथम बुधवार के लिये पूछे गये एक अन्य अतारांकित प्रश्न के उत्तर के संबंध में पूछा गया है और इसमें जो विवरण माँगा गया है, उसके बारे में सूचना एकत्रित किये जाने का उत्तर दिया गया है । नियमानुसार यह प्रश्न उत्तर के लिये पुनः निर्धारित किया जायगा जैसा मैंने अभी कहा था और उस समय माननीय सदस्य को वाँछित उत्तर प्राप्त हो सकेगा और इसमें यह भी है कि यदि आप प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो नियम 49 के अन्तर्गत नोटिस देकर चर्चा की माँग कर सकते हैं । इसलिये मैं इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार नहीं करता हूं और इससे यह उठता नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक सूचना मैंने औचित्य के प्रश्न की कल दी थी जो बहुत ही जरूरी की है ।

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास टेलीफोन आया था, जैसा कि आप सभी माननीय सदस्य लोग, इलेक्शन में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, इसलिये इसका विवरण प्राप्त नहीं हो सका । माननीय वित्त मंत्री जी भी यहाँ नहीं थे । इसलिये कल हम इस को ले लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश के किसानों से संबंधित है ।

श्री अध्यक्ष--

(संसदीय कार्य मंत्री से) कल आप इसको ले लीजियेगा ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत आज 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना माननीय कुंवर सिंह नेगी, माननीय नरेन्द्र सिंह भण्डारी, माननीय शिवानन्द नौटियाल, माननीय रियाज अहमद की है । दूसरी सूचना श्री तरवार सिंह की है । तीसरी सूचना श्री रामरूप निम की है । चौथी सूचना श्री किरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री विश्वनाथ की है । पांचवीं सूचना श्री जसवन्त सिंह बिष्ट की है । छठी सूचना श्री गोपी नाथ वर्मा की है ।

(श्री बलबीर सिंह के खड़े होने पर)
ठाकुरिये जरा सब्र से काम लीजिये ।

श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी डाक्टर शिवानन्द नौटियाल, श्री रियाज अहमद की गोरखपुर कलेक्ट्रेट में बदमाशों द्वारा एक नायब तहसीलदार की पिटाई के संबंध में है । श्री सरदार सिंह की स्कूटर इंडिया, लखनऊ के द्वार पर अनशन करते हुए श्रमिकों की गिरफ्तारी एवं पिटाई के संबंध में है । तीसरी सूचना श्री रामस्वरूप निम की-जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा हरिजन नेताओं की अपनी माँगों के संबंध में ज्ञापन न लिये जाने के विरोध में हरिजनों द्वारा अनशन किये जाने के बारे में है । माननीय फिरंगी प्रसाद विशारद की और माननीय विश्वनाथ की, कु0 कटोरी देवी भूतपूर्व अध्यापिका, मथुरा के श्रमिक अनशन के पश्चात् धरना पर बैठने के पश्चात् भी, उसके ऊपर लगाये गये फर्जी मुकदमों को वापस न लेने के संबंध में है। माननीय जसवन्त सिंह बिष्ट की जनपद अल्मोड़ा के मुख्यालय पर शराब के ठकों की नीलामी के समय पुलिस द्वारा जनता पर लाठी चार्ज किए जाने के संबंध में में है । माननीय गोपीनाथ वर्मा की बस्ती व फैजाबाद जिलों में सीमा विवाद को लेकर तनाव होने के संबंध में है। इन सब सूचनाओं को मैंने शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए, जाँच के लिए और कार्यवाही के लिए, भेज दिया है और जो आगे है, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और माननीय किरनपाल सिंह की सूचना, उसमें एक को ही बुलाया जायगा, आप लोग तय कर लीजिए। उसके आगे है माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री की बुन्देलखंड क्षेत्र में पुरातत्व विभाग द्वारा पुरानी प्रतिमाओं को धार्मिक स्थानों से हटा कर संग्रहालय में रखने के संबंध में है । माननीय बलबीर सिंह की—उत्तर प्रदेश विशेषकर रामपुर जनपद के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को धन का वितरण न किये जाने के संबंध में है। मैंने इन तीनों सूचनाओं को सुनने के लिए स्वीकार किया है, सुनने के बाद मैं निर्णय कर सकूंगा कि किस पर क्या कार्यवाही की जाय । जिन माननीय सदस्यों के नाम मैंने पहले पढ़े हैं, उनकी सूचनाओं को, शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए, मैंने शासन के पास भेज दिया है ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये)

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—
मान्यवर, मैं क गम्भीर मामला आप के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

(माननीय श्री किरनपाल सिंह द्वारा अखबार पढ़ने पर ।)

श्री अध्यक्ष—
माननीय किरनपाल सिंह आप अखबार पढ़ रहे हैं ?

श्री किरनपाल सिंह—
मान्यवर, मैं अखबार पढ़ नहीं रहा हूं, मैं केवल रिफरेंस देख रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—
आप यहाँ पर अखबार नहीं पढ़ सकते हैं । आप घर से तैयार करके आया करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—
मान्यवर, एक ऐसा गम्भीर मामला में कार्य—स्थगन के माध्यम से आपके संज्ञान में और सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । इस समय उत्तर प्रदेश में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों के माध्यम से जो गेहूं मानवीय उपयोग के अनुपयुक्त पाया गया, अनफिट फार ह्यूमन कंजम्प्शन डिक्लेयर किये जा चुके थे, 1983 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं प्रोक्योरमेंट, भंडारण किया था और 50 हजार टन ऐसा गेहूं इनके पास था जो सड़ गया ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—
मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह आटा और गेहूं जिसको एफ0 सी0 आई0 ने खरीदा था और जिसके बारे में माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने नियम 56 में सूचना दी है, इसी सूचना को मैंने आपको नियम 301 में दिया था, जिसको आपने स्वीकार नहीं किया था । मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि जो सूचना नियम 301 के योग्य नहीं है, वह सूचना नियम 56 के अन्तर्गत योग्य कैसे हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 में किसी सूचना को ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए मैंने उनको आज्ञा दे दी है, फिर भी कुछ आप कहना चाहते हों, तो कह सकते हैं।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं कहना नहीं चाहता हूं, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है। मैंने नियम 56 की ग्राह्यता पर बोलने के लिए उनको आज्ञा दे दी है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन, जो गेहूं आया था, परचेज कराया था, वह 188 रु0 के भाव में आटा मिलों वगैरह को दिया जा रहा है, जो कि जहरीला है। श्रीमन, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जो सूचना नियम 301 के योग्य नहीं बन पाई, वह नियम 56 के योग्य कैसे बन गयी ?

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य क्यों खड़े हैं ? आप सब कृपया बैठ जायं।

मैं तो यह कोशिश करता हूं कि जो कुछ लोगों को अकोमोडेट किया जा सके, किया जाय। यह तो आपने ही मुझको अधिकार दिया है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं खामोशी से बैठा हूं। मैंने 301 के समय आपके निर्णय पर कोई किसी तरह से एतराज नहीं किया है। जो सूचना नियम 301 के अन्तर्गत आने के योग्य नहीं है, तो वह नियम 56 में कैसे आ सकती है ?

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग क्यों खड़े हैं ? मैंने माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त को बुलाया है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

तो मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि वह जो गेहूं था, उसको भारतीय खाद्य निगम ने नहीं स्वीकार किया। उसकी किस्म घटिया है, वह गेहूं काला है। मान्यवर, जो गेहूं अनुपयुक्त है, मानव के लिये, और जिस गेहूं का 83 से डिस्पोजल नहीं किया जा सका, उसे सरकार राशन की दुकानों पर भेज रही है। आटा मिल को बाध्यता है कि वह बाजार से गेहूं नहीं खरीद सकते हैं, सरकार वही गेहूं उन मिलों को दे रही है। वह गेहूं खराब है। यह बात अभी आपके संज्ञान में आ जायेगी। एफ0 सी0 आई0 का गेहूं 208 रुपये में बेचने का भाव है, लेकिन चूंकि यह गेहूं खराब है, इसलिये आटा मिलों को 188 रुपये में दिया जा रहा है लेकिन फिर भी वह उठाने को तैयार नहीं है। उस गेहूं का आटा, मैदा और सूजी बनेगी और जब उसको प्रदेश की जनता खायेगी तो उसका क्या हश्र होगा, इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं।

301 की बात श्री रियासत हुसेन ने कही मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इससे महत्वपूर्ण और कोई विषय नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण जनता को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसा गेहूं खिलवाया जा रहा है जो मानव उपयोग के लिये उपयुक्त नहीं है, यह घोषित किया जा चुका है। इस प्रकार से लोगों को मार डालने की, लोगों की हत्या करने की साजिश सरकार कर रही है। यही आटा राशन की दुकानों पर और राहत कार्य के समय जायेगा और मजबूर होकर कमजोर जनता को इसको खाना पड़ेगा। वह बेचारे खायेंगे और मर जायेंगे। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि इस पर आप चर्चा करायें, यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित है। 50 हजार टन गेहू, एक साल हो गया, डिस्पोजल नहीं कर पाये। वह दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है और मजबूरी में हमको और आपको खाना पड़ेगा। यह तत्काल घटी हुई घटना है सम्पूर्ण प्रदेश की जनता का मामला है। इस पर चर्चा करा दें।

श्री किरनपाल सिंह—

एक सूचना देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

एक माननीय सदस्य को अधिकार है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री किरन पाल सिंह—

मैंने खुद देखा है। जो गेहूं हमारे यहां पिछले साल खराब गया था, वह साल भर परचेज सेन्टर पर पड़ा रहा।

श्री अध्यक्ष—

मोहन सिंह जी, इनको समझाइये।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, मैं समझा रहा हूं, परचेज सेंटर से वह गेहूं सीधे आटा मिलों में भेजा जा रहा है। एफ0 सी0 आई0 ने उसको अपने गोदाम में लेने से इंकार कर दिया। उत्तर प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के साथ यह सरकार खिलवाड़ कर रही है। उस गेहूं को यह सरकार सस्ते रेट पर आटा मिलों में भेज रही है। इससे सारी जनता में आतंक है। जहां इस गेहूं का बना आटा, मैदा, सूजी खा रही है, वहां पर फूड प्वाइजनिंग ज्यादा हो रही है। मैं मांग करता हूं कि आज की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायें ताकि इस पर प्रभावी कार्यवाही की जा सके। यह अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना है। इस पर चर्चा अवश्य करा दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कल और परसों भी टोका था। जब इस तरह के महत्वपूर्ण सवाल आते हैं, नियमों से नहीं, लेकिन शिष्टाचार एवं जिम्मेदारी के नाते, संबंधित मंत्री को सदन में रहना चाहिये। मैंने स्वयं देखा था, मंत्री जी आज यहां हैं लेकिन इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के समय वह यहां उपस्थित नहीं हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यह सरकार जान बूझकर जैसा श्री किरन पाल सिंह ने कहा, संवेदन हीन होकर गरीबों का उत्पीड़न कर रही है। सरकार का दृष्टिकोण साफ परिलक्षित होता है कि खाद्य मंत्री जी ऐसे नाजुक मामले पर भी सदन में उपस्थित नहीं हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इसको खाने से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप संसदीय कार्य मंत्री को न सुनें, यह प्रार्थना आप स्वीकार कर लें। हमारी और बहुत सी जानकारी है, जिनको हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे। मान्यवर, जो इस तरह साजिश हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? इसमें शासन के भ्रष्टाचार का मामला भी है, वह पड़ा रहा और खरीदा गया इसके बारे में भी चर्चा करना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष—

यह बात सही है कि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जिससे संबंधित विषय हो, उन माननीय मंत्री को उपस्थित रहना चाहिये। अगर माननीय मंत्री जी हाउस में काम नहीं है। भविष्य में इस बात का ध्यान रखें। मैं प्रश्नों को इस प्रकार से नहीं लूंगा अगर माननीय मंत्री जी सदन में नहीं है और इस बात की जानकारी उन्होंने सदन में नहीं दी या गुप्ता जी ने जो उठाया है, ग्राह्यता की बात कर रहे थे, मैं स्वीकार कर दूं या न करूं, लेकिन उनको उपस्थित रहना चाहिए।

(इस समय खाद्य मंत्री सदन में आ गये)

*संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इस समय आ गए हैं और गेहूं की जो बात उठायी है, इसके बारे में वह कहेंगे कि खराब गेहूं है, मिलों में जा रहा है वैसे सरकार का प्रयास है कि पूरी तरह से शुद्ध चीज मिले और किसी तरह की मिलावट न हो, अगर कोई ऐसी बात है तो उसका पूरी तरह से परीक्षण करवा लिया जाएगा। मान्यवर, "चोरों को सारे नजर आते हैं चोर!" बड़ी पुरानी कहावत है। मान्यवर, जो गेहूं की बात है, उसका पूरी तरह से परीक्षण कराया जाएगा। जहां ऐसी बात है, उसको देखा जाएगा। एक बात और कहूंगा कि कल भी निवेदन किया था जो माननीय गुप्ता जी ने कही थी कि हर मंत्री जिसकी बात आए, उसको उपस्थित होना चाहिए, या तो संविधान या कांस्टीट्यूशन में प्राविधान कर दिया जाए, उसमें हमें कोई एतराज न होगा लेकिन ऐसा संविधान के तहत जरूरी नहीं है कि हर मंत्री हो। एक मंत्री पूरे कैबिनेट को रिप्रेजेन्ट करता है। इसमें हर बार इस प्रश्न को उठाना ठीक नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रियासत हुसैन—

एक मंत्री पूरे कैबिनेट को रिप्रेजेन्ट करता है ऐसा माननीय मंत्री जी ने कहा। आज खबर छपी है कि हर हालत में एक मंत्री को अरुण नेहरु ने बुलाया तो उन्होंने कहा कि वह इस हालत में नहीं है कि वह सामने आ सकें।

श्री अम्मार रिजवी—

यह तो अखबार की बात है। लेकिन मैं गुप्ता जी को नहीं समझा पाऊंगा। क्यों कि यह हमारे क्षेत्र के भी हैं। इन्हें आप ही समझायें—

आँख में आँख डाली नहीं जाती
दिल में दिल कैसे डाल दें।

तो मान्यवर, ज्वाइन्ट रेस्पाँसिबिलिटीके आधार पर मंत्री का रहना जरूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, नेताओं ने तय किया है और चार-पाँच दिन से यह परिपाटी चली आ रही है कि केवल तीन प्रश्नों को जो नियम 56 में आती हैं, उनकी ग्राह्यता पर मैं सुनता हूं तो ऐसी कोई बात नहीं है, तीन माननीय मंत्री जी रह सकते हैं। यदि इनको कोई काम कौंसिल में नहीं है। क्योंकि यह तमाम सूबे से संबंधित है, यदि कौसिल में उन्हें काम है तो वह कह सकते हैं कि यह काम है इस कारण उपस्थित नहीं हुए इसमें केवल तीन की बात रह जाती। इसको ध्यान में रखा जाए।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

श्रीमान् अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से से अत्यन्त लोक महत्व की अविलम्बनीय सूचना को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों में विशेषकर बुन्देलखंड क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं कि जो मन्दिरों में प्रतिमाएं है, उनको उत्तर प्रदेश का पुरातत्व विभाग जबरदस्ती संग्राहालय में उठा लिये जा रहा है। श्रीमान्, बुन्देलखंड क्षेत्र में एक आध मूर्ति चोरों के गिरोह सक्रिय हो रहे हैं। इस प्रकार इन अमूल्य रत्नों को जो बुन्देलखंड की संस्कृति और गौरव के प्रतीक हैं, और सैकड़ों वर्षों से पूजी जाती हैं, जिनको बुन्देलखण्ड की जनता ने किसी प्रकार से ज़मीन से खुदाई में, खेतों में पाया है, और जो हजारों वर्षों से हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, आज सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है और उनको किसी भी प्रकार से कोई संरक्षण नहीं दिया जा रहा है।

हमारे यहाँ लालपुर स्थान है झांसी जनपद में, विशेषकर वहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं, इस प्रकार की अमूल्य प्रतिमाएं हैं, सैकड़ों वर्षों पुरानी देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, वह आज श्रीमन् जी हजारों रुपयों में विदेशियों के हाथों में बेची जा रही है और सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की है। बुन्देलखंड की जनता जिन पवित्र मन्दिरों में जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, उनको रखकर पूजा करती है, श्रद्धा करती है। उनको आपके पुरातत्व विभाग के अधिकारी, पुलिस के माध्यम से जबर्दस्ती उठा लेते हैं और प्रशासनिक अधिकारी उनको उठवाकर अपने घरों की शोभा बढ़ाते हैं।

श्रीमान् जी, स विधान में भी हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और श्रीमान् जी, इस शासन के द्वारा बुन्देलखण्ड जनता की धार्मिक भावनाओं को हर प्रकार से ठेस पहुंचाई जा रही है और संघर्ष की स्थिति खड़ी हो गयी है। उन प्रतिमाओं की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है और यदि हम सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं तो श्रीमान जी, इनके अधिकारी उसमें व्यवधान उत्पन्न करते हैं। अतः मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह हमारी संस्कृति का प्रश्न है, बुन्देलखंड की जो गौरवशाली संस्कृति रही है, वहाँ के मन्दिरों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था यह सरकार नहीं कर रही है। इसी सदन में एक बार जो आज कल शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा था कि बुन्देलखंड के अन्दर जो इस प्रकार की कलाएं और चित्र हैं उनको संरक्षण प्रदान करेंगे। मान्यवर, पिछले दो सालों में कम से कम दो लाख रुपयों की मूर्तियाँ चोरी में पकड़ी गयी हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

महत्व के प्रश्न पर तत्काल इस सदन में चर्चा की माँग करता हूं।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर यह जो मूर्तियों के बारे में बतलाया गया तो एक बहुत बड़ा संग्रहालय झांसी में बन रहा है और इसी वजह से बनाया जा रहा है कि वहाँ झांसी डिवीजन, बुन्देलखंड डिवीजन की जितनी ऐसी कलाएं है, चित्र और मूर्तियाँ हैं, उनको एक जगह रखा जाय। अग्निहोत्री जी ने जो बात कही कि अधिकारी अपने घरों में इन मूर्तियों को रखे हैं तो उसकी जाँच की जायगी, लेकिन उनका संरक्षण वहीं हो सकता है, जब म्यूजियम में रखी जायं। और जिन लोगों के पास ऐसी मूर्तियाँ हों, जैसे कोई मूर्ति 100 साल पुरानी है और उसका ऐतिहासिक महत्व है, तो उनसे कहा गया है कि वे लोग ऐसी मूर्तियों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और यदि वे म्यूजियम में देना चाहते है, तो दे सकते हैं। और अगर कोई ऐसी मूर्ति जो जंगल में, खेत में और किसी अन्य स्थान पर मिलती है तथा जिसका कोई क्लेम करने वाला न हो, तो ऐसी मूर्तियों की सुरक्षा हेतु उन्हें म्यूजियम में रख दिया जाता है उसके साथ उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है कि किस जमाने में यह मिली, कहाँ मिली आदि। माननीय सदस्य के पास अगर कोई ऐसी निश्चित जानकारी है कि अमुक अधिकारी के यहाँ पर इस प्रकार की मूर्ति है या फिर किसी अधिकारी के यहाँ मूर्ति मिलती है, यह समझ कर कि इस मूर्ति को मन्दिरों से लाया गया है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। सार्वजनिक स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर अगर कोई मूर्ति सुरक्षित नहीं है, तो उसे सुरक्षित रखने हेतु म्युजियम में रख दिया जाता है। मैं समझता हूं कि अपने कल्चर, हिस्ट्री को प्रिजर्व करना अत्यन्त आवश्यक है। इस विषय की तरफ माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया, इसके लिये उनको धन्यवाद। इन्हें म्यूजियम में रखने का कारण भी यह है कि ताकि कोई प्राइवेट वाडी इनका कारोबार न कर सके।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, मैं तो मन्दिरों के बारे में कह रहा था।

श्री अध्यक्ष—

मैं, ग्राह्यता के ऊपर आपको सुन चुका हूं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, मैंने सूचना दी है कि सैकड़ों वर्षों से हमारे देवालयों में और मन्दिरों में मूर्तियों की स्थापना की गयी है और जिनकी हम सैकड़ों वर्षों से अराध्य देव के रुप में पूजा करते आ रहे हैं, उन मन्दिरों से मूर्तियों को उठाकर ले जाया जा रहा है। जहाँ तक आपने कहा कि खेतों, जंगलों में जो मूर्तियाँ मिलती हैं, उन्हें हम म्यूजियम में स्थापित कर देते हैं। इसको तो हम भी स्वीकार करते हैं हमें भी इस प्रकार की यदि कोई मूर्ति मिलती है, तो उसे हम स्वयं म्यूजियम में भिजवा देते हैं। परन्तु जो हमारे विशाल मन्दिरों से मूर्तियों को उठा कर ले जाया जा रहा है, उसके बारे में मैंने माननीय मंत्री जी को सूचना दी है।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जहाँ तक किसी धार्मिक स्थान से मूर्ति ले जाने का प्रश्न है, इसके ऊपर बिलकुल प्रतिबन्ध है। कोई भी आदमी धार्मिक स्थानों से मूर्ति नहीं ले जा सकते हैं मैंने तो उन मूर्तियों के बारे में कहा था जो सार्वजनिक स्थानों पर जैसे, जंगल, खेत आदि में पाये जाते हों। यदि माननीय सदस्य के पास कोई निश्चित जानकारी हो कि अमुक आदमी या अधिकारी ने फलाँ फलाँ धार्मिक स्थान से मूर्ति को उठाकर अपने घर पर रखा है तो उसकी जाँच की जायगी। यदि वह दोषी पाया जायगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

उत्तर प्रदेश एवं रामपुर जनपद में बाढ़ ग्रस्त लोगों को रुपया उपलब्ध होने पर भी अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शिथिलता लापरवाही, भ्रष्टाचार के कारण रुपया न बट सका और आँशिक भुगतान के बाद पूर्ण भुगतान नहीं हो सका।

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत वही सूचनायें पढ़ी जा सकती है, जो 200 शब्द या 200 शब्द से कम हों।

*श्री बलबीर सिंह (रामपुर)—

मान्यवर, यह 200 शब्द से कम है। महोदय, रामपुर जनपद में लगभग 800 ग्रामों में आयी भीषण बाढ़ के संबंध में शासन की ओर से 72 लाख रुपया और फिर 40 लाख रुपया बाँटने हेतु 1 करोड़ 19 लाख रुपए की माँग के विपरीत भेजा गया। परन्तु रामपुर जनपद में अधिकारियों, कर्मचारियों की शिथिलता, लापरवाही, भ्रष्टाचार के कारण केवल आँशिक भुगतान किया गया और पूरा भुगतान करने हेतु वह वादा किया गया कि शासन से रुपया आने पर पूर्ण भुगतान कर दिया जायेगा। मुझे यह जानकर कष्ट हुआ कि शासन का 1 करोड़ 12 लाख रुपया 1 करोड़ 19 लाख के विपरीत पहुंचाया गया। जनपद में पर्ण भुगतान न होने पर भी शासन को, रुपया बाँटे बगैर रुपया वापस कर दिया गया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में भी अधिकारियों की शिथिलता निष्क्रियता, भ्रष्टाचार के कारण रुपया बिना बंटे वापस हुआ। जनपद में बाढ़ग्रस्त लोगों की सूची बनाने का कार्य व चेकिंग का काम 20 नवम्बर तक पूरा हुआ और रुपया 23 नवम्बर से बंटना शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की तथा रामपुर जनपद की जनता में घोर उत्तेजना एवं आक्रोश असन्तोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन में कार्य स्थगन कर 2 घंटे की चर्चा की माँग करता हूं जो रुपया बांटने के लिए भेजा गया था, जो जनपदों से वापस आया है उसे पुनः पर्ण भुगतान हेतु भेजा जाये।

मान्यवर, 23 सितम्बर को रामपुर में बाढ़ आयी और रुपया बंटना शुरू किया 22 नवम्बर को, यानी दो महीने के बाद। मान्यवर, शासन के स्पष्ट आदेश और निर्देश हैं कि जिस वक्त बाढ़ आये, वहाँ तुरन्त ही सहायता पहुंचायी जाय और आँशिक भुगतान 15 दिन के अन्दर कर देना चाहिये। मान्यवर, इसके बावजूद दो महीने तक वहाँ के गरीब हरिजनों और भूमिहीन किसानों को आँशिक भुगतान तक नहीं दिया गया और जब वहाँ रुपया भुगतान के लिये पहुंच गया तो 23 नवम्बर को बाँटना शुरू किया, वह भी आँशिक भुगतान में, और मान्यवर, यह कहना चाहूंगा कि जो रुपया शासन ने वहाँ के लिये दिया था, वह बिना बंटे वापस आ गया। मान्यवर, यह मंत्रिमंडल सो रहा है, अपने नशे में मदहोश है। मान्यवर, इस मंत्रिमंडल के द्वारा किस तरह से उन गरीब हरिजनों, भूमिहीन लोगों पर जुल्म हो रहा हैं, इस पर आपका संरक्षण चाहता हूं। मान्यवर, आप मंत्रिमंडल को यह निर्देश दें कि ऐसी संगीन वारदात फिर न हो और ऐसी घटना फिर न हो और जो रुपया बिना बंटे वापस आ गया है, वह जनपद को फिर दोबारा बाँटने के लिये भेजा जाय।

डा0 बृज किशोर मिश्र—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है। मान्यवर, मैं इस व्यवस्था की बाबत बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि 27 तारीख को एक सूचना 301 में आयी थी। मान्यवर, हमारे यहाँ 27 तारीख को भयंकर तूफान और आँधी आया उसमें "पडरौना" नामक जगह के हजारों घर जल गये, हजारों मवेशी मर गये और काफी जन धन की हानि हुई। मान्यवर, यह काफी महत्वपूर्ण और लोक महत्व का मामला है। मैं बड़ा परेशान हूं। मान्यवर, उसकी बाबत मैं आपसे शासन के लिये कोई निर्देश चाहता हूं।

राजस्व मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

मान्यवर, जैसी कि सूचना माननीय सदस्य ने दी और इसकी बाबत जिक्र किया मान्यवर, वहाँ की स्थिति की बाबत जो सहायता के लिये वहाँ धन भेजा गया था, उसका किस तरह से वितरण हुआ। मान्यवर, इसमें जानकारी करने के बाद ही मैं सदन के समक्ष पूरी बात रख सकता हूं। अतः इस समय इस संबंध में अधिक कुछ कहना मरे लिये उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत जो मुझे सूचनाएं प्राप्त हुयीं। उसमें मैंने जैसा कि कहा था कि इन-इन सूचनाओं पर शासन का ध्यान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आकर्षित कर दिया गया है और जहाँ तक माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और किरन पाल सिंह की सूचना का सम्बन्ध है, उसको वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। राजेन्द्र अग्निहोत्री जी की सूचना पर, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने उत्तर दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं उस पर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इसके बाद जहाँ तक श्री बलवीर सिंह जी की सूचना का ताल्लुक है, उस पर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं और इसके साथ ही खासतौर से जिन-जिन बातों का जिक्र उन्होंने किया है, और जो पत्र में तथ्यों का उल्लेख है, मा0 मन्त्री जी उन पर जाँच कराकर, यथासम्भव कार्यवाही करेंगे। मैं नियम 56 के अन्तर्गत इन सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम—56 के तहत ही मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, मेरा अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय था। आपने उस पर केवल शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

विष्ट जी, आप बैठिये मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, इस तरह की घटना पहली बार यहाँ पर हुई है। मान्यवर, शराब के ठेकों की नीलामी के समय पुलिस द्वारा जनता पर भारी लाठी चार्ज हुआ है। मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है, मान्यवर, इस पर केवल ध्यान आकर्षित करने से शासन का कुछ नहीं होगा। मान्यवर, या तो आप मुझे इस पर कुछ कहने का मौका दें, दें ताकि पूरे तथ्य सामने आ जायं। मान्यवर, केवल शासन का ध्यान आकर्षित करने से शासन की आँखें नहीं खुलेंगी।

श्री अध्यक्ष—

विष्ट जी, अगर आप इस तरह बोलेंगे, तो मैं भविष्य में कभी नहीं बोलने दूंगा। आप बैठ जायं। आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं। कोई शब्द अब नहीं लिखा जायेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[× × ×]

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मैंने आपको बोलने की आज्ञा नहीं दी है।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट के बैठ जाने पर।)

माननीय विष्ट जी, भविष्य में ध्यान रखें, आपको ऐसा नहीं करना चाहिये।

श्री रियासत हुसैन—

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने यहाँ नियम 56 के अन्तर्गत सूचना दी थी, श्री चतुर्भुज त्रिपाठी, जो जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो गलत मुकदमों में फंसाये गये, उनके भाई को 4 दिन पहले बन्द कर दिया गया क्यों कि उन्होंने झूठे इनकाउन्टर का मामला उठाया था। आज के लिये वक्तव्य हेतु तिथि निर्धारित थी, वह वक्तव्य भी नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

यह वक्तव्य 31 तारीख को लगा हुआ है।

श्री रियासत हुसैन—

यह तो मैं समझ रहा था कि 29 के बजाय 31 को वक्तव्य आयेगा, लेकिन जो पुलिस की ज्यादतियाँ चल रही हैं, उनका कोई निराकरण नहीं हुआ है, जैसी कि माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी कि डी0 आई0 जी0 को आदेश जारी करेंगे। इसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

(संसदीय कार्य मंत्री को सम्बोधित करते हुए)

आपने आश्वासन दिया था। माननीय रियासत हुसैन ने मुझको टेलीफोन किया था, मैंने आपसे कहा था, आपने गृह सचिव को 11.45 पर मेरे कक्ष में बुलवाया था। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दें।

नोट—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अम्मार रिजवी—

जिस दिन मैंने सदन में निवेदन किया था, उसी दिन शाम को इसकी सूचना गृह सचिव के यहाँ भेज दी गयी थी। गृह सचिव ने टेलीफोन से सम्पर्क स्थापित करने के लिये कहा है ताकि जैसा माननीय सदस्य से कहा था, उसी के अनुसार कार्यवाही की जा सके।

(श्री मोहन सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

प्रदेश की वर्तमान बड़ी इकाई को बांटकर चार छोटी प्रशासकीय इकाइयों में बांटे जाने के सम्बन्ध में दिए गये संकल्प पर आपत्ति

श्री जयदीप सिंह बरार—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय मोहन सिंह जी ने जो संकल्प रखा है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि न तो इस पर विचार कर सकते हैं और न चर्चा हो सकती है क्योंकि अगर इसको पारित भी कर दें तो भी यह निष्प्रभावी होगा। माननीय मोहन सिंह जी ने लिखा है कि....

श्री अध्यक्ष—

पहले उनको पढ़ने तो दीजिये।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, वे पढ़ चुके हैं, अब तो इस पर चर्चा शुरू होनी है। मैं चाहूंगा कि पहले मेरी बात पर विचार कर लें। राज्य सरकार की जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, उनको राज्य सरकार ही निर्धारित कर सकती है। केन्द्र सरकार का जो अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 2 में दिया हुआ है कि केन्द्र सरकार ऐसा कानून बनाकर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है या दो राज्यों को सम्मिलित करके नया राज्य बना सकती है। पूरे संविधान में कहीं पर भी ऐसा शब्द नहीं आया है कि राज्यों में नई प्रशासनिक इकाइयों को बनाया जाय। अतः यह केन्द्र सरकार और पार्लियामेंट के अधिकार के परे है। 7वीं अनुसूची में जो व्यवस्था दी हुई है, उसके अनुसार प्रशासनिक विषय राज्य सरकार के हैं। जब तक यह सदन मौजूद है और यहाँ पर लोकप्रिय सरकार मौजूद है, यदि गवर्नर रूल हो जाय या आपातकाल की घोषणा हो जाय तब तो बात दूसरी है, नहीं तो जैसा मा0 मोहन सिंह जी कह सकते हैं कि इसके पीछे भाव यह है। संकल्प स्पष्ट होना चाहिए। जब तक यह इसे संशोधित न कर दें जिससे कि "प्रशासनिक इकाइयों" की जगह "राज्य" का शब्द आ जाय, तब तक इस पर विचार करना भी असंवैधानिक होगा। और अगर यह संकल्प पारित भी हो जाय तो संसद या केन्द्रीय सरकार इस पर कोई कार्यवाही करे, यह सम्भव नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय बरार जी ने जो कहा है तो इसमें लिखा है "उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्रशासकीय इकाई आकार में वृहद है।" फिर आगे कहा है कि "वर्तमान बड़ी इकाइयों को बाँट कर चार छोटी प्रशासकीय इकाइयों में किए जाने हेतु कार्यवाही करें।" तो जहाँ तक प्रशास-कीय मामला है यह उत्तर प्रदेश सम्बन्धित है। किन्तु यह आकार का मामला है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कार्यवाही करेगी। आपको चाहिए था कि आप कोई संशोधन लिख कर देते।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैंने लिख कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

वह देर से आया है।

प्रदेश की वर्तमान बड़ी इकाई को बांटकर चार छोटी प्रशासकीय इकाइयों में बांटे जाने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)†

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैंने आपकी आज्ञा से प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्रशासकीय इकाई आकार में वृहद है। इसलिए यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि वह प्रदेश की वर्तमान बड़ी इकाई को बाँट कर चार छोटी प्रशासकीय इकाइयों में किए जाने हेतु कार्यवाही करे।

मान्यवर, इस सदन में और इस सदन के बाहर हमेशा यह विचार व्यक्त किए

---

†दिनांक 15 मार्च, 1984 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाते रहे हैं कि आज जो उत्तर प्रदेश का आकार है, वह इतना बड़ा है कि इतने बड़े आकार में प्रशासन हम एक प्रशासनिक इकाई से नहीं चला सकते हैं। यह भावना उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में व्याप्त है इसलिए इसके पहले भी इस सदन में और इस सदन के बाहर आन्दोलन की शक्ल में भिन्न-भिन्न इलाकों में, अनेक राज्यों में बाँटने के लिए आन्दोलन होते रहे हैं।

मैंने स्वयं यह माँग की थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक अलग इकाई बना दी जाय, अलग सूबा बना दीजिए, अलग राज्य बना दीजिए। इस सम्बन्ध में एक संकल्प मैंने प्रस्तुत भी किया था लेकिन वह यहाँ विचार के लिए नहीं आ सका। पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग, बुन्देलखण्ड की जनता, पर्वतीय क्षेत्र के लोग तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता की बराबर यह माँग रही है और सबका निश्चित मत है कि बुन्देलखण्ड को अलग कर दिया जाय, पर्वतीय क्षेत्र को अलग कर दिया.....

[इस समय, 1 बजकर 24 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भीखा लाल पीठासीन हुए]

जाय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग कर दिया जाय।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

मान्यवर, कोरम नहीं है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

लगता है कि माननीय सदस्य की गणित बहुत कमजोर है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मोहन सिंह, आप अपना वक्तव्य जारी रखें, कोरम है।

श्री मोहन सिंह—

लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में आम वातावरण का स्वरूप यही है भावनावश कि प्रदेश का बंटवारा न हो और प्रदेश का यही स्वरूप बना रहे अविभाजित रूप में 1981 में एक संकल्प द्वारा केन्द्रीय सरकार ने इस बात की जब संस्तुति की थी तो भावनावश मैंने भी इस बात का विरोध किया था। लेकिन आज की परिस्थितियों वश जब सारे आँकड़े हमारे सामने आते हैं तो लगता है कि उत्तर प्रदेश की इकाई को यदि बाँटा नहीं गया तो हमारा प्रदेश निरन्तर पिछड़ता ही रहेगा, इसकी तरक्की नहीं हो सकती है। इसका प्रमुख कारण है कि जब इसके बंटवारे का प्रश्न उपस्थित हुआ था तो केन्द्रीय सरकार ने एक कमीशन की नियुक्ति की थी, फजले अली कमीशन के नाम से कि वह भाषा-भाषी जनता के आधार पर राज्यों की परिसीमा निर्धारण का तरीका अपनाए और उसके बाद भी बहुत से राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर नहीं हो रहा था। लेकिन इसके लिए भिन्न-भिन्न जगहों पर आन्दोलन हुए और केन्द्र सरकार को राज्यों की सीमाएं निर्धारित करनी पड़ीं।

इस आयोग को एक प्रतिवेदन दिया गया था। आयोग ने समग्र रूप से इस पर विचार किया था और यह सुनिश्चित हुआ कि बंटवारा निश्चित है। इसमें बुन्देलखण्ड को अलग हमारे प्रदेश में जोड़ा गया था। लेकिन उसी के साथ ही साथ आगरा और मेरठ कमिश्नरियाँ और हरियाना के कुछ जिलों को मिलाकर एक अलग प्रदेश बनने की बात थी, उसी कमेटी के एक सदस्य ने इस पर अपना एक डिसेन्ट लगाया यहाँ की जनता की भावना को देखकर। पर्वतीय अंचल जब से हमारा लिखित इतिहास प्राप्त है हिन्दुस्तान की इकाई नहीं रहा है। यह हमारे देश और प्रदेश से अलग था, गोरखाओं के साथ जो अंग्रेजों का समझौता हुआ, उस के आधार पर 18वीं शताब्दी में यह हमारे देश का अंग बना। जब से ज्ञात इतिहास है, हमारा देश एक प्रशासनिक इकाई के रूप में नहीं था। 6ठी शताब्दी के इतिहास को उठा कर देख लें, तो यह मालूम हो जायगा कि उस समय भी हमारा देश एक प्रशासकीय इकाई के रूप में नहीं था, यह 6 महा जनपदों में विभक्त था: कभी भी यह एक महाजनपद के रूप में नहीं था।

मान्यवर, जब से मध्यकालीन इतिहास प्रारम्भ होता है तब से भी यह देश एक इकाई के रूप में नहीं था, अंग्रेजी काल में भी यह एक प्रशासकीय इकाई के रूप में नहीं था। जब यहाँ पर विद्रोह और आन्दोलन शुरू हुए तो अंग्रेजों ने इसको एक करने का

प्रयास शुरू किया। जब अवध के नवाब थे और यहाँ के जो राज और महाराज थे, उनको मिलाकर यह एक प्रशासकीय इकाई के रूप में हुआ। यद्यपि यह जनता की भावना के प्रतिकूल था, जनता की प्रबल भावना नहीं थी कि यह एक इकाई के रूप में हो। यही कारण है कि यह कभी एक इकाई के रूप में नहीं रहा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जनता की भावनाओं के विपरीत जनता की इच्छा के प्रतिकूल, राजनीतिज्ञों ने केन्द्रीय स्तर पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक इकाई के रूप में इसको बनाया।

अंग्रेजी जमाने में भी, ब्रिटिश शासन काल में, जो उन्होंने प्रेसीडेंसी कायम की, वह बंगाल की थी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मौजूदा बिहार, आसाम और उससे सटे हुए पर्वतीय स्टेट और ट्राइबल स्टेट, पूर्वी बंगाल, उड़ीसा एक प्रशासकीय इकाई थे। मान्यवर, यह सब मिलकर एक इकाई थे, प्रशासन की दृष्टि में, और काम उस पर चला करता था। उस समय इतने बड़े भाग का प्रशासन करना आसान था और प्रशासन ठीक रूप से चला करता था, वह एक समय था जब इतने बड़े प्रदेश का प्रशासन ठीक से चलता था। मान्यवर, धीरे-धीरे यह कम हुआ, उड़ीसा अलग हुआ, पूर्वी बंगाल अलग हुआ, पश्चिमी बंगाल अलग हुआ, आसाम के छोटे-छोटे 5 राज्य बन गये। यह सब इस कारण हुआ कि उसका प्रशासन ठीक प्रकार से नहीं चल पाता था। लेकिन मान्यवर, हमारे प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ। इनके मन में यह था कि यह प्रदेश तरक्की कर जायगा, अगर इसको विभाजित कर दिया जायेगा और यहाँ की जनता जागरूक हो जायगी और यहाँ पर प्रगतिशील नेतृत्व आ जायगा और तब एक वंश का नेतृत्व नहीं रह जायेगा।

आप अब मान्यवर, इस देश में देख लें, हिमांचल प्रदेश की कुल आबादी 45 लाख है, त्रिपुरा जैसे प्रदेश की आबादी 29 लाख है, नागालैन्ड, मेघालय और मिजोरम की आबादी 6–7 लाख है। हमारे प्रदेश के एक ही मंडल को ले लें, गोरखपुर को ही लें लें, उसके प्रत्येक जिले की आबादी इन प्रदेशों की आबादी से अधिक हैं। देवरिया जिले की आबादी 36 लाख है, आजमगढ़ की आबादी 38 लाख है और जबकि हिमाँचल प्रदेश की आबादी 45 लाख है। तो मान्यवर, हमारे प्रदेश में एक-एक जिले की आबादी 38–38 लाख है। जब हमारे पास इतने साधन और प्रसाधन हैं, वैज्ञानिक साधन उपलब्ध हैं कि एक मिनट में बैठे-बैठे हम अमेरिका और न्यूयार्क से इस प्रकार से बात कर सकते हैं जैसे कि हम अपने पड़ोसी से बात कर रहे हैं। लेकिन मान्यवर, यह सुनकर बड़ा दुख होता है कि जब इस सदन में कहा जाता है कि सूचना मंगाई जा रही है। सूचना मंगाने में 3–3 महीने लग जाते हैं। कोई प्रशासकीय नियन्त्रण इस सदन का या इस प्रदेश की सरकार का बड़ी इकाई होने के नाते नहीं है। इसलिए जनता की इच्छा को ध्यान में रखते हुए और प्रशासन पर लोकतांत्रिक पकड़ हो, जैसा कि एक आम प्रचलित शब्द माननीय मिश्रा जी कहते हैं, उसको कार्यान्वित करने के लिए प्रशासन की इकाई को छोटा करना होगा। दूसरी बड़ी विडम्बना है। कमोबेश जो तरक्की की जूठन है बड़ी प्रशासन की इकाई होने के पीछे जो एक तर्क दिया जाता था कि हमारा जो प्रशासकीय व्यय है, वह हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों के मुकाबले में सबसे कम है। इनका वह अहंकार भी झूठा हो गया।

हमारा प्रदेश आकार में बड़ा हो जाने के बाद पिछले पाँच वर्ष में उसका प्रशासकीय व्यय 13 प्रतिशत से 30 प्रतिशत हो गया और दिनोदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए जो हमारी दलील थी कि प्रशासन के ऊपर बड़ी इकाई होने के नाते खर्च कम होता है, हम समझते हैं कि न तो प्रशासन व्यय कम होता जा रहा है न ही मितव्ययिता हो रही है। आज स्थिति यह है कि आर्थिक क्षेत्र में असन्तुलन और विषमता बड़ी तेजी से बढ़ रही है और वह एक गम्भीर समस्या हो गयी है। यदि इस पर नियन्त्रण न किया गया जो कि बड़ी इकाई के रहते असम्भव है, चाहे साक्षरता का सवाल हो, फिक्स आमदनी का सवाल हो, चाहे योजनाओं

के ऊपर होने वाले व्यय का सवाल हो, चाहे विद्युत हो या चिकित्सा के ऊपर व्यय का सवाल हो, यदि हम इस पर आँकड़े देते हैं, तो इस हिसाब से चार खण्डों में विभाजित करने पर सबसे कम व्यय, सबसे कम फिक्स आमदमी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड की है, यह खण्ड पिछड़ता जा रहा है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी---

मान्यवर, सदन में कोरम नहीं है।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन् 1 और 2 बजे के बीच कोरम की आवश्यकता नहीं होती।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, प्रथा यह है कि 1 और 2 बजे के बीच में कोरम का प्रश्न नहीं उठाया जाता। जब सदन का समय 11 बजे से 5 बजे तक किया गया तो उस समय यह भी किया गया कि 1 और 2 बजे के बीच में कोरम का प्रश्न नहीं उठाया जायगा।

श्री अधिष्ठाता---

जैसा कि माननीय मोहन सिंह ने कहा कि परम्परा यह रही है कि 1 और 2 बजे के बीच में कोरम का प्रश्न नहीं उठाया जाता क्योंकि यह लन्च का समय रहता है। इसलिए 2 बजे के बाद कोरम नहीं होगा, तो उस समय देख लिया जायगा। कृपया भाषण जारी रखें।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, पर्वतीय अंचल में जब इस बात के लिए संघर्ष हुआ कि हम पिछड़े हैं तो उनकी तरक्की के लिये एक पर्वतीय विकास बोर्ड बनाया गया और उसके लिए अलग से वित्तीय प्राविधान किया गया। अपनी वार्षिक योजनाओं में, आय-व्ययक में, उसके लिए अलग से हमने वित्तीय प्राविधान किया बावजूद इसके कि रोजाना इस सदन में यह बात उठती है कि वहाँ के लिए जितना वित्तीय प्राविधान किया हुआ है, जितना व्यय निर्धारित है वह खर्च नहीं हो पाता है। जिसका नतीजा यह होता है कि जिस पर्वतीय इलाके को तरक्की करनी चाहिए, वह नहीं कर पाता। दूसरी बात यह है कि वहाँ के औषधालयों, विद्या मंदिरों, चिकित्सा केन्द्रों में जिन मैदानी इलाके के लोगों की नियुक्ति होती है उनकी निरन्तर अवज्ञा होती है और वे लोग वहाँ नहीं जाते हैं।

वहाँ के चिकित्सालय डाक्टरों के अभाव में रिक्त हैं, वहाँ की शिक्षा संस्थाएं अध्यापकों के अभाव में रिक्त हैं। वहाँ के लिए बजट में अलग से पैसा होने के बावजूद, पैसे की कमी न होने के बावजूद, उचित रूप से व्यय नहीं हो रहा है। नतीजा यह है कि आज से 10 साल पहले हिमाँचल प्रदेश की फिक्स आमदनी कुमायूं और गढ़वाल की फिक्स आमदनी के लगभग बराबर थी लेकिन पिछले 10 वर्षों में हिमाँचल ने इस प्रगति के मार्ग में इतनी तेजी से छलाँग लगाई कि उसकी फिक्स आमदनी उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र से काफी आगे है। हमारे सम्पूर्ण हिन्दुस्तान की आमदनी ताजा आँकड़ों के हिसाब से साढ़े 18 सौ के आसपास है और हिमाँचल प्रदेश की फिक्स आमदन साढ़े 16 सौ के आसपास है। हमारे उत्तर प्रदेश की फिक्स आमदनी साढ़े 14 सौ के आसपास है तो इसी को अगर आधार मान लिया जाय तो इसमें गाजियाबाद की फिक्स आमदनी साढ़े 16 सौ, सबसे ज्यादा है उसके बाद सहारनपुर जिला सबसे आगे है जिसकी फिक्स आमदनी 1330 के आसपास है।

इसके बरअक्स हम पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड में चलते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन जिलों की फिक्स आमदनी के मुकाबले में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड के इलाकों को लें, जिसमें हमीरपुर को छोड़ दें तो वह आधे से भी कम आती है। देवरिया जिले की फिक्स आमदनी ताजा आँकड़ों के अनुसार 520 रुपया है, गोरखपुर जिले की 623 रुपया है आजमगढ़ जिले की 7 सौ है। हमीरपुर जिले की भी 7 सौ के आसपास है, बस्ती की भी 6 सौ के आसपास है। तो हिन्दुस्तान की आमदनी के मुकाबले में यह 1/3 है और उत्तर प्रदेश की आमदनी में आधे से भी कम है। गाजियाबाद के मुकाबले में 1/3 आमदनी है। ऐसा इसलिए है कि हमने एक भावनात्मक तर्क इसके पीछे रखा था और एक रखने की बात थी, उसके रहते पूर्वी उत्तर प्रदेश में

कोई संघर्ष नहीं हुआ। उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे पर्वतीय संसाधन और उसकी आबादी के हिसाब से जिस अनुपात में पूर्वांचल को हिस्सा मिलना चाहिए था वह नहीं मिला और पूर्वी उत्तर प्रदेश गरीब होता गया इसको देखते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के श्री विश्वनाथ गहमरी ने सन् 1964 में यह मामला उठाया और उससे प्रभावित होकर पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पटेल कमीशन नियुक्त किया था जिसने 4 जिलों के आँकड़े इकट्ठे कर के कहा था कि साक्षरता के हिसाब से 4 जिले हिन्दुस्तान के आकड़ों के मुकाबले में आधे से भी कम है। महिलाओं की साक्षरता तो बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल में 9 और 11 फीसदी है। जहाँ हमारे सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की साक्षरता साढ़े 27 प्रतिशत है और इन चार जिलों की साक्षरता 21 और 22 प्रतिशत है लेकिन महिलाओं की साक्षरता 11 फीसदी है और बुन्देलखण्ड में 9 प्रतिशत है। उसका नतीजा यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड इनकी घोर उपेक्षा के कारण योजनाओं में पिछड़ता चला गया और उसका नतीजा यह हुआ कि बुन्देलखण्ड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रगति की रफ्तार तेजी से कम होती गयी।

यह सच है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश हुआ उसका कारण यह रहा कि गंगा और यमुना में अंग्रेजों के जमाने से ही नहरें निकलीं और उसका उपयोग वहाँ के किसानों ने किया जिसके कारण उनकी तरक्की हुई, खासतौर से मेरठ कमिश्नरी में ज्यादा हुई और दूसरा कारण यह भी रहा कि दिल्ली देश की राजधानी होने के कारण और यहाँ से नजदीक होने के कारण वहाँ पूंजी निवेश ज्यादा हुआ। वहाँ की कुछ जूठन पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिल गयी। वहाँ जो तरक्की हुई है उसका श्रेय हमारी राजधानी लखनऊ को देना कतई उचित नहीं है। इस का थोड़ा बहुत श्रेय केन्द्र की राजधानी, दिल्ली को जाता है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नजदीक है और दूसरा गंगा और यमुना का जल कृषि क्षेत्र में प्रारम्भ से लगा, उसका सदुपयोग हुआ जिसके कारण वहाँ तरक्की हुई। लेकिन यदि वह इलाके प्रारम्भ से अलग होते तो वह हरियाणा से आगे होते।

आज अफसोस है कि हरियाणा जैसी प्राकृतिक जलवायु भी जहाँ है वहाँ भी हरियाणा जैसी उपज नहीं है। इसलिए यदि वह इलाके प्रारम्भ में ही अलग होते तो आज कृषि क्षेत्र में हरियाणा को नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हम आगे पाते। इसीलिए जो शिकायत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की जनता को है कि हमें उपेक्षित रखा जाता है क्योंकि एक उच्च न्यायालय की पीठ तक नहीं मिलती है, जिसके लिए संघर्ष और आन्दोलन करना पड़ता है। इसलिए मान्यवर, चूंकि बहुत से माननीय सदस्यों को इसमें अपने विचार व्यक्त करना है, इसलिए मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि यह जो आज हमारी वर्तमान प्रशासकीय इकाई आकार में वृहद है, अप्राकृतिक ढंग से जनता की इच्छा के खिलाफ, अंग्रेजों की इकट्ठा की हुई इकाई है, इसलिए इसके एक रहने की कभी मंशा नहीं है, इसलिए इस आधार पर वर्तमान बड़ी इकाई का बंटवारा होना चाहिए।

मान्यवर, दूसरी बात अब मैं कहना चाहता हूं कि सुदूर इलाके में प्रशासन की पकड़ नहीं है, इसलिए बंटवारा होना चाहिए। मान्यवर, तीसरी बात क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ता जा रहा है, इसलिए बंटवारा होना चाहिए और मान्यवर, चौथी बात इलाके स्वयं अपने पिछड़ेपन के कारण प्रदेश द्वारा उनके साथ अन्याय होने की शिकायत होती रही है, इसलिए एक सिविल वार की स्थिति न पैदा हो जाये, झगड़ा न हो जाये इसलिए भाई चारा बना रहे तो इसके लिए भी इस बड़ी इकाई का बंटवारा होना जरूरी है और यह काम केन्द्र सरकार कर सकती है। इसलिए जैसा केन्द्र सरकार ने अलग राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था तो आज देश की बदलती हुई परिस्थितियों में और सभी राज्यों में स्वयत्तता का आन्दोलन चल रहा है इसलिए स्वायत्तता की नीति निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से संस्तुति करना चाहिए कि राज्य के अधिकारों में बढ़ोत्तरी की जाय और यही नहीं,

इसकी सीमा के पुनर्निर्धारण के लिए अपने विचार और राय दें। इसलिए मेरा निश्चित मत है कि इस वर्तमान प्रशासकीय इकाई को चार हिस्सों में बाँटे बिना कल्याण प्रदेश का नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संकल्प पर बल देता हूं।

*श्री बिमल प्रसाद तिवारी—

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मा0 मोहन सिंह के तर्कों को मैंने सुना और मुझे ऐसा लगा कि अधिकांश जो तर्क उन्होंने प्रदेश के बंटवारे के पक्ष में दिए, वह सब तर्क प्रदेश को आज की स्थिति में कायम रखने के पक्ष में जाते हैं। मान्यवर, पिछले सत्र में श्री जसवन्त सिंह विष्ट ने इसी प्रकार का एक प्रस्ताव रखा था जिस पर इस सदन ने विचार किया था और सदन ने उसे अस्वीकार किया। एक विचित्र विडंबना है और विसंगति भी है कि जो लोग कभी-कभी इस प्रदेश के बंटवारे की बात करते हैं, जब वह लोग सत्ता में होते हैं तब प्रदेश के बंटवारे की बात, जो तर्क आज देते हैं कि पर कैपिटा इंकम और प्रशासनिक सुविधा देने की बात को भूल जाते हैं। मैं विशेषकर कहना चाहता हूं कि मा0 चौधरी साहेब के दल की यह विशेषता रही है कि अनेक बार इस प्रदेश में और देश के प्रधान मन्त्री बनने का जब अवसर मिला तो उन्होंने कभी भी इस प्रदेश के बंटवारे की बात नहीं की और न विचार किया और जब सत्ता से अलग हुए और विरोध पक्ष में बैठ गये तो प्रदेश के बंटवारे की बात करने लगे।

मान्यवर, फजले अली कमीशन की बात श्री मोहन सिंह ने कही, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फजले अली कमीशन का, जो गठन हुआ था और जवाहर लाल नेहरू प्रधान मन्त्री, ने 1956 में गठित किया था तो कमीशन ने लिंग्विस्टिक आधार पर प्रान्तों का बंटवारा किया, और उसने भी उत्तर प्रदेश के बंटवारे की संस्तुति नहीं की थी। सारी परिस्थितियों के आंकलन के बाद।

मान्यवर, आज मोहन सिंह जी राजनीतिक वर्चस्व की बात कह रहे हैं और तर्क दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का राजनैतिक वर्चस्व केन्द्र में कायम रहे, इसलिए जो लोग हैं, वह प्रदेश के बंटवारे की बात नहीं सोचते हैं। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, शायद यही तर्क रहा कि जब चौधरी चरण सिंह सत्ता में रहे, उस वक्त उन्होंने प्रदेश के बंटवारे की कोई बात नहीं सोची, बात नहीं कही, क्योंकि वह जानते थे कि केन्द्र में जो उनका वर्चस्व है, जो वह वित्त मन्त्री हैं, गृह मन्त्री हैं और प्रधान मन्त्री बने हैं, वह प्रदेश का बंटवारा होने से उनका वर्चस्व समाप्त होने से सब समाप्त हो जायगा। आज जब सत्ता के बाहर हैं, उनके दल के लोग प्रदेश के बंटवारे की बात कह रहे हैं। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद बात हो नहीं सकती है, कि प्रदेश का कोई बंटवारा किया जाय।

उत्तर प्रदेश भारत का गौरव है और हम इसके समस्त निवासी—चाहे पूर्व के हों, चाहे पश्चिम के हों, उत्तर प्रदेश की संस्कृति पर, इसके आकार पर गर्व करते हैं। मैं इस बात को जानता हूं कि यदि कभी उत्तर प्रदेश के बंटवारे की बात कही गयी, जैसा कि वह कह रहे हैं कि प्रदेश का बंटवारा न होने से सिविल वार की स्थिति पैदा हो सकती है तो मेरा कहना यह है कि यहाँ की जन-जन आन्दोलित होकर उसकी मुखालफत करेगा और उसके नेतृत्व की घोर मुखालफत करेगा, जो ऐसा करेगा और वह इसमें कभी होने नहीं देगा।

उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम कम है, गाजियाबाद में पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। मैं इसको स्वीकार करता हूं और मैं उनको बताना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन की जो रिपोर्ट है, देश के हर भाग में कमोबेश यही स्थिति है, और नियोजन के द्वारा यही तो हमारा प्रयास है कि उनमें व्याप्त असमानता दूर हो और सभी समान रूप से विकास करें। जहाँ पर पर कैपिटा इंकम कम है, जहाँ विकास की दर कम है, वहाँ बढ़ाया जाय, यह हमारा हर तरह से प्रयास है। मोहन सिंह जवान आदमी हैं। एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विद्वान आदमी है, मैं चाहता हूं कि अगर वह इन्हीं बातों को लेकर यह कहते कि विकास की गति जिन इलाकों में कम है, वहाँ तेज की जाए, वहाँ भी विकास की दर बढ़े तो अच्छा होता और मैं उसे स्वीकार करता।

पूरब में पर-कैपिटा इन्कम कम है और गाजियाबाद में इनकम और विकास की दर ज्यादा है, थोड़ी देर के लिए मैं माने लेता हूं। आप प्रदेश को बाँट दीजिए और गाजियाबाद वाले इलाके का एक प्रदेश बना दीजिए और पूर्वी जिलों की एक इकाई या प्रदेश बना दीजिए, तो जो विकास कर चुके हैं गाजियाबाद, वह और अधिक विकास कर जायेंगे किन्तु पुरब जो गरीब है, जिसके पास साधन कम है, वह और अधिक गरीब हो जाए। मोहन सिंह जी यह कहना चाहते हैं कि जो लोग गरीब हैं, कमजोर हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे का जीवन बिता रहे हैं और उस इलाके के रहने वाले हैं, वह और गरीब हो जाएं। और जो पश्चिमी जिलों के लोग हैं, चौधरी चरण सिंह के इलाके के लोग हैं, वह अधिक सम्पन्न हो जायं।

आज मोहन सिंह जी कह रहे हैं कि प्रदेश बहुत बड़ा है, इसका आकार बहुत बड़ा है, इसके लिए इसके चार हिस्से कर दिये जायं, चार प्रशासकीय इकाई बना दी जाएं। उन्हें अपने संकल्प को बहुत होशियारी के साथ शब्दों का चुनाव करके रखा है। उन्होंने सीधे यह नहीं कहा है कि 4 प्रान्त बना दिये जाएं, बल्कि कहा है कि चार प्रशासकीय इकाई बना दी जाएं। अर्थ दोनों का वही है, लेकिन उसको दूसरे तरीके से उन्होंने कहा है। शायद वह इसलिए कि वह शर्माते हैं यह कहने में कि वह सत्ता में रहे तो उन्होंने ऐसा नहीं किया और इस पर कि यह पूरब के लोग उनका विरोध करेंगे। जब पहले जसवन्त सिंह जी ने इसी के बारे में संकल्प इस सदन में रखा था तो पूर्व के बहुत लोगों ने उसका विरोध किया था और कहा था कि हम विकास के मामले में पीछे हैं और हमें और पीछे रखने की यह साजिश है। उनका यह तर्क तो और भी बड़ा भुलावा है कि उत्तर प्रदेश का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए इसकी चार इकाई बना दी जाएं। इस तर्क के आधार पर तो लोग यह भी कहेंगे कि भारत का आकार बड़ा है—कन्याकुमारी से कश्मीर तक और गुजरात से बंगाल तक, इसलिए इस देश को भी चार इकाई बना दी जाएं। तो उसका क्या जवाब होगा, देश खंड खंड हो जायेगा और वही होगा जो पंजाब में हो रहा है, आसाम में हो रहा है। क्या माननीय मोहन सिंह जी चाहते हैं कि वही यहाँ पर भी हो? मैं उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वे प्रदेश के हित में बड़ी गम्भीरता के साथ इस पर विचार करें, उनके आगे भविष्य है, उसे देखें।

मान्यवर, उन्होंने कहा कि अब से पहले इतना बड़ा उत्तर प्रदेश कभी प्रशासनिक इकाई में नहीं रहा। यह भी कोई तर्क है। 15 अगस्त, 1947 से पहले, अंग्रेजों के जाने के पहले क्या स्थिति थी? क्या यह देश एक अंग्रेजी हुकूमत के अन्तर्गत नहीं रहा? सन 1947 के बाद हमारा पूरा भारत भूखंड एक झंडे और एक संविधान के अन्तर्गत आया। मैं नहीं समझ पाया कि माननीय मोहन सिंह जी कौन सा तर्क प्रदेश के बंटवारे के बारे को सिद्ध करता है।

उन्होंने कहा कि छोटे प्रान्त होने से प्रदेश का विकास अच्छा हो सकता है। मैं उनके इस तर्क से भी सहमत नहीं हूं। उत्तर प्रदेश को खंड खंड कर देने से विवाद और बढ़ेंगे क्योंकि आप देखते हैं कि आज भी कहीं पर जल विवाद हैं, कहीं सीमा विवाद है, कहीं पर भाषा विवाद हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में, पंजाब में हरियाणा में, कहीं जल विवाद है तो कहीं और चीजों पर विवाद चल रहे हैं। आवश्यकता तो इस बात की है कि आज उत्तर प्रदेश जिस शक्ल में है, उसका जो गौरव है, जो उसकी मर्यादा है, उसको कायम रखा जाये, उसकी संस्कृति को कायम रखा जाये और विकास की गति में जो हमारे जिले पीछे हैं, उनको जो जिले हमारे अधिक समृद्धशाली हैं, उनसे अतिरिक्त संसाधन लेकर, और विकसित किया जाये। उनके पिछड़ेपन को दूर किया जाये और उनके विकास में समान रूप से भागीदार बनाया जाये।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, बंटवारे की जो बात है, उसका फिर कहीं अंत नहीं होगा।

कहीं भाषा के नाम पर बंटवारा होगा, कहीं धर्म के नाम पर बंटवारा होगा, कहीं विकास की बात को लेकर बंटवारा होगा।

माननीय मोहन सिंह जी ने प्रशासनिक दृष्टि का तर्क दिया और कहा कि प्रदेश बड़ा होने से सूचना मंगाने में देर लगती है, और अक्सर कहा जाता है कि सूचना एकत्र नहीं हो पायी है, वह हो रही है। यह भी हो सकता है कि सूचना मंगाने में बिलम्ब छोटे प्रदेश हो जाने पर भी हो। यह जरूरी नहीं है कि छोटा प्रदेश हो जाने पर यह बात नहीं होगी। समय उसमें भी लग सकता है। फिर प्रशासनिक इकाई की जो बात है, आज तो प्रशासनिक इकाई गाँव स्तर पर है, विकास खंडों तक है, तहसील स्तर तक है, जिले तक है, कमिश्नरी तक है। क्या प्रदेश के 4 हिस्से हो जाने से कठिनाइयाँ दूर हो जायेंगी? प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये जिस प्रशासनतंत्र की आवश्यकता है, वह इस समय मौजूद है।

खर्चे की उन्होंने बात कही कि इस दृष्टि से प्रदेश का बंटवारा कर दिया जाय। मान्यवर, मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यदि इस प्रदेश के 4 प्रदेश बनेंगे तो 4 असेम्बली बनेंगे और 4 काउन्सिल बनेंगी। 4 हाई कोर्ट बनेंगे और चार चार आडीटर जनरल बनेंगे तो खर्च कितना बढ़ेगा। 4 हिस्से कर देने से खर्च बहुत बढ़ जायगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा तो विभिन्न प्रान्तों का जो प्रशासकीय व्यवस्था, वह कम था और उसके मुकाबले में आज प्रशासकीय व्यय बढ़ा है, परन्तु इसका कारण यह है कि जैसे-जैसे विकास की गति बढ़ी है, विकास की योजनाओं का संचालन सरकार ने अपने हाथ में लिया है, जनता की आकाँक्षाओं को पूरा करने के लिये जैसे जैसे सरकार ने कदम उठाये हैं, वैसे वैसे प्रशासकीय खर्च बढ़ा है। (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, मैं अधिक और न कह कर माननीय मोहन सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें। उत्तर प्रदेश, भारत का गौरव है, उत्तर प्रदेश की अपनी संस्कृति है और उत्तर प्रदेश का जन-जन इस गौरव को कायम रखना चाहता है।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी जब बोल रहे थे तो मैं उनके तर्कों को बड़े गौर से सुन रहा था। यह सही है कि उत्तर प्रदेश दुनिया की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई है। लेकिन अगर इसका बंटवारा कर दिया जाय चार भागों में तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। यह राम और कृष्ण की धरती है उत्तर प्रदेश। यहाँ गंगा और यमुना बहती हैं। मान्यवर, इस धरती को आप बाँट दें चार या आठ भागों में तो इससे तरक्की होने वाली नहीं है। यह आँकड़ा देना कि इसको छोटी इकाइयों में बाँटने से इसकी तरक्की होगी, सही नहीं है। आप जानते हैं कि आसाम में पहले अरुणांचल और मणिपुर थे। बाद में यह अलग कर दिये गये तो कहाँ इनकी तरक्की हो गयी? कहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके से ज्यादा वहाँ तरक्की नहीं हो गयी। यह तर्क देना कि हरियाणा और पंजाब में तरक्की हुई है इसलिये इसको भी बाँट दिया जाय, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर विभिन्न संस्कृतियाँ मिलती हैं। यह कास्मोपालीटन प्रदेश है, यहाँ पर कभी भाषाई दंगे नहीं हुये। यहाँ पर कभी धार्मिक बातों का आधार लेकर, कि यहाँ हिन्दू रहेंगे या ईसाई रहेंगे या सिक्ख रहेंगे ऐसी बात कभी नहीं हुयी। मान्यवर, यह एक ऐसा प्रदेश है पूरे हिन्दुस्तान में जहाँ पर विभिन्न भाषाओं के लोग एकमत होकर रहते हैं और कभी इस तरह की फिरका परस्ती की बात उत्तर प्रदेश में नहीं पैदा हुई है। यह उत्तर प्रदेश के लिये एक गौरव की बात है। उत्तर प्रदेश पूरे हिन्दुस्तान में, राजनीति में एक माने रखता है। चाहे विपक्ष की सरकार बने या सत्तापक्ष की सरकार बने, उत्तर प्रदेश एक अहम भूमिका अदा करता है। अगर उत्तर प्रदेश को आप बाँट दें तो जैसे हरियाणा में एक बस में बैठ कर पूरी मिनिस्ट्री बदल जाती है, वैसी स्थिति यहाँ पर हो जायगी। हरियाणा जैसी स्थिति उत्तर-प्रदेश में

एक बार भी नहीं हुयी कि दल बदल से सरकार गिर गयी हो। हम हरियाणा में देखते है कि एक तमाशा होता रहा है कि आज किसी की सरकार है दूसरे दिन किसी की सरकार हो गयी। उत्तर प्रदेश में रोज इस तरह का खिलवाड़ नहीं होता है।

जहाँ तक हाई कोर्ट की बात है तो आप यदि हाई कोर्ट एक के चार बना दें तो क्या जग मोहन लाल सिन्हा जैसा जज पैदा कर सकते हैं। चार हाई कोर्ट बनाने से वह एक जिला कचहरी का रूप ले लेगा। मान्यवर, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद में हाई कोर्ट है और उसकी बेंच लखनऊ में है। लेकिन लखनऊ की बेंच में वह बात नहीं है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। जहाँ तक पूर्वी जिलों के विकास की बात है, तो मैं मानता हूं कि इतनी बड़ी इकाई होने के नाते प्रशासकीय नियंत्रण उतना अच्छा नहीं होता है लेकिन इसका इलाज बंटवारा नहीं है बल्कि विकेन्द्रीकरण है।

मैं यह मानता हूं कि पंचायतों को, जिला परिषदों को और अधिकार दिये जायं और विकेन्द्रीकरण किया जाय, जिससे वहाँ की जनता की जो छोटी-मोटी आवश्यकताए हैं, जैसे नहर की, ट्यूबवेल की, अस्पताल की, प्राइमरी पाठशालाओं की, ग्रामीण सड़कों की, उनका निदान वहीं हो जाय। इन छोटे-मोटे कार्यों के लिये वहाँ के लोगों को लखनऊ का मुंह न देखना पड़े। जैसा कि डाक्टर लोहिया ने चौखम्भा राज्य की कल्पना की थी, जिसमें वहाँ की समस्याओं का निदान चौखम्भा राज्य के द्वारा सम्भव हो सकी थी। महात्मा गाँधी ने भी ऐसे ही राम राज्य की कल्पना इस देश के लिए की थी, जिससे कि इस तरह की कठिनाइयाँ इस प्रदेश में न आ सकें। जैसा कि माननीय विमल प्रसाद तिवारी ने ठीक ही कहा है कि पंजाब और हरियाणा में आज विवाद का कारण वहाँ का भू-भाग के बंटवारे से संबंधित है। हरियाणा और पंजाब के विवाद में आज एक प्रमुख कारण और, फाजलिका और चंडीगढ़ भी है।

सन् 1956 में जब लिंग्विस्टिक (भाषा) इकाई बनाने की बात की गयी, तब भी उत्तर प्रदेश में बंटवारे की बात कहीं नहीं आई। अगर प्रदेश का चार इकाइयों में बंटवारा कर दिया जायगा, तो जो आज बहुत सी समस्यायें हमारे प्रदेश में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीयता के नाम पर नहीं है, वह सब झगड़े जैसे देश के अन्य प्रदेशों में मौजूद है, वह यहाँ भी होने लगेंगे। अगर इसके चार भाग हो जायेंगें, तो पहाड़ के लोग यह कहेंगे कि हम नदियों से पानी नहीं लेने देंगे तथा मिर्जापुर में जहाँ कोयला होता है, वह लोग अपने कोयले को नहीं देंगे और इस तरह की और भी जो बातें हैं, जो इस प्रदेश में आज है नहीं, वह उत्पन्न हो जायंगी। मान्यवर, पूर्वी. उत्तर प्रदेश, बुन्देलखंड और पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ इस तरह की भावना नहीं व्याप्त है, वह व्याप्त हो जायगी।

अंग्रजों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा केनाल, अन्य नहरों, नलकूपों तथा बिजली को प्राथमिकता के आधार पर लगवाया, जिससे कि वह क्षेत्र आज अन्य क्षेत्रों से आगे है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का कारण जहाँ और है, उसमें एक प्रमुख कारण वहाँ बड़ी रेल लाइन का न होना भी है। मान्यवर, जब से गोरखपुर में बड़ी लाइन बना दी गयी है, तब से गोरखपुर की स्थिति में बहुत तब्दीली आ गयी। आज गोरखपुर जो पाँच साल पहले था, वह आज नहीं है। मान्यवर, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए इलाके हैं, अगर वहाँ पर हम इन सब सुविधाओं को मुहय्या (उपलब्ध) करा दें, तो मेरा निश्चित मत है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा और पंजाब की तरह त्वरित गति से तरक्की कर सकेगा। मान्यवर, जैसे चार हाई कोर्ट बनाने की बात कही गयी है, अगर चार हाई कोर्ट इस प्रदेश में बना दिये जायं, तो जगमोहन लाल सिन्हा ऐसा जज फिर इन हाई कोर्टों में पैदा नहीं होगा। मान्यवर, जैसे इलाहाबाद और लखनऊ में बेंच है, हाई कोर्ट की, लेकिन इलाहाबाद की तुलना में लखनऊ की बेंच उतनी सुचारु रूप से काम नहीं कर पाती और इलाहाबाद हाई कोर्ट की गरिमा आज देश के प्रमुख हाई कोर्टों में की

जाती है। जिस दिन 4 भाग हो जायेंगे उस दिन हाई कोर्ट का महत्व जिला कचहरियों की तरह हो जायगा। फिर वह हाई कोर्ट के रूप में कार्य करने में सक्षम नहीं हो पायेंगे।

मान्यवर, जैसे-जैसे विकास की गति बढ़ी है, नई-नई तहसीलें और कुछ जिले भी बनाये गये। इस तरह की इकाइयाँ और बढ़ाई जायं। यह मेरी अपनी राय है और जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उनमें संसाधन और तीव्र गति से बढ़ाये जायं और उनके लिए समयबद्ध योजना बनाई जायं, जिससे कि उनका पिछड़ापन एक निश्चित अवधि में दूर किया जा सके। जो पिछड़े हुए इलाके हैं, उनमें तरक्की किये हुये इलाके से ज्यादा पैसा दिया जाय, तो आने वाले समयों में आज जैसी हालत नहीं रहेगी। मान्यवर, मेरा यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश का 4 भागों में विभाजन नहीं होना चाहिये। आज से 15-20 साल पहले जब विकास की बात थी, जब फायदा लेना था, तो मान्यवर, एक क्षेत्र ने फायदा लिया। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश को, बुन्देलखंड को और पहाड़ी क्षेत्र को फायदा लेना है, तो अलग कर दें। जब फायदा ले लिया तो आज प्रदेश का बंटवारा नहीं होना चाहिये। मैं चाहूंगा कि माननीय मोहन सिंह ने जिस भी विचाराधारा से इस संकल्प को रखा है....

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

चौधरी चरण सिंह को खुश करने के लिये रखा है।

श्री रेवती रमण सिंह--

जो प्रदेश के बंटवारे की बात बार-बार कही जाती है, यह उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश एक है, एक रहेगा, इसका बंटवारा...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग आपस में बातचीत न करें।

श्री रेवती रमण सिंह--

इस समय देश में मान्यवर, विखण्डता और अलग होने की प्रवृत्ति हो गई है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। हमारे प्रदेश का बहुमत, बहुसंख्या प्रदेश का बटवारा नहीं चाहती है, चाहे वह किसी जाति या बिरादरी का हो। उत्तर प्रदेश एक रहना चाहिये, जैसा है, वैसा रहना चाहिये।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मोहन सिंह की बात मैंने बड़े गौर से सुना। मैं उम्र में जरूर बड़ा हूं, लेकिन मैं उनको फिलासफर और गाइड की तरह मानता हूं। मोहन सिंह जी के विचार सुनकर और उनके संकल्प को पढ़ कर अफसोस हुआ। हमें याद आता है, हमारी भारतीय संस्कृति में तीन प्रकार के देवता हैं। एक बनाते हैं, दूसरे संहार करते हैं। मोहन सिंह जी उन्हीं संहार करने वाले देवता के उपासक हैं। मोहन सिंह के संकल्प को पढ़ कर मुझे अफसोस हुआ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कोई औचित्य बंटवारे का है ही नहीं। तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात कही और बहुत अच्छा तर्क दिया। मैं पूर्वी जिले से ताल्लुक रखता हूं। प्रतापगढ़ से मेरा ताल्लुक है, वह भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में शामिल है। मैं निवेदन कर रहा था कि कोई प्रश्न बंटवारे का उपस्थित नहीं होता है। माननीय मोहन सिंह ने कहा कि अंग्रेजों की, इस को बनाने में एक चाल थी, पता नहीं किस तरह की चाल थी। मैं एक प्रश्न पेश करता हूं कौन सा मुल्क ऊपर से डाल दिया गया? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अमेरिका में 13 कालोनीज थीं जो मिलकर एक हो गयीं। इस प्रकार से रूस इतना बड़ा नहीं था, मंगोलिया का कुछ हिस्सा लेकर इतना बड़ा हो गया। यह सब इतिहास से पता चलता है। 1775 से लेकर 1801 तक यह प्रोसेस शुरू हुआ और पूरा उत्तर प्रदेश एक इकाई के रूप में एक रूस के रूप में हो गया। इसकी संस्कृति और सब मिल कर एक प्रान्त हो गया। पूरा प्रदेश एक यूनिट हो गया। आप पहाड़ पर चले जायं वहाँ की संस्कृति वहाँ से बिल्कुल तालमेल खाती है। महाभारत की बहुत सी चीज वहाँ मिलती है, ऐसा मालूम होता है कि सब कुछ यहीं हुआ, बस कुछ यहीं लिखा गया।

इसी तरह से पश्चिम में चले जाएं पूर्व में चले जाएं तो बस जगह का वातावरण एक तरह का नहीं मिलता है। स्टेट आर्गनाइजेशन ने बड़े प्रान्तों को अधिकृत किया चूंकि भाषा के आधार पर उनके सामने रखा था तो छोटा प्रान्त हो गया। अब भी कुछ प्रान्त बड़े हैं तो यह कहने की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जरूरत नहीं है कि मेरे देश में बहुत से प्रान्त एरिया में और क्षेत्रफल में बड़े हैं।

श्री विजय सिंह राना--

उनको भी बाँटा जाना चाहिए।

श्री लाल प्रताप सिंह--

लगता तो मुझे ऐसा ही है एक किस्सा मुझे याद आता है शेक्सपीयर की किताब का है--एक माता ने अपने लड़के से कहा कि तुम ऐसी बात कहते हो, मेरा कलेजा टूट-टूट जाता है सड़ा जा रहा है तो लड़के ने कहा उस कलेजे को निकाल दीजिए। इसी तरह से आप कह रहे हैं कि हर मुल्क को तकसीम कर दीजिये।

श्री विजय सिंह राना--

कलेजा तो आपका रहा नहीं।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, तो स्टेट रिआर्गनाइजेशन ने बड़े-बड़े प्रान्तों के कल्याण की बात कही। जो विभाजन की बात कही, उसको भी पढ़ा सिर्फ एक--दो बातें इन्होंने कहीं। पूरे कमीशन ने कहा इस पूरे प्रान्त के बंटवारे का औचित्य नहीं होता है। इस प्रान्त को बंटना नहीं चाहिये शुरू से अन्त तक बंटवारे की बात नहीं कही। चरण सिंह जी ने भी दबी जबान में कह दिया था खुली जबान में बंटवारे की बात नहीं कही। उनके दिल में क्या राज पोशीदा है, यह जानने का काम कठिन है या मोहन सिंह जी के दिल में क्या राज पोशीदा है, यह जानना कठिन है। लेकिन माननीय पन्त जी ने, माननीय जवाहर लाल नेहरू जैसे लोगों ने इसके दो-चार टुकड़ों की बात नहीं कही और चार टुकड़े करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कहा गया कि इकोनोमिक काम होंगे, तो जो हरियाणा की बात है तो वहाँ की प्रगति वहाँ के रहने वालों पर निर्भर करती है कि किस तरह से वह मेहनत करते हैं, किस तरह से वह रहते हैं तो आप यह सोचें कि विभाजन करके इसकी प्रगति कर देंगे, यह उचित प्रतीत नहीं होता है, बहुत से पिछड़े हुए हैं। सारा मुल्क प्रगति के रास्ते पर है यह कहना कि बाद में हमारी प्रगति हो जाएगी मुनासिब नहीं होता।

आपने उत्तरी पूर्वी, उत्तर प्रदेश की बात कही, एक वक्त था जब इलाहाबाद से पटना तक का एरिया लेबर एरिया घोषित किया गया और उसी माध्यम से पश्चिम इलाकों को सुविधा दी तो, कुछ को मिलिट्री की दृष्टि से कुछ को और ढंग से सुविधा थी, वही आगे बढ़ गये लेकिन अब ऐसी सरकार आई है कि पूरा प्रदेश प्रगति के रास्ते पर है तो यह कहा जाना कि जल्दी से आगे हो जाएगा या जल्दी से पीछे हो जाएगा यह मुनासिब मालूम नहीं होता है। जो त्रिपुरा और मिजोरम की बात कही गयी है, उसको सामरिक महत्व से कुछ प्रान्त अलग कर चुके हैं। लेकिन वह दृष्टि-कोण यहाँ पैदा नहीं होता है कि प्रान्त को चार हिस्सों में तकसीम कर दें। चाहे जिस दृष्टिकोण से देखे, आप इस बात को बढ़ायें तो बहुत से तकसीम हो सकते हैं।

बिहार में एक झगड़ा है मैथिली और भोजपुरी का, वह कहते हैं मैथिल हो जानी चाहिये तो दूसरे कहते हैं भोजपुरी हो जानी चाहिए तो इसका तो कोई अन्त नहीं है। वह भी हो जायगी, हिन्दी है भोजपुरी है इसको इस तरीके से तकसीम कर देना चाहिये। इसका तो कोई भी निर्णय हो ही नहीं सकता। जैसा कि मैंने निवेदन किया यह सारा का सारा इलाका 1775 से लगातार आज तक एक इकाई के रूप में रहा है और एक इकाई के रूप में रहना चाहिये। यहाँ के जन जीवन में, लोगों में किसी किस्म का मतभेद नहीं है और न हो सकता है। मैं एक निवेदन करूं कि बहुत सीमित रहना भी अच्छा नहीं होता। यह एक ट्राइबल कान्सेप्ट है। बड़े में डवलपमेंट है। बड़े में लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। छोटे इलाके में तानाशाही की ज्यादा सम्भावना है। पुलिस राज होने की ज्यादा सम्भावना है और दिक्कतों की ज्यादा सम्भावना है। बड़े राज्यों में ये सम्भावनाएं कम हैं। इस दृष्टि से बड़ा रहना ज्यादा उचित है।

इसके अलावा हमारा उत्तर प्रदेश नमूना है, सारे भारत वर्ष में, अपनी एकता कायम रखने में। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलग होना चाहते हैं। विदर्भ कहता है कि हमें

अलग कर देना चाहिये, हमारी संस्कृति आपसे अलग है। सौराष्ट्र कहता है कि हमारी संस्कृति अलग है; हमें अलग होना चाहिये। यह तो अंग्रेजों ने मिला दिया नहीं तो हम पहले से अलग थे। बिहार में भी कुछ लोग अलग होना चाहते हैं। दार्जिलिंग के लोग भी इसी दृष्टि से अलग होना चाहते हैं, वह अपने को नेपाल से जुड़ा हुआ ज्यादा समझते हैं। तो इस तरह तो सारे का सारा भारतवर्ष बटवारे की जिद में आ जायगा और प्रगति समाप्त हो जायगी और कोई भी प्रगति नहीं हो पायगी। इन छोटे मुद्दों को लेकर अगर बंटवारा आवश्यक है तो हर जिले का कोई न कोई इतिहास रहा है। प्रतापगढ़ का, जौनपुर का अपना-अपना इतिहास रहा है, तो इस तरह तो हर जिले की प्रशासनिक इकाई अलग कर देनी चाहिये। पूर्वी इलाका पश्चिमी इलाकों से कहाँ मेल खाता है। कुछ रिश्ते हो सकते हैं लेकिन वेसे मेल नहीं खाता है। मोहन सिंह जी के प्रस्ताव के अनुसार उसको भी तोड़ देना चाहिये। क्या नतीजा होता अगर प्रतापगढ़ या देवरिया को उत्तर प्रदेश में न मिलाते। तो इसका कोई औचित्य नहीं मालूम देता। किसी भी दृष्टि से देखे आर्थिक, साँस्कृतिक, प्रशासनिक किसी भी दृष्टि से देखे, इसका अलग होना उचित नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, किसी ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी कि--

"नीड आफ दि अवर इज स्टेटमेनशिप विद ब्रौड आउट लुक"

तो यह हमारा नजरिया होना चाहिये। तभी प्रगति हो सकती है। वक्त की यही माँग है। स्टेटमैनशिप होनी चाहिये, ब्रौड आउटलुक के साथ होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं मान्यवर, इस संकल्प का घोर विरोध करता हूं और एक चीज की अपील करता हूं कि माननीय सदस्य कृपा पूर्वक इसको ऐसा दफन कर दें कि वह फिर से पेश न हो। अधिष्ठाता महोदय, एक बात कही गयी थी कि सिविल वार होने का अंदेशा है, तो अगर सिविल वार होगी तो हम उसके लिये तैयार हैं। वार भले ही हो, लेकिन एकता कायम रहे। माननीय मोहन सिंह जी प्रीजुडिस है, वह यह संकल्प क्यों लाए हैं, इसमें क्या राज पोशीदा है, पता नहीं है।

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन, इस सदन के अन्दर माननीय मोहन सिंह ने अपने नेता चौधरी चरण सिंह जी से प्रेरणा लेकर यह संकल्प प्रस्तुत कर किया है। श्रीमन, इस भारत की आजादी के बाद के इतिहास में राजनीतिक दृष्टि से अगर कोई अच्छी बात लिखी जाती है, सबसे बड़ी मजबूत बात, तो वह यही है कि कहा जाता है कि भारत के अन्दर सरदार बल्लभ भाई पटेल ने वह काम किया। उन्होंने पूरे देश को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। आज जो इस वक्त के ऊपर देश की हालत हो रही है, उसकी वजूहाद अलग-अलग हैं, उनको मैं बाद में बताऊंगा। आदमी अपनी संकुचित विचाराधारा को लेकर और अपने छोटे-छोटे स्वार्थों को लेकर इस हद तक भी चला जाता है कि भारत-माता के टुकड़े हो गये और उसके बाद भी डिसाइन्टीग्रेशन की बात चलायी जा रही है। इसी चीज को लेकर पंजाब का भी बंटवारा हुआ। इन सारी चीजों के पीछे कहा गया कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम और मुल्कों से पिछड़े हुए हैं आदि-आदि। पंजाब के दो हिस्से हो गये-एक हरियाणा और दूसरा पंजाब। क्या दो हिस्से करने के बाद राजनैतिक समस्या का समाधान हो सका? बंटवारा करके अकलमंदी का काम किया है, गलत काम किया है, परन्तु आज यह महसूस हो रहा है कि आखिर यह बात उठती क्यों है? क्यों माननीय सदन के अन्दर और सदन के बाहर इसकी चर्चा होती है। इस चीज के ऊपर जहाँ गहराई से नजर डालने की जरूरत है। असंतोष इस हद तक क्यों पहुंच गया है कि प्रत्येक आदमी-अपना घर अलग-अलग बनाने की बात करता है। तो यह मूर्खता ही है, परन्तु आप लोगों ने यह मूर्खता की है। अगर आप नजर डालें। इस देश और प्रदेश के अन्दर आपके मंत्रि मंडल का विस्तार हुआ और आपका मंत्रि मंडल बना। माननीय तिवारी जी, जरा आप इस पर नजर डालें कि कितने लोग आप में से असंतुष्ट हैं और असंतोष होने के क्या कारण हैं। उसमें जो क्षेत्रों का, जिलों का और डिवीजनों का, जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, था उसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुताबिक उनको नहीं मिल पाया। यही कारण था, जो असंतोष के कारण बने ।

माननीय श्री मोहन सिंह जी ने कहा कि 4 भागों मे एडमिनिस्ट्रेटिव इकाइयों को विभाजित कर दीजिए। पहाड़ के क्रान्तिकारी दल के नेता श्री जसवन्त सिंह बिष्ट और माननीय सदस्य रोजाना यह बात कहते हैं कि पहाड़ का अलग से स्टेट बनाया जाना चाहिये । आखिर सब यह हो क्यों रहा है और हो भी क्यों नहीं । जहाँ 27 हजार स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ न अध्यापक है और न पढ़ाई के साधन, अस्पतालों में डाक्टर नहीं है, स्वीपर दवाइयाँ दे रहा हैं और सुई लगा रहा है और आदमियों के लिए आने जाने के रास्ते नहीं है । धारचूला से आदमी चलेगा, बद्रीनाथ और केदारनाथ से आदमी चलेगा, अपने मुकदमे में न्याय लेने के लिए इलाहाबाद आयेगा, तो क्या उनको असंतोष नहीं होगा ? ये तो रिजनल इम्बैलेन्सेज आपने कर दिया है, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश के अन्दर आज असंतोष व्याप्त हो गया है ।

श्रीमन, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कहता हूं। आज भी प्रति व्यक्ति की आमदनी नहीं बढ़ रही है, जबकि हमारे यहाँ गंगा और जमुना का दोआब है और खेती ही हमारा मुख्य आमदनी का श्रोत है । यहाँ न तो सोना है और न चाँदी। यदि हम बारीकी से नजर डालें तो हम 80 फीसदी जमीन में डबल क्राप पैदा कर सकते हैं और उसके जरिये हम प्रति व्यक्ति की आमदनी को बढ़ा सकते हैं लेकिन आज आपकी यहाँ 30 फीसदी जमीन में डबल क्रापिंग होती है और शेष 50 फीसदी जमीन अन इर्रीगेटेड है । उसके ऊपर प्रति व्यक्ति आमदनी कैसे बढ़ेगी और लोगों में असंतोष क्यों नहीं होगा । माननीय श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री जी भी आ गये हैं । बुन्देलखंड क्षेत्र में ला एण्ड आर्डर की प्राबलम हो रही है। बुन्देलखंड के लोगों की यह इच्छा है कि महोबा को जनपद बना दिया जाय । पिछली बार भी इस सदन में यह प्रश्न उठा था । महोबा को आप जनपद नहीं बना रहे हैं । रायबरेली के अन्दर आप दो तहसीलें बना रहे हैं और सुल्तानपुर के अन्दर दो तहसीलें बना दी गयी हैं । पूरे प्रदेश में 5 तहसीलों का निर्माण कराया । जिसमें 2 रायबरेली में, एक सुलतानपुर में, एक आपने सहारनपुर में, हरिद्वार में बनवायी। तो अगर महोबा में रहने वाले जो लोग है, अगर प्रस्ताव पास करके यह कहें कि महोबा को एक जिला बना दिया जाय, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, उनमें कैसे नहीं असंतोष होगा ? आप वहाँ पर इंडस्ट्री लगायेंगे नहीं, वहाँ की जमीन एग्रीकल्चर के लायक है नहीं, वहाँ आप, लोगों को रोजगार दे नहीं पायेंगे, तो आप फूलन देवियों को पैदा होने से आप कैसे रोक पायेंगे ?

यह असंतोष के जो कारण है, आपकी नीति के मुताबिक, आपके जो विकास के कार्य हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश है और वहाँ की आपकी जो एवरेज होल्डिग है, वह एक एकड़ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ढाई एकड़ और तीन एकड़ तक है, तो जहाँ की एवरेज होल्डिग इतनी है, वह बढ़ेगी नहीं, जो आमदनी का जरिया है, जिससे आदमी अपना परिवार चला सके, बच्चों को तालीम दे सके, बच्चे कपड़ा माँगें, फीस माँगेंगे वह धनी होगा नहीं तो वह कलकत्ता जायेगा मजदूरी करने के लिए आय के लिए उसकी आमदनी बढ़ाने के लिये। क्या आपने सोचा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश मे अगर कृषि योग्य जमीन कम है, अगर वहाँ एवरेज होल्डिग कम है, पर कैपिटा लैण्ड का औसत कम है, तो उसको कम्पन्सेट आफ इण्डस्ट्रियल तरीके से करे ताकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की आमदनी बढ़े, ताकि आदमी दूसरी जगह पर काम करने के लिये न जायं अपनी जीविका चलाने के लिये और उनका असंतोष न बढ़े । लेकिन, वहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश मे यह असंतोष है । श्रीमन्, यह सारी चीजे आप देखेंगे तो कम से कम इस बात पर विचार कीजिए यह असंतोष क्यों बढ़ता है, तो उस हद तक पहुंचता है कि प्रदेश बहुत बड़ा है, प्रदेश को बाँट दिया जाय ।

हमारे उत्तर प्रदेश की बाबत स्टेट रिआर्गिनाइजेशन कमीशन की फाइन्डिग्स आयीं' उस पर बार–बार कहा गया । यूनाइटेड प्राविन्सेज आगरा एण्ड अवध रहा है अंग्रेजों के जमाने में यह रहा है, कमीशन की बात

भी श्रीमन, कहाँ से ललितपुर से चलती है, झांसी आती है, झांसी के बाद मध्य प्रदेश आती है, और मध्य प्रदेश में ग्वालियर आने के बाद फिर उत्तर प्रदेश को आ जाती है। कमीशन ने सारी चीजों पर विचार करके और सब चीजों को सामने रखा और वह नहीं कर पाये कि उत्तर प्रदेश का इस तरीके से हो जाये कि दुसरा प्रदेश बीच में न हो पाये। इसमें कुछ इस तरह की चीजें है, कमीशन उन चीजों को नहीं निकाल सका और यूनाइटेड प्राविन्स बिलकुल उसी रूप में आज भी मौजूद है। इसलिए हम यह जानते है कि आदमी का--छोटा घर किसी का होता है, तो उसका संचालन अच्छी तरह करके रखता है, दो आदमी है, पति-पत्नी हैं दो ही लोग हैं, तो घर में बनाया तो खाया नहीं तो होटल में ही खा आये कुछ बड़ा परिवार होता है, तो समस्यायें ज्यादा खड़ी होती हैं, किसी बच्चे की फीस है, कोई कपड़ा माँग रहा है, किसी को यह तरकारी पसन्द नहीं है, तो उसे मटन चाहिये, मुर्गी चाहिए, तो यह प्राबलम बराबर खड़ी रहती हैं, आखिर जो घर का बड़ा आदमी है मूखिया है उसकी जिम्मेदारी है। जिसके हाथ में सत्ता है, जिसको घर को चलाने की जिम्मेदारी है, सब घर के उसके समानाधिकार है, यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह हर चीज को देखे।

जिसके हाथ में सत्ता है, जो मुखिया है, उसका दायित्व भी है कि जो तमाम समस्यायें हैं, उन समस्याओं का समाधान कर, उनकी नाराजगी को दूर करें। लेकिन, अगर आप इस चीज को नहीं करेंगे, माननीय तिवारी जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह जिम्मदारी आपकी है, ईन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, तो यह असंतोष बढ़ता चला जायेगा और श्रीमन्, यह इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब किसी के घर में दो भाईयों में तीन भाइयों में आपस में इस कदर का मन मुटाव हो जाता है, जिसकी हल की कोई सूरत नहीं है, तब भी गाँव के लोग, मुखिया लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग आखिर तक यह कहते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई आप लोग इकट्ठा रहे, यूनाइटेड रहोगे, तो शक्तिशाली रहोगे, बंट जाओगे, तो कमजोर हो जाओगे—यह रिश्तेदार और बिरादरी के लोग आखिर तक कोशिश करते हैं, उसके बाद भी कुछ न होने पर एक स्टेज यह आती है अगर उनमें सुलह नहीं हो पाती है, तो सभी पंचों को यह कहना पड़ता है ठीक है भाई अलग अलग हो जाओ। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के चारों तरफ जो अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई दीखती है, चाहे पूर्व की हो, चाहे पहाड़ की हो, पश्चिम की हो, वहाँ से असंतोष उठना शुरू हो गया, उस असंतोष को, उसकी पूर्ति, असंतोष के ऊपर है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो राजनीतिक ढंग से हो, कहीं इण्डस्ट्रियल बैकवर्डनेस की वजह से हो, ला एण्ड आर्डर की वजह से हो या रास्तों पर दिक्कत परेशानी की वजह से हो।

आप और तो और, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक बेंच नहीं दे पाये अब उसमें असंतोष तो होगा ही। एक आदमी चलेगा मेरठ से मुकदमा लड़ने के लिये, तो उसके 500 रु0 खर्च होंगे। लखनऊ वाला घर से निकलेगा अवध बेंच में चला जायगा। इसी तरह इलाहाबाद वाला इलाहाबाद बेंच में चला जायगा। असंतोष तो अपने आप पैदा होगा। आप क्यों नहीं सोचते हैं कि असंतोष की बात को दूर करें। जब सन्तोष होगा तो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटस की भावना का सवाल ही नहीं पैदा होगा। शासन को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये ताकि असंतोष दूर हो और लोग एक दूसरे के दुख दर्द में सम्मिलित होकर रहें, राजनीतिक शक्ति बनी रहे। पूरे प्रदेश पहाड़, बुन्देलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सब का चतुर्मुखी विकास हो और सबको शिक्षा, नौकरी और रोजी-रोटी की सुविधा मिले। इसके साथ ही मैं माननीय मोहन सिंह जी संकल्प का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि पूरे प्रदेश के जनप्रतिनिधि इस बात को समझेंगे कि आपस में उठना बैठना चलता रहे।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी राय जाहिर करने का मौका दिया।

मैंने मा0 मोहन सिंह के द्वारा प्रस्तुत संकल्प को और उनके विचारों को ध्यान से सुना। मैंने समर्थन में उनकी बातों को भी सुना, जिनको सुनकर मुझे ज्यादा पीड़ा हुई और वह इसलिये हुई कि प्रदेश के बंटवारें के लिये संकल्प को एक आवरण के रूप में रखा है उन्होंने चार प्रशासनिक इकाइयों में बाँटने की बात कही है। यह साफ नहीं कहा है कि प्रदेश के चार टुकड़े कर दो। इन्होंने डरते हुए पोशीदा तौर पर अपनी बंटवारे की बातों को कहा है। इस बात पर मुझ को इतिहास के दो महान पुरुषों की याद आ गयी। एक तो है महाराणा प्रताप, जिन्होंने स्वाभिमान की खातिर, देश की एकता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिये, अपनी कुर्बानियाँ दीं और दूसरे थे मान सिंह, जिन्होंने पद व धन के लालच में इनके विरोधी भावों को संरक्षण दिया। माननीय सदस्य राना जी मौजूद हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बंटवारे के विषय में यह राणा प्रताप की भूमिका अदा करेंगे कि या मान सिंह की? इसके साथ ही, यह जो संकल्प प्रस्तुत है, मैं इसका विरोध करता हूं। अपने विरोध के कारणों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

विरोध इसलिये करता हूं कि प्रदेश को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में विभक्त करने के लिये चार तर्क दिये गये हैं। एक तो आपने कहा कि आमदनी कम है, इसलिये क्षेत्रीय असंतोष है। दूसरा आपने कहा कि इतनी बड़ी इकाई है कि प्रशासनिक रूप से सूचनायें मगाने में मंत्रियों को देर हो जाती है। तीसरी बात कही गयी कि जब असंतोष है और सिविल वार" होने का खतरा है। मैं निवेदन करना चाहता हू कि जितना भी स्वरूप है इस संकल्प के पक्ष में इसमें उन्होंने आरोप लगाया राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण प्रदेश बड़ा रक्खा गया है। हम लोग विरोध इसलिये करते हैं कि दिल्ली के शासन पर प्रदेश का आधिपत्य रहे, इसलिये उत्तर प्रदेश के लोग नहीं चाहते हैं कि प्रदेश का आकार छोटा कर दिया जाय। आदरणीय सदस्य तिवारी जी ने कहा है कि माननीय चरण सिंह जी जब प्रधान मंत्री थे, मुख्य मंत्री थें और जब भी कभी उनको मौका मिला, जब गृह मंत्री थे, तब उन्होंने प्रदेश के बटवारे का अनुमोदन नहीं किया। हो सकता है कि मोहन सिंह उनके नजदीक रहे हों, उनके पीछे यह भावना रही हो कि कोई महत्वपूर्ण घाटा हो जायेगा चौधरी साहेब को। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक उदाहरण रहा है यहाँ की संस्कृति को देखते हुए, यहाँ की गरिमा को देखते हुए, कांग्रेस जनों ने कभी प्रदेश के बंटवारे की बात सोची भी नहीं है।

मान्यवर, आपने ध्यान से सुना होगा कि अभी यहाँ कहा गया कि राम और कृष्ण की धरती का बटवारा करायगे, गगा और यमुना के संगम का बटवारा करायेंगे और अलग अलग कर देंगे। तो मान्यवर, अगर इसको अलग कर देंगे तो इसका स्वरूप क्या होगा? आज जो पंजाब और हरियाणा के बटवारे के बाद हुआ है, वही स्वरूप क्या इसका नहीं हो जायेगा? कौन सा ऐसा तरीका है कि प्रयाग की संस्कृति को, लखनऊ की गरिमा को, जो समझते है, उनका सीना फूल जाता है गर्व से। आज मथुरा में भी, यदि प्रयाग का आदमी जाता है और वहाँ खड़ा हो कर वह यही समझता हैं कि हम अपने प्रदेश की धरती व कृष्ण की जन्म भूमि पर खड़े है, इसके बंट जाने के बाद कैसे इसकी संस्कृति अखण्ड रहेगी और इसकी गरिमा बनी रहेगी।

श्रीमन्, जब कभी भी बंटवारा की बात हो, चाहे प्रदेश का बंटवारा हो, चाहे देश का बंटवारा हो, बंटवारा करने वाला तर्क यही दे सकता है जैसे कि मोहन सिंह ने बात की है। जिन्ना साहेब भी यही तर्क दिया करते थे, जब वे देश का बंटवारा कराना चाहते थे और उन्होंने देश का बंटवारा करा दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि देश का बंटवारा हो जाने के बाद पाकिस्तान बना, तो क्या पाकिस्तान आज हिन्दुस्तान से ज्यादा सुखी है? उत्तर है नहीं, वहाँ प्रजातंत्र भी मिट गया। मोहन सिंह ने जो संकल्प प्रस्तुत करके अपनी माँग रखी है, इसका मैं विरोध करता हूं। मुझे लगता है कि मोहन सिंह भोजपुर देश से प्रभावित है और वहाँ के कुछ बनने की कल्पना रखते है, वह समझते हैं कि उससे उनका

कुछ भला होगा परन्तु उनको ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। लगता है चौधरी चरण सिंह को खुश करने के लिए बंटवारे की बात कह दी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, देवरिया गोरखपुर, इलाहाबाद मेरठ, आगरा के लोग कभी भी प्रदेश का बंटवारा नहीं कराना चाहते है इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

उन्होंने कहा कि यह वैज्ञानिक युग है और न्यूयार्क से हम ऐसे बात कर सकते हैं जैसे पड़ोसी घर से और यहाँ प्रशासनिक इकाई को अलग करने के लिये यह तर्क वे देते हैं कि लम्बाई चौड़ाई ज्यादा है। श्रीमन्, यह ठीक है कि आप यहाँ लखनऊ में बैठ कर अपने शासन की व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करें। अगर टेलीफोन की लाइन खराब हो गयी तो लखनऊ में बैठ कर भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यह सेटेलाईट का युग आ गया है इसके लिए प्रशासनिक तर्क उन्हें नहीं लेना चाहिए। प्रशासनिक इकाई गाँव तक है। साथ ही प्रजातांत्रिक इकाई गाँव तक है। आज जिला परिषद से लेकर असेम्बली तक प्रतिनिधि वहीं से चुन कर आते हैं। स्टेट रि-आर्गेनाइजेशन कमीशन की बात पहले भी कही गयी है, उसने कभी भी उत्तर प्रदेश के बंटवारे पर ध्यान नहीं दिया। जहाँ-जहाँ बंटवारे हुए है 1959 के बाद से उनके विवाद लम्बित हैं।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी इज्जत, शान और स्वाभिमान के लिये उत्तर प्रदेश के बंटवारे का विरोध करते हैं। अपनी उसी इज्जत के लिये, गरिमा के लिये और स्वाभिमान के लिये मैं इसका विरोध करता हूं और साथ ही शासन के लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि कहीं पर क्षेत्रीय असन्तुलन हो गया है, इसको प्लानिंग कमीशन ने भी कहा है कि वहाँ का ज्यादा ख्याल रखा जाय। और मान्यवर, क्षेत्रीय संतुलन पर ध्यान रखना चाहिए। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योगों की कमी है, हमें यह प्रयास करना चाहिये कि वहाँ पर उद्योगों की स्थापना हो, और वह इलाका भी आगे बढ़े।

मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी माननीय रेवती रमण सिंह जी ने कहा कि हमारा प्रदेश जो है, वह दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई है। मान्यवर, मैं उन के इस विचार से सहमत हूं कि यह दुनियाँ की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई है और उत्तर प्रदेश की दुनिया का छठवाँ देश माना जाता है, यह गौरव इस प्रदेश को मिला हुआ है कि दुनियाँ का छठवाँ देश है। इससे हम अपने को गौरवान्वित समझते हैं तो क्या आप इस गौरव को कम करना चाहते हैं। जो नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है क्या आप उसको कम करना चाहते हैं।

मान्यवर, इस समय मोहन जी नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इस संकल्प को भावनावश तो नहीं रख दिया है या उन्होंने यह अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर दिये हैं।

श्री मोहन सिंह--

मैं आपकी बात लाबी में बैठे हुए सुन रहा था।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं माननीय मोहन सिंह से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने यह संकल्प किसी भावनावश तो नहीं रख दिया है। उन्होंने हमारे प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा नीचे से ऊपर तक का बताया है। आप क्षेत्रीय असंतुलन की बात करते हैं। आपने कहा कि पश्चिमी जिले जो हैं, वह समृद्ध हैं और पूर्वी जिले काफी पिछड़े हुए हैं। मैं एक बात आप के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सरदार पटेल ने देश की छोटी-छोटी इकाइयों को समाप्त करके एक बड़े हिन्दुस्तान का रूप प्रदान किया। उन्होंने 15 अगस्त, 1947 को हिन्दुस्तान को एक बहुत बड़ी इकाई का स्वरूप दिया। आजादी की लड़ाई लड़ी गयी, उसमें उत्तर प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा हाथ था, और हिन्दुस्तान को आजादी दिलाने के लिए जो कार्य यहाँ के लोगों ने किया, वह सदैव अमर रहेगा, उसको देख कर इस प्रदेश का बंटवारा करना उचित नहीं प्रतीत होता है। इन शब्दों के साथ माननीय मोहन सिंह जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका मैं विरोध करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वह उसको वापस ले लें।

श्री ऊदल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। माननीय मोहन सिंह जी के संकल्प के एक हिस्से का मैं समर्थन करता हूं। दूसरे जो उन्होंने 4 प्रशासनिक इकाइयों की बात कही है उसमें से एक बात को मानता हूं और तीन बातों को नहीं मानाता हूं। उन्होंने एक आयोग बनाने के लिए कहा, तो उस आयोग को बनाने की जरूरत मैं भी समझता हूं। अभी माननीय लाल प्रताप सिंह जी भाषण कर रहे थे उनकी बात को मैंने बड़े गौर से सुना उन्होंने कहा कि हमारे पहाड़ के 8 जिले हैं उनकी संस्कृति उनका कल्चर और बहुत सी बातें उनकी हमसे मिलती जुलती है। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि वे सब मिलते जुलते हैं।

आज भी हमारे जो 8 पहाड़ी जिले हैं, उन की जनसंख्या उनका क्षेत्रफल हमारे देश के जो अन्य पहाड़ी प्रदेश है, हिमांचल प्रदेश, अरुणांचल, नागालैण्ड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन सबसे ज्यादा आबादी भी है और इन सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसलिये पहाड़ों के जो 8 जिले हैं उसके लिये एक प्रशासकीय इकाई बनाने की जरूरत है मैं उनके संकल्प के इस हिस्से का समर्थन करता हूं। मैं एक बात माननीय लाल प्रताप सिंह जी से और माननीय त्रिपाठी जी से जो अभी बोल रहे थे, जानना चाहता हूं कि आपको याद होगा क्योंकि आपकी उम्र काफी है, महाराष्ट्र और गुजरात को जब आजादी मिली तब से लेकर और अंग्रजों के जमाने में दोनों को एक में बनाकर रखा था, बंबई प्रान्त। बहुत दिनों तक वहाँ के लोग लड़ते रहे कि बम्बई को महाराष्ट्र बना दिया जाय और इधर के हिस्से को गुजरात बना दिया जाय।

मैं बड़ी नम्रता पूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि यही काँग्रेस के लोग और यही काँग्रेस की सरकारें यह मानने के लिये तैयार नहीं थीं। मान्यवर, मैं माननीय लाल प्रताप सिंह जी से इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिये निवेदन कर रहा हूं कि कितना बड़ा आन्दोलन चला, कितने लोग शहीद हुये और आज भी वे मानने के लिये तैयार नहीं हैं और जो काँग्रेस की सरकार नहीं मान रही थी, उसने, हजारों लोग शहीद हो जाने के बाद मान लिया था और इस तरह से अलग-अलग दो राज्यों की स्थापना हो गयी। बम्बई का महाराष्ट्र हो गया और दूसरा गुजरात हो गया।

श्रीमन्, आप याद करें आँध्र प्रदेश को बनाने के लिये बहुत दिनों से वहाँ की जनता की यही माँग होती रही लेकिन यह लोग तथा काँग्रेसी तैयार नहीं थे। यह इतिहास की बात है और रामलू ने आमरण अनशन करके अपने प्राण त्याग दिये और तब पुनर्गठन की बात हुई और आन्ध्र प्रदेश व तामिलनाडु बना। आज भी वहाँ झगड़ा चल रहा है एक महाराष्ट्र का और एक आँध्र प्रदेश का वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कल्चर, जिसकी भाषा, जिनका रहन-सहन महाराष्ट्र से मिलता है और महाराष्ट्र मे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कल्चर, जिनकी भाषा, और जिनका रहन-सहन आन्ध्र प्रदेश से मिलता जुलता है। आज वहाँ पर यह माँग हो रही है कि इन दोनों को इधर-उधर कर दिया जाय। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे देश के अन्दर एक बहुत बड़ा तूफान उठ रहा है। बिहार में झारखंडे प्रान्त बनाने की माँग हो रही है और यह वहाँ के आदिवासी लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के छत्तरपुर की तरफ के लोग कह रहे हैं उनके लिये भी एक झारखंड प्रान्त बनाया जाय। यह एक गौर करने की चीज है। क्षेत्रीय संतुलन जो आज असन्तुलन के रूप में बदल गया और लोगों की बहुत सी समस्याए चाहे वह आर्थिक हों, राजनैतिक हों, साँस्कृतिक हों या सामाजिक हों। ये टकराव की स्थिति पैदा कर रही है।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मैंने यह कहा था कि मेर विचार से यह सब इसलिये हो रहा है कि हमारे यहाँ के लोगों का सदियों से यह स्वभाव है इसलिये यह असन्तुलन हो रहा है।

श्री ऊदल—

एक संस्तुति इस बात की कर सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश को न बाँटें लेकिन पहाड़ के 8 जिलों के लिए एक प्रशासनिक इकाई बनायें और दूसरा उत्तर प्रदेश और देश को रिआर्गनाइज करने के लिए भारत सरकार को सिफारिश कर सकते हैं क्योंकि जगह-जगह इस तरह की बात आज बड़े पैमाने पर शुरू हो गयी है। जैसा मैंने जिक्र किया इधर झारखण्ड प्रदेशों की माँग शुरू हुई है, उसके पीछे बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं आर्थिक और राजनीति भेदभाव उनके साथ हुआ है इसी प्रकार आँध्र प्रदेश के कुछ हिस्से हैं जो उससे अलग होना चाहते हैं। हमारे यहाँ पहाड़ के लोग भी बहुत दिनों से माँग कर रहे हैं और वे समझते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। कल ही एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि यहाँ 5 रु0 किलो नमक मिल रहा है। तो यह कितना असन्तुलन है कि स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं तथा और भी तमाम दिक्कतें हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं माननीय मोहन सिंह जी के उस पूरे प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता हूं लेकिन दो हिस्सों में एक पहाड़ी और दूसरा यहाँ का हिस्सा हो क्योंकि पहाड़ों की संस्कृति उनकी सभ्यता उनका कल्चर, उनकी बोल-चाल सब अलग है। कल ही आपने देखा होगा कि वहाँ से कुछ लोग आए थे कुमायूं से जो अपना गाना गा रहे थे तो उनका गाना किसी की समझ में नहीं आया।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मैंने यह निवेदन किया है कि मुझे पहाड़ों पर जाने का मौका मिला। भिन्नता तो व्यक्तियों में कुछ न कुछ रहती ही है। लेकिन जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो इपिक्स हैं उसका सारे का सारा चित्रण वहाँ पर देखा है चाहे वह महाभारत हो या रामायण हो उसकी झलक वहाँ मिलती है।

श्री ऊदल—

हमारे माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी जी बात कह रहे थे कि अगर कृष्ण की भूमि बंट जायेगी, तो मथुरा कौन जायगा, राम की भूमि बंट गयी, तो अयोध्या कौन जायेगा तो यह देश हमारा है अगर इस तरह की संकीर्ण बात होगी तो फिर सेतुबन्ध रामेश्वरम कौन जायेगा, वहाँ लाखों लोग जाते हैं, गुजरात में द्वारिकाधीश कौन जायेगा। जगन्नाथ पुरी कौन जायेगा, यह मैं उनसे जानना चाहता हूं। इस तरह के निराधार तर्क देना मैं समझता हूं, गलत है और ही बात को छिपाने की कोशिश की जा रही है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं माननीय बल्लभ भाई पटेल का नाम लिया गया। तो उन्होंने तो छोटी-छोटी रियासतों को एक किया था जो एक ऐतिहासिक काम था, जिनको मिलाना जरूरी था। लेकिन इस प्रस्ताव का मतलब यह नहीं है कि इस देश से अलग हों। जहाँ क्षेत्रीय असन्तुलन है या भिन्नता है, उसका मतलब यह नहीं है कि हम संघ में नहीं रहेंगे। संघ तो हमारा भारत ही रहेगा। यहाँ पर उदाहरण अमेरिका का दिया गया, रूस का दिया गया। मैं कहना चाहता हूं नम्रतापूर्वक कि रूस में भी गया हूं वहाँ 17–18 रिपब्लिक है, मुझे एक बार नहीं दसयों बार देखने को मौका मिला है ज्यादा से ज्यादा रिपब्लिक को मैंने देखा है और लगभग एक वर्ष रहने का भी मौका मिला है तो वहाँ भी कल्चर, भाषा, रहन-सहन के ऊपर अलग-अलग प्रान्त बनाए गये हैं। लेकिन उनका जो संघ है, देश के लिए जो एकता प्रदर्शित करता है, वह है सोवियत संघ। उसी तरह से हमारा यह भारतवर्ष संघ रहेगा। किसी को यह अधिकार नहीं होगा कि किसी प्रान्त के लोग अलग हों। और

अपने को अलग रखने की माँग करते हैं तो इस पर प्रतिबन्ध रहेगा। इसलिए इसपर ठंडे दिल से विचार करने की आवश्यकता है और आर्थिक विकास के सन्तुलन को ठीक करने की आवश्यकता है और पहाड़ी राज्य को अलग दर्जा देने की आवश्यकता है। इसलिए माननीय मोहन सिंह के कुछ अंश का मैं समर्थन करता हूं।

*श्री ध्रुव प्रसाद राय---

अध्यक्ष महोदय, यह संकल्प जो मा0 मोहन सिंह ने पेश किया है, उसका मैं विरोध करता हूं परन्तु विचारणीय अवश्य है। भारत देश काफी बड़ा है और एक में जुड़ा हुआ है और प्रान्तों के इधर-उधर होने से देश की अखंडता और बंटवारे का प्रश्न पैदा नहीं होता। यदि हम दो जिले बनाते हैं जिससे कोई विखंडता और बंटवारा नहीं होता है। मान्यवर, आप देखें 1857 में अंग्रेजों ने बड़े-बड़े प्रान्त रखे थे जैसे कलकत्ता प्रेसीडेन्सी, बाम्बे प्रेसीडेन्सी, मद्रास प्रेसीडेन्सी और कई प्रान्त को एक में मिलाकर रखा था और इसको यूनाइटेड प्राविंसेज आफ इंडिया कहते थे। फिर इसका बंटवारा हुआ और जब स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमीशन बना तो स्टेट रिआर्गनाइज किए गये। लिंगुइस्टिक, कल्चरल, सामाजिक और आर्थिक बेसिस पर उसका ध्यान रखा गया चूंकि इनकी आवश्यकता है। इसलिए कल्चरल सामाजिक, आर्थिक और एकता पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। और उत्तर प्रदेश हमको भी उतना ही प्यारा है और काफी बड़ा है और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश एक में ही रहे लेकिन वास्तविकता की ओर भी हमको देखना पड़ेगा।

वास्तविकता यह है कि बुन्देलखण्ड को देखें तो 3/4 भाग मध्य प्रदेश में है और 1/4 भाग बुन्देलखण्ड का उत्तर प्रदेश में है। इसलिए यदि आप किसी शरीर को दो हिस्सों में काटेंगे तो क्या वह कराहेगा नहीं, अवश्य कराहेगा। उधर या इधर का बुन्देलखण्ड कराह रहा होगा। इसी प्रकार हिमाँचल प्रदेश को देखें, तो उसका 1/4 भाग हिमाँचल प्रदेश म और 3/4 भाग उत्तर प्रदेश में है। उसी तरह भोजपुर, पूर्वांचल को देखें तो पूर्वांचल का आधा हिस्सा बिहार राज्य में और आधे से कम उत्तर प्रदेश में है जिससे पूर्वांचल भी कराहता है।

मान्यवर, मेरे कहने का मतलब है कि कल्चरल, लिंग्विस्टिक सामाजिक बेसिस पर बंटवारा किया जाय तो इन बातों को देखना होगा ताकि इससे आत्मिक और सामाजिक प्रगति होगी और रिआर्गनाइजेशन करने का मतलब यह नहीं है कि हमारा बंटवारा हो रहा है या हम दूर जा रहे हैं या आर्थिक प्रगति नहीं होगी। इसलिए वास्तविकता को नजर में रखना पड़ेगा और वास्तविकता को ध्यान में देना गलत काम नहीं होगा और यदि वास्तविकता की तरफ ध्यान देते हैं तो गलत नहीं है। मान्यवर, पूर्वांचल पिछड़ा हुआ है और प्रान्त की आबादी बढ़ती जा रही है लेकिन पर कैपिटा इन्कम पूर्वांचल की घटती जा रही है जबकि वहाँ जमीन उपजाऊ है, लोग मेहनती हैं, आबादी ज्यादा है, परन्तु इम्प्लायमट नहीं है, पर कैपिटा इन्कम कम हुई है और लोग गरीबी से कराह रहे हैं। लोग घूम रहे हैं। आप हमारे दारुलशफा में देखें, एक-एक कमरे में 6-6 लोग गठरी बाँधे चले आते हैं, उनको नौकरी चाहिए। उनकी एक समस्या है ज्यादा आबादी की, उनकी एक समस्या है प्रगति की। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन बातों को मद्देनजर रख कर इसको देखना चाहिए और इसको भी देखना चाहिए कि इसकी आवश्यकता है या नहीं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर एस0आर0सी0 का गठन हुआ था।

आपने देखा कि पहले महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक थे, बाईलिंग्वल थे। बहुत कोशिश की गयी कि दोनों एक रहे, लेकिन आवश्यकता के आगे और जनता की आवाज के आगे उनका बंटवारा हुआ और गुजरात और महाराष्ट्र अलग-अलग भाषा-भाषी दो प्रदेश हो गये। यह भी बहुत कोशिश की गयी कि आंध्र प्रदेश और मद्रास एक रहे, लेकिन वह भी अलग होकर रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश आगरा व अवध है, बुन्देलखण्ड है, हिमाँचल प्रदेश है, पूर्वांचल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश है, पर यह सब एक में जुड़े हुए हैं। इस पर आपको ध्यान देना होगा।

जिस वक्त देश आजाद हुआ उत्तर प्रदेश प्रगति की दृष्टि से भारत में तीसरे नम्बर पर था, लेकिन आज वह नीचे से दूसरे नम्बर पर है। इसका क्या कारण है कि हमारी प्रगति रुकी हुई है? यदि हम एक होकर चल सकें तो अच्छा है। लेकिन इसके 2 या 3 प्रान्त बनाने से देश और उत्तर प्रदेश का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। देश कई प्रान्त मिलकर, प्रदेश कई जिले मिलाकर, और जिला कई तहसीलें मिलाकर बनता है। हम यह देखें कि हमारी गरीबी दूर होती रहे, हम एक वास्तविकता में बंधे रहें और हमारी प्रगति हो, और यही हमारे सामने विचारणीय विषय है। इसको लेकर मोहन सिंह जी के मन में आया होगा ऐसा संकल्प लाने की बात। मैं विभाजन की बात तो नहीं कहता हूं, लेकिन ऐसी कमेटी बने जो देखे कि क्या होना चाहिए, ताकि सब लोग एक साथ चल सकें। आपने हमको समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री विजय सिंह राना--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस पर बोलने का समय दिया उसके लिए आपका आभारी हूं। यहाँ पर एक कल्पित भय और कल्पित आशंका के साये में, अपने पूर्व दुराग्रहों के वशीभूत होकर लोगों ने बिना किसी तर्क के अपनी बात कही है और प्रदेश के बंटवारे का उन्होंने खंडन किया है। उसमें न कोई तथ्य है और न कोई सच्चाई है। भाषा, धर्म और संस्कृति के नाम पर, उसको आधार बनाकर उसका विरोध किया गया है। जिस धर्म में बंटवारे को एक शुभ कर्म के रूप में लिया गया है, उस धर्म की आड़ में इसका विरोध करना बिल्कुल गलत काम है। हमारे धर्म में तो विभाजन की प्रक्रिया स्वयं शामिल है एक दिव्य पुरुष की कल्पना की गयी है, जिसके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, जंघाओं से वैश्य की और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ऐसा हमारे धर्म-शास्त्रों में माना गया है। तो जिस देश में धर्म के आधार पर एक दिव्य पुरुष से चार वर्णों अर्थात एक का चार में बाँटना स्वयं स्वीकार किया गया है वहाँ बटवारे का विरोध क्यों? यही नहीं जिस देश में धर्म के लिए एक मठ नहीं है। 4 मठ स्थापित किए गये हैं। शंकराचार्य जी ने एक धर्म से पूरे देश को जोड़ने का प्रयास किया था। उन्होंने इसी हेतु चार मठ स्थापित किये थे, एक नहीं. . . .

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण इनसे चाहता हूं। शंकराचार्य जी ने भारतवर्ष में चार मठों, शंकराचार्यों की स्थापना देश के विभाजन के लिए की थी, या देश की सांस्कृतिक और धार्मिक एकता के लिए की थी?

श्री विजय सिंह राना--

वही मैं कह रहा हूं। मुश्किल यह है कि आपका दिल कहीं है, दिमाग कहीं है। कहीं पर निगाह कहीं पर निशाना, यह मुश्किल हो रही है। मैं यह कह रहा था जिस धर्म में सभी धर्मों और मत मतान्तरों को एक में बनाये रखने के लिए 4 मठों की स्थापना की गयी थी, और चार मठ चार स्थानों पर देश के कोने-कोने में स्थापित किए गये थे, इसमें हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति और भाषा में विभाजन की प्रक्रिया रही है। अतः यहाँ धर्म, संस्कृति और भाषा के नाम पर बटवारे का विरोध समझ में नहीं आता। यहाँ बंटवारा स्वीकार किया गया है जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। यह सब एक धर्म और एक संस्कृति के लिए किया गया था। तो इस देश की मूल संस्कृति में, भाषा में, धर्म में विभिन्नता के साथ एकता का नारा दिया गया है--चाहे यहाँ की संस्कृति हो, चाहे सभ्यता हो और चाहे भाषा हो। यहाँ पर विभिन्नता को एकता में बाँधने का सतत प्रयास किया गया है।

इसलिए इस देश का मूल मन्त्र एकता है और वह रहेगी, विभाजन आदि होने से कोई किसी प्रकार का विध्वंस हो जायेगा, मैं इसे नहीं मानता। आखिर गुजरात और महाराष्ट्र अलग होने से कौन सा विध्वंस हो गया, हरियाणा और पंजाब अलग होने से कौन सा विध्वंस हो गया, अन्य

प्रदेशों में जो बंटवारा किया गया, उनसे कौन सा विध्वंस हो गया ? इसलिए उत्तर प्रदेश के बंटवारे से विध्वंस कोई हो जायेगा, यह सोचना ही गलत है। बंटवारे के बाद भी पूरा देश एक है, पूरे हिन्दुस्तान की नदियाँ एक हैं, पहाड़ एक हैं, किसी चीज में कोई अन्तर नहीं है, यद्यपि प्रदेश अलग-अलग हैं केवल राजनीति के लिए, वोट लेने के लिए, आप इसका विरोध कर रहे हैं।

माननीय तिवारी जी ने कहा कि 4 हिस्से बंट जाने से 4 सचिवालय होंगे, 4 हाई कोर्ट होंगे, 4 मुख्य मन्त्री होंगे। आखिर जब सचिवालय की और आवश्यकता पड़ी तो अपनी दूसरा मिनी सचिवालय यहीं बगल में क्यों बनाया ? क्या इसमें खर्चा नहीं आया ? आप इसे यहाँ न बनाकर दूसरी जगह अगर बनाते तब भी यही खर्च आता। हाई कोर्ट की बेंच आपने दूसरी जगह खोली ही है। अब उसकी जगह अलग-अलग अगर हाई कोर्ट हो जायेंगे तो खर्च कौन सा बढ़ जायगा ? कौन सी नई बात हो जायगी? इसके पीछे आपका कोई तर्क नहीं है, केवल दुराग्रह है।

आप कहते हैं उत्तर प्रदेश का गौरव कम हो जायगा। यह भी बात आपकी सही नहीं है। जब एक परिवार बढ़ता है, तो उसमें बटवारा होता ही है, उसके हिस्से होते ही हैं ? आज तो काँग्रेस इंदिरा गाँधी स्वयं दो टुकड़ों में बंट गयी हैं। इन्दिरा गाँधी अलग हो गयी हैं, मेनका गाँधी अलग हो गयी हैं। बंटवारे से न कहीं कोई विध्वंस होता है और न ही कोई और कठिनाई सामने आती है।

यह कहा गया कि बंटवारा एक राजनीति है, इसके पीछे राजनीति है। इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है। बंटवारा किसी भी चीज के साथ नहीं जुड़ा है, बंटवारा केवल जुड़ा है भूगोल और प्रशासन के साथ। सोवियत संघ के बारे में हमारे साथी माननीय ऊदल जी ने बताया, वहाँ पर भाषा और भूगोल के आधार पर जो बंटवारा किया गया, उसके बाद वहाँ कोई समस्या आज तक उठी ही नहीं। तो यहाँ कौन सा विध्वंस हो जायेगा, यह मेरी समझ में नहीं आया। भूगोल और इतिहास के हाथ, भाषा और संस्कृति के साथ, विभाजन की जो रूपरेखा रखी गयी है, इसके होने पर हर एक तो स्वतन्त्र इकाई के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। हर प्रान्त, 4 हिस्सों में बंटने पर, अपने अपने संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपनी उन्नति करेगा, उसको अपने ही संसाधन जुटाने का मौका मिलेगा।

आज क्या हो रहा है, सारे बजट का अधिकांश भाग 4 जिलों पर खर्च हो रहा है, अगर आज सड़क बननी है तो वह पहले रायबरेली में बनेगी, आगरा में नहीं बनेगी। विकास का कोई कार्य अगर होना है तो वह पहले रायबरेली में होगा, दूसरी जगह उसका नम्बर बाद में आयेगा। अब आप छोटे-छोटे प्रान्त बना देंगे तो यह बात नहीं होने पायेगी। पश्चिम के लोगों ने अगर अपने यहाँ कोई विकास किया है तो वह अपनी मेहनत और अपने परिश्रम से अपने बल से, अपने साधनों से किया है। आप भी (पूरब वाले) अपने बल पर, अपनी मेहनत से अपने पैसे से, अपना विकास कीजिए। हमारे पैसे और हमारे संसाधनों से आप क्यों अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं ? हमने अपनी बुद्धि और अपनी मेहनत से विकास अगर किया है तो उसमें आपको द्वेष क्यों है आप पूरब और पश्चिम में काम करने के तरीके और मेहनत करने के बारे में सम्पूर्ण स्थितियों का आप अवलोकन करें तो आप पायेंगे कि जितनी मेहनत पश्चिम का आदमी करता है उतनी मेहनत पूरब का आदमी नहीं करता है। फिर आप पश्चिम की तरक्की से क्यों चिढ़ते हैं। हमारे यहाँ की महिलाएं पुरुषों के साथ खेतों में हल चलाती हैं और उनके साथ काम करती हैं लेकिन आपके यहाँ की महिलाएं घर से बाहर निकलना नहीं चाहती हैं। तो फिर दोनों को आप कैसे साथ-साथ चलायेंगे।

जिस समाज में श्रम की महत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता है, वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता है। जिस देश में श्रम विहीन समाज पैदा हो जाता है, वह देश तरक्की नहीं कर सकता और जिस प्रदेश में श्रम विहीन समाज पैदा हो

जाता है वह प्रदेश तरक्की नहीं करता। जिस परिवार में श्रम को महत्ता नहीं दी जाती वह परिवार मिट जाता है। जिस समाज में लेबरलेस क्लास बढ़ता है, वह समाज मिट जाता है। आपके यहाँ लेबर-लेस क्लास बढ़ती जा रही है और आप चाहते हैं हमारी बराबरी करना। आप अपना विकास कीजिए, अपने संसाधन अपने पास रखिए। हमारे विकास से आपको चिढ़ क्यों है। अगर आप हमारी तरह ही मेहनत करें और विकास के लिए आगे आयें तो आपका स्वागत करूंगा।

अब इन्होंने एक बात और कही प्रशासन के बारे में, तो मैं कहना चाहता हूं कि साल भर तक यहाँ ट्रांसफर का ताँता लगा रहता है। मेरठ, बुन्देलखण्ड, मथुरा, आगरा का आदमी गोरखपुर नहीं जाना चाहता है। पहाड़ के जिलों में जाकर देखें, हमारे नेगी जी और जो हमारे साथी पहाड़ के हैं, वह रोज ही कहते हैं कि हमारे यहाँ अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं, स्कूलों में मास्टर नहीं हैं, वहाँ पर यह कमी इसलिए है कि वहाँ पर डाक्टर और इंजीनियरों की संख्या कम है और यहाँ के लोग वहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं। आज पूरब का आदमी पश्चिम में जाना नहीं चाहता है और पश्चिम का आदमी पूरब में नहीं जाना चाहता है। पूरब का आदमी पूरब तथा पश्चिम का आदमी पश्चिम भागता है। यह ट्रांसफर का धंधा साल भर लगा रहता है, इनकी सारी पूंजी का आधार ट्रांसफर है। अगर इस प्रदेश के चार टुकड़े हो जायें तो यह समस्या नहीं रहेगी। मथुरा के आदमी को आप बुलन्दशहर भेज दीजिए वह मना नहीं करेगा। बुलन्दशहर का आदमी मेरठ भेज दीजिए या बरेली भेज दीजिए, वह चला जायगा, कोई परेशानी उसको नहीं होगी। इसलिए प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से इस प्रदेश का विभाजन जरूरी है।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

*श्री श्याम लाल वाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने आज इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए हृदय से आभारी हूं। यद्यपि बोलने का अभ्यास इस सत्र में कुछ कम हो गया है परन्तु जब ऐसे कुछ विषय सामने आते हैं, जो प्रदेश की एकता को चुनौती देने वाले होते हैं, तो उसमें बरबस बोलने के लिए विवश होना पड़ता है। आज सदन के एक प्रबुद्ध माननीय विधायक ने ऐसा विघटनकारी संकल्प रखा है, जिसकी जितने कड़े से कड़े शब्दों में निन्दा की जाय, थोड़ी है। मान्यवर, इस आदरणीय सदन में जहाँ आप पीठासीन हैं, इस छत के नीचे 426 सदस्य बैठते हैं। यह 85 सांसदों का प्रदेश है जहाँ पर पर्वतीय जिलों की बात कही जा रही है तो मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश का मुकुट है। चाहे बलिया का रहने वाला हो, चाहे सहारनपुर का रहने वाला हो या बाराबंकी, प्रतापगढ़ का रहने वाला हो, सभी व्यक्ति गंगोत्री और यमुनोत्री तथा भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ में समान श्रद्धा रखते हैं। मान्यवर, चाहे कृष्ण की लीला स्थली बृज हो या चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि अवध हो, चाहे माँ विंध्यवासिनी का स्थान विंध्याचल हो, या चाहे गौतम बुद्ध की स्थली लुम्बिनी हो, इस आदरणीय सदन में तमाम प्रदेश से लोग आकर समान भाव से अपने विचार व्यक्त करते हैं।

भारत में जहाँ कहीं चले जाय, अगर कहें कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, तो वाह-वाह मान्यवर, जो गौरव और सम्मान मिलता है कि हम उत्तर प्रदेश के हैं। देश में प्रधान मन्त्री के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री का स्थान होता है।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय वाजपेयी जी को शायद यह पता न हो कि लुम्बिनी जो है, वह नैपाल में है।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

किन्तु मैंने उसको बस्ती और गोरखपुर में माना है। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं निवेदन कर रहा हूं—'तुलसी बुरा न मानिए जो गवार कह जाय।" इस देश में प्रधान मन्त्री के बाद, इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री को गौरव प्राप्त है। यह प्रदेश ही नहीं, मिनी भारत है। आज हरियाणा और पजाब की दोहाई देते हैं। किस बात की दोहाई देते हो? हम गरीब हो सकते हैं। वह अपनी जगह पर हैं। परन्तु हम बड़े कुन्बे वाले हैं और हम शक्ति में सबसे आगे हैं, सबसे बड़े हैं। यह हमें गौरव प्राप्त है ?

(इस समय 3 बजकर 17 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिए, अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, इस आदरणीय सदन में प्रदेश को चार इकाइयों में विभाजित करने वाले जैसा कुत्सित और निन्दनीय संकल्प आया है, इसकी कठोर से कठोर शब्दों में निन्दा की जाय, वह कम है। जिसके अन्दर स्वाभिमान की भावना है, वह इस संकल्प का समर्थन नहीं कर सकता। यह तो चौधरी चरण सिंह जैसे महत्वाकांक्षी लोग ही स्वीकार कर सकते हैं। अपने स्वार्थों के लिए वह देश का भी सौदा कर सकते हैं। देश का विभाजन तो उनके लिए छोटी बात है। वह अपने इस महान उत्तर प्रदेश को विभाजित करने की बात करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि परिवार बड़ा है हमारा, बड़े परिवार में कभी-कभी कुछ कमियाँ हो सकती हैं, परन्तु आज अपने-अपने परिवारों को आप देख लीजिए, क्या किसी ने अपने परिवार का विच्छेदन किया है। क्या कोई अपने परिवार का विच्छेदन कर सकता है? क्या किसी ने अपने भाई की हत्या कर दी है? और अगर कर दी है, तो वह हत्यारा परिवार हन्ता कहा गया है और हत्यारा कहा गया है। उसको सम्मान नहीं मिलेगा। उसको सम्मान किसी भी जगह नहीं मिलेगा। अब कहाँ है, संकल्प रखने वाले? कान खोलो और सुनो, यह आदरणीय सदन है।

श्री अध्यक्ष—

यह बात सही है कि यह आदरणीय सदन है। जहाँ तक सम्भव हो सके, जिनका प्रस्ताव है, उनको यहाँ मौजूद रहना चाहिए।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

सबसे बड़ी बात जो है, इस राजनीतिक प्यास के कारण और इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा की भूख व्यक्ति को नीचा से नीचा काम करने के लिये विवश कर दती है। बार-बार बरगलाते है, पर्वत की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के किसी कोने का नागरिक हो, उसे पर्वतीय जिलों पर गर्व है। जो हमारी व्यवस्था है, चाहे जिस देश प्रदेश से तुलना कर ले, चाहे हिमाँचल से कर ले, वहाँ की जो व्यवस्था है, उससे हमारी व्यवस्था अच्छी है। मैदान की बात कहते है। मुझे गर्व है कि पर्वतीय क्षेत्र आगे और श्रेष्ठ है। जो कमियाँ है, आप बजट को देख ले, हिमाँचल प्रदेश के बजट की तुलना में यह किसी से कम नहीं है। हम अपनी सुख सुविधा को तिलाँज्जली देंगे, अपने हक को पर्वतीय क्षेत्र के लिये न्योछावर कर देंगे लेकिन वह हमारे सिर काटने की बात है। हम अपना सिर कटा सकते हैं, लेकिन इस प्रदेश को 4 हिस्सों में बाँटना स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने गलतफहमी में अपने स्वार्थी नेताओं की तृप्ति के लिये ऐसे संकल्प के द्वारा आदरणीय सदन की गरिमा को भंग करने का और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है.....

श्री विद्या सागर नौटियाल—

बाजपेयी जी को 15 मिनट हो गये, कितना समय दिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

10 मिनट का समय दे रहे हैं, आधा मिनट और रह गया है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

2 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम तो बहुत कम बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय और लोग उत्सुक हैं, इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात कहता हूं। जो माननीय मोहन सिंह के साथ देश की अखण्डता का नारा लगाय करते थे और आज भी लगा रहे हैं, आज

उनके सोचने और समझने की बात है, उन्होंने चौधरी चरण सिंह के झण्डे के नीचे अपने को नीलाम किया है, गिरवी रखा है। यह संकल्प जो लाया गया है, यह निन्दनीय है, शोचनीय है, शोचनीय है।

एक शब्द और कह दूं अपने प्रदेश के प्रशासन के लोगों से। मेरे शासन के लोगों, यह प्रदेश बड़ा है। हमें गर्व है कि हम इतने बड़े प्रदेश के नागरिक हैं, जिसके अन्दर 425 विधान सभा के सदस्य एवं 85 साँसद हैं। आपने विकेन्द्रीकरण की योजना को स्वीकार किया। मेरा विनम्र निवेदन है कि मन्त्रि परिषद् में इसको रखें और मन्त्रिमंडल स्तर को कुछ शक्तिशाली बनाया जाय। जो सारी समस्याएं प्रदेश स्तर पर आ जाती हैं और सचिव उनका संचालन करने लगता है आप मंडलायुक्त को और जन प्रतिनिधियों की मिली-जुली समिति बना कर उसको ऐसा शक्तिशाली बनायें जिससे सारी समस्याओं का निस्तारण मण्डल स्तर पर हो जाय। रियासत साहब की एक बात ने बहुत प्रभाविभात किया न्यायालय को को शीघ्र स्वीकार करें, लोगों की सुविधा की दृष्टि से मोहन सिंह के संकल्प की दृष्टि से नहीं। अन्त में मैं मोहन सिंह के संकल्प का घोर विरोध हृदय से करता हूं और निवेदन करूंगा कि भविष्य में इस प्रकार की कुसित विघटनकारी चीज आप जैसे नवयुवक लाकर अपने को बदनाम न करें।

श्री शेर बहादुर—

मान्यवर, कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी। कोरम की घण्टी लगातार 5 मिनट बजने पर भी गणपूर्ति न होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

लगातार 5 मिनट तक घंटी बजते रहने पर भी कोरम नहीं हो रहा है इसलिये कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 3 बजकर 29 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल

सचिव विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :

29 मार्च, 1984।

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 51 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

उप केन्द्रों में आपूर्ति की जाने वाली दवाओं की सूची

आंतरिक प्रयोग के लिए

1—एसीटाईल सेलसलिक एसिड गोलियाँ
2—बेलाडोना बेलडिनल गोलियाँ
3—कफ मिक्स्चर
4—ड्राईड एलीम्युनियम हाईड्रोआक्साईड गोलियाँ।
5—इरगोमैट्रीन मैलिएट गोलियाँ
6—केवलिन पैकटिन ससपेंशन
7—मैगनीशियम सल्फेट
8—मैफाईरामिन (एन्टीहिस्टामाईन गोलियाँ)।
9—ओरल रि हाईड्रेशन पाउडर
10—पैरासिटामौल गोलियाँ
11—थाईडल सल्फाफियाजोल गोलियाँ
12—पाईप्रेसिन साईट्रेट पाईपेसिंग एडिपेट गोलियाँ।
13—मूवेंडजोल (पेंटीलिमिन) गोलियाँ
14—विटामिन 'ए' घोल
15—सल्फाडिमडाई गोलियाँ

बाहरी प्रयोग के लिए

16—एक्रीफिलेविन मरहम
17—एन्टीसेप्टिक लोशन
18—बेन्जोइक सेलसिल मरहम
19—बैंजोइल बैंजोइड इमलशन
20—जिमशन वाइलेट 2 प्रतिशत
21—मेथोल एनसिप्लाईट्स मरहम
22—मरक्यूरेशोम 2 प्रतिशत
23—मिथाइल सेलसीलेट मरहम
24—सल्फासटामाईड नेत्र एवं कान ड्राप्स 10 प्रतिशत।
25—टेट्रासाक्लिन आँख का मरहम
26—सफेद वेसलीन
27—क्लोरोसाइसिटिन (एप्लीकेप्स) आँख का मरहम।

रिअजेंट

28—केमिस्ट्रिस (माईलक्स इन्डिया लिमिटेड)।

उप केन्द्रों में रखी जाने वाले दवाएं

1—बाईफेनियम हाईड्रौक्सी नेपथोएट ग्रेन्यूल्स।
2—केल्शियम ग्लूकोनेट गोलियाँ
3—पैरा लिक्वड पैरा फिन
4—मिस्ट कार्बिनेटिव
5—मिस्ट एलकेलाई
6—मिस्ट कोलरल हाईट्रेट
7—मिस्ट सडेटिव एक्सपैक्टोरेंट
8—मल्टी विटामिन गोलियाँ (ए0, बी0, सी0, डी0)।
9—प्रोक्लोफ्रेजिंग गोलियाँ
10—सिरप फेरिक साईट्रेट
11—विटामिन सी टेबलेट
12—मिथाईल आरगोमैट्रीन मेलिएट इंजेक्शन।

बाहरी प्रयोग के लिए

13—बोरिक एसिड पावडर
14—कैलामाईन लोशन
15—मिथाईलेटिव स्प्रिट
16—टिंचर आयोडीन
17—जिंक बोरिक डस्टिंग पाउडर
18—टिंचर बोन्जोई

उप केन्द्रों को आपूर्ति किए जाने वाले उपकरणों की सची

क्रमांक	मद	संख्या
1	परीक्षण टेबिल (टीक)	1
2	लिखने की मेज (टीक)	1
3	बिना हत्थे की कुर्सी (टीक)	3
4	स्टील की अलमारी	1
5	स्टील की या टीक की बेंचें	2
6	ड्रेसिंग स्टैण्ड (स्टील)	3
7	स्टूल	2
8	साईड फ्लाँक	2
9	मेडिसिन चेस्ट	1
10	लकड़ी का परदा	1
11	फूटस्टेप	1
12	कोट रेक	1
13	वूडेन सेट (लकड़ी)	1
14	बिसाईड टेबलिट	1
15	बाल्टियाँ	2
16	स्टोव (किरोसिन आयल)	1
17	मग	2
18	सासपेन लिड के साथ	1
19	वाटर रिसेपटेबिल	1
20	रबर प्लासिटक शटिंग	2 मीटर
21	शोकायर स्टिक	1
22	लेक्यूस्टि हायो स्केल	1
23	टोंटीदार ड्रम (पानी रखने के लिए)	1

पी0एस0यू0पी0—एल0 96 वि0 सभा (139)—1985—813।